लोक सभा

वाद विवाद

बृहस्पतिवार,
१६ सितम्बर, १९५४

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

• विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९–१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३–१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . . ३९५–४०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . . ४०६–४२४

अंक ७-- मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०३, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . . ४२५–४७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२ . . . . . ४७३–४८४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १५१ . . ४८४–४९८

अंक ८-- बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . . ४९९–५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . . ५४५–५४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . . ५४८–५६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . . . ५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०३, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६, ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७	१२४३—१२८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७९, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ .	१२८६—१२९४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४[illegible]	१२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . .	१३१५—१३५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३१, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५	१३५९—१३७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ .	१३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९	१३९३—१४४२
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११	१४४२—१४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . .	१४४६—१४६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११	१४६२—१४७८

अंक २०— शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४८, १०४६ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७६ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . १४७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६१, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६२, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

लोक सभा

वृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

योजना का बढ़ाया जाना

*९८७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना में रूपभेद करने और इसे बढ़ाने के फलस्वरूप पंजाब के लिये कोई विशेष योजनायें बनाई गई हैं और यदि हां, तो ये क्या हैं ; और

(ख) इन योजनाओं को पूरा करने के लिये अनुमानतः कितनी अतिरिक्त राशि आवश्यक होगी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३४]**

श्री डी० सी० शर्मा : इंजीनियरिंग कालेजों के अतिरिक्त अन्य शिक्षा सम्बन्धी विकास के लिये धन का उपबन्ध क्यों नहीं किया गया है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : यह उपबन्ध राज्यों के कहने

पर किया जाता है । वे हमारे पास योजनायें भेजते हैं और फिर चर्चा के पश्चात् हम कुछ योजनाओं पर सहमत हो जाते हैं और उन्हें तय कर लेते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : भाखड़ा-नंगल क्षत्र में किस सिद्धान्त के अनुसार सड़कों का विकास किया जायेगा ? ये सड़कें किस क्षेत्र में बनेंगी, क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ?

श्री नन्दा : इस का निश्चय भी राज्य सरकार करेगी किन्तु विचार यह है कि इस क्षेत्र को, जिस में कि सिंचाई की सुविधाओं का लाभ पहुंचने वाला है, शीघ्रता से उन्नत और विकसित किया जाये ।

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण के इस अन्तिम पद 'सड़क उपकरण' से क्या अभिप्राय है ?

श्री नन्दा : यह सड़कों के निर्माण के लिये होगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या बेरोज़गारों को काम दिलाने के लिये ही योजना में कुछ विस्तार किया गया था ? क्या सरकार के पास इस के सम्बन्ध में कोई आंकड़े हैं कि योजना को बढ़ाने से इस देश में कितने प्रतिशत बेरोज़गारी कम हो जायेगी ?

श्री नन्दा : पंजाब के सम्बन्ध में हमारे पास आंकड़े नहीं हैं । कतिपय मामलों में

योजना की काम की शक्ति की गणना की गई है ; कुछ अन्य मामलों में राज्यों ने हमें कोई आंकड़े नहीं दिये । परन्तु इस के अतिरिक्त कई अन्य कारणों से भी आवश्यक योजनाओं को स्वीकार किया गया है ।

विस्थापित व्यक्ति ऋण समायोजन अधिनियम

*९९०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ३० जून, १९५४ तक देश में विभिन्न न्यायाधिकरणों को विस्थापित व्यक्ति ऋण समायोजन अधिनियम के अधीन कितने प्रार्थनापत्र दिये गये ; और

(ख) उक्त तिथि तक कितने प्रार्थनापत्र निबटाये गये ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) १५,०८५ ।

(ख) १०,६७३ ।

सरदार हुक्म सिंह : कितने मामलों में ऋण लेने वालों ने इस अधिनियम से लाभ उठाया और धारा ११ के अन्तर्गत अपने प्रार्थनापत्र दर्ज करवाये ?

श्री जे० के० भोंसले : धारा १० और ११ इकट्ठी ही हैं । मेरे पास धारा १० के आंकड़े हैं, किन्तु ११ के नहीं हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : कितने न्यायाधिकरण अब भी कार्य कर रहे हैं और कितने प्रार्थनापत्र इस समय विचाराधीन पड़े हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : ३५३ न्यायाधिकरण हैं और उन के समक्ष ४,४०४ मामले विचाराधीन पड़े हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : धारा ५ के सम्बन्ध में कुछ विवाद था । क्या इस बात का अन्तिम रूप से मध्यस्थ द्वारा निर्णय करवा लिया गया है कि क्या यह निर्णय करने का, कि धारा ५ के अधीन कोई प्रार्थी विस्थापित व्यक्ति है या नहीं, एकमात्र अधिकार न्यायाधिकरण को है अथवा असैनिक न्यायालयों को भी इस का निश्चय करने का प्राधिकार है ?

श्री जे० के० भोंसले : अपील के अधिकार के अधीन, इस का निर्णय करने का अधिकार न्यायाधिकरण को है ।

सरकार द्वारा खादी का क्रय

*९९१. **श्री डाभी** : क्या निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपनी कपड़े की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खादी खरीदने का निश्चय किया है ;

(ख) १९५३-५४ में सरकार की आवश्यकताओं के लिये कुल कितनी और कितने मुल्य की खादी खरीदी गई ;

(ग) १९५४-५५ में सरकार का कुल कितनी और कितने मूल्य की खादी खरीदने का विचार है ; और

(घ) सरकार की कपड़े की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सिद्धान्त रूप से यह निश्चय किया गया हैं कि क्रियात्मक रूप से जहां तक सम्भव हो सरकार की कपड़े की अधिक से अधिक आवश्यकता खादी से पूरी की जाये । विभिन्न प्रयोजनों के लिये आवश्यक नमूनों, उन में ढील देने, उपलब्ध होने की लागत इत्यादि के ब्यौरे पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है जिस के साथ अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड सम्बद्ध है ।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३५**]

श्री डाभी : विवरण में लिखा है कि १९५३-५४ मे ३·७५ लाख रुपये की खादी खरीदी गई थी। सरकार ने १९५३-५४ में अपनी आवश्यकताओं के लिये खादी के अतिरिक्त और कितने का कपड़ा खरीदा था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री डाभी : सरकार के अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति खादी से करने में क्या विशेष कठिनाइयां हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सामान्यतया, आवश्यक प्रकार का कपड़ा नहीं मिलता।

श्री एस० एन० दास : सरकार किस अभिकरण द्वारा खरीदती है—क्या सीधे उत्पादकों से अथवा उस के द्वारा नियुक्त किसी अन्य अभिकरण से ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा।

श्री तिम्मय्या : क्या राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं के लिये खादी खरीदने के सम्बन्ध में कोई हिदायतें दी गई हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं, श्रीमान्। केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान है।

इथोपिया

*९९२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इथोपिया की सरकार की प्रार्थना पर बनाई गई योजना के अधीन कुल कितने भारतीय किसान परिवार अब तक इथोपिया पहुंच चुके ;

(ख) उन्हें अब तक भूमि के आवंटन के अतिरिक्त और कौन सी सुविधायें दी गई हैं ; और

(ग) क्या उन के रहने की अवस्था के बारे में कोई सूचना मिली है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) आठ भारतीय कृषकों का एक दल इथोपिया में बसने के लिये गया था।

(ख) भूमि के आवंटन के अतिरिक्त इथोपिया की सरकार ने कृषकों को ट्रैक्टर, बैल और हल दिये हैं। इन परिवारों से पहले तीन वर्ष तक कृषि सम्बन्धी उपकरणों पर बहिःशुल्क और भूमि कर नहीं लिया जायेगा। इन बसने वालों को तीन वर्ष के पश्चात् नागरिकता के अधिकार भी दे दिये जायेंगे और इथोपिया की सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि इन के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

श्री एस० एन० दास : इस बात पर ध्यान देते हुए कि आठ कृषक परिवार १९५३ में इथोपिया गये, क्या वह योजना, जो भारतीय सरकार ने तैयार की है, अब लागू नहीं है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह योजना अब भी लागू है ? वे यही जानना चाहते हैं।

श्री अनिल के० चन्दा : हां। बसने वाले वहां पर हैं।

श्री एस० एन० दास : कुल कितने कृषक परिवारों को वहां जाने की आज्ञा दी जायेगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : पहले इथोपिया की सरकार ने सुझाव दिया था कि तीस परिवार जा सकते हैं, परन्तु पहली बार केवल आठ परिवार गये हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या भारत सरकार इन परिवारों को वित्तीय या किसी अन्य प्रकार की कोई सुविधायें देती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हम ने उन्हें कोई सुविधायें नहीं दी हैं । उन्हों ने अपनी एक सहकारी समिति बनाई है और रुपये का प्रबन्ध उन्हों ने स्वयं कर लिया है ।

चौ० रघुवीर सिंह : भारत के ये नागरिक किन राज्यों से इथोपिया गये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : ये सभी पूर्वी पंजाब के हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या जाने वाले परिवारों की संख्या केवल आठ इसलिये थी कि अन्य व्यक्ति या और अधिक परिवार जाने को तैयार नहीं थे या सरकार ने प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिये केवल आठ परिवारों को ही जाने की आज्ञा दी ?

श्री अनिल के० चन्दा : ऐसा जान पड़ता है कि श्री शिवराज सिंह नामक एक सज्जन इथोपिया गये, उन्हों ने भूपरिमाप किया तथा एक सहकारी समिति आरम्भ की और उन का सुझाव था कि पहले वे सब तीस परिवार न जावें जिन की आज्ञा दी गई है वरन् थोड़े से परिवार जावें तथा पूर्वेक्षण करें । इस वक्त वहां पर केवल आठ परिवार हैं ।

अध्यापकों तथा चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती

*९९३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार को अफ़गानिस्तान सरकार की कोई ऐसी प्रार्थना प्राप्त हुई है कि कुछ अध्यापक तथा चिकित्सा कर्मचारी भर्ती किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो कितने अध्यापकों तथा चिकित्सा कर्मचारियों को भर्ती करने के लिये कहा गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). अध्यापकों की भर्ती के सम्बन्ध में हाल में अफगान सरकार से कोई प्रार्थना नहीं प्राप्त हुई है । मई १९५४ में काबुल विश्वविद्यालय के रेक्टर ने उच्च योग्यता वाले चिकित्सा प्राध्यापकों की भर्ती के सम्बन्ध में काबुल स्थित भारतीय दूतावास से प्रार्थना की थी । भारत सरकार ने नियुक्ति के निबन्धनों का विज्ञापन किया तथा विभिन्न राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में लिखा भी । आगे चल कर यह पता लगा कि अफ़गान सरकार की आवश्यकतायें किसी अन्य देश से पूरी हो गईं । इसलिये भारत से चिकित्सा प्राध्यापकों की भर्ती नहीं की गई ।

हाथ करघे

*९९४. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में राज्यों ने हाथ-करघा निधि से मंजूर किये गये अनुदानों तथा ऋणों के कितने अंश का प्रयोग किया ;

(ख) वसूल न की गई शेष निधि का वितरण किस प्रकार किया जायेगा ;

(ग) क्या कोई ऐसा राज्य है जिस को हाथकरघे के कपड़े पर छूट नहीं दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सूचना प्राप्त हुई है कि १९५३-५४ में मंजर. किये गये २९६ लाख रुपये में से राज्य सरकारों ने लगभग ५६ लाख रुपया खर्च किया है ।

(ख) अनुदानों तथा ऋणों का अप्रयुक्त शेष भाग चालू वितीय वर्ष में प्रयोग किये जाने के लिये फिर राज्य सरकारों को उपलब्ध है ।

(ग) हां ।

(घ) तत्सम्बन्धी राज्यों ने इस प्रयोजन के लिये अनुदानों की मांग नहीं की ।

श्री झूलन सिन्हा : प्रश्न के भाग (ग) के अन्तर्गत किस राज्य को छूट नहीं दी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पंजाब, राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कच्छ तथा कुर्ग की राज्य सरकारों ने गत वर्ष छूट योजना के अन्तर्गत किसी निधि की मांग नहीं की ।

श्री झूलन सिन्हा : किन आधारों पर इन राज्यों को छूट देने से इनकार कर दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस का सब से अच्छा ज्ञान उन्हीं को होगा । उन्हों ने कोई मांग नहीं भेजी ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या आन्ध्र सरकार ने नियत की गई सारी राशि खर्च कर ली है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं ।

श्रीमती इला पालचौधरी : हाथकरघों के अच्छे डिज़ाइन तैयार करने के उद्दीपक के रूप में क्या सरकार की ओर से किसी पारितोषिक की घोषणा की जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मुझे ज्ञात है, नहीं ।

भाखरा नंगल के विदेशी विशेषज्ञ

*९९५. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भाखड़ा-नंगल योजना में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों की संख्या कितनी है ;

(ख) इस योजना में कुशलतम मिस्त्रियों तथा फ़ोरमैनों के रूप में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या कुशलतम मिस्त्रियों तथा फ़ोरमैनों का कार्य संभालने के लिये भारतीय नागरिकों को प्रशिक्षित किया गया है ; और

(घ) सभी विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें कब तक समाप्त कर दी जायेंगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) । (क) ४४ ।

(ख) ३५ ।

(ग) हां ।

(घ) भाखड़ा नंगल परियोजना में नियोजित विदेशी विशेषज्ञों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती रहेगी परन्तु योजना के अन्त तक विदेशी विशेषज्ञों की एक सीमित संख्या को रखना आवश्यक होगा ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि इस योजना का प्रशासन-व्यय अन्य परियोजनाओं के प्रशासन-व्यय से दुगना है ?

श्री हाथी : यह बात नहीं है । प्रशासन-व्यय योजना के कार्य के परिमाण पर निर्भर करता है । साधारणतया यह अन्य परि-योजनाओं का दुगना नहीं है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि इस योजना में काम करने वाले कुछ विदेशी विशेषज्ञ केवल निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं ?

श्री हाथी : वे केवल निरीक्षण का कार्य नहीं कर रहे हैं । कुछ मंत्रणा देने वाले हैं, कुछ विशेषज्ञ हैं तथा कुछ विशारद हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार स्पष्ट शब्दों म बता सकती है कि इन सब विदेशी विशेषज्ञों के आधीन भारतीय कर्म-चारी काम सीख रहे हैं ? यदि कोई अपवाद हैं तो वे कौन से हैं ?

श्री हाथी : सभी महत्वपूर्ण उपविभागों में सामान्य रूप से भारतीय इंजीनियर काम सीखने के लिये नियुक्त किये गये हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : और अपवादों के सम्बन्ध में क्या कहना है ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग

*९९६. **श्री राम जी वर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कुछ शिल्पिक तथा अन्य पदों की नियुक्तियां न कर के ४,२०,००० रुपये की बचत की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो वे शिल्पिक पद कौन से थे; और

(ग) अन्य पदों की संख्या क्या है जिन की नियुक्तियां नहीं की गईं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के जल सम्बन्धी उपविभाग के सम्बन्ध में १९५३-५४ के द्वितीय संशोधित प्राक्कलन में ४,२०,००० रुपये की कुल बचत दिखाई गई थी जिस में से रिक्त स्थानों के कारण होने वाली बचत केवल १,७६,८०० रुपये थी ।

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३६]**

श्री नानादास : इन स्थानों को खाली रखने के कारण क्या हैं ?

श्री हाथी : इस का कारण मेनन समिति का प्रतिवेदन था जिस में सिफ़ारिश की गई थी कि कुछ स्थानों पर नियुक्तियां न की जायें ।

श्री नानादास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में अनुसूचित जाति के उम्मीद-वार बहुत कम हैं क्या सरकार इन पदों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को नियुक्त करने का विचार करती है ?

श्री हाथी : पहली बात तो यह है कि इन पदों की नियुक्तियां मंजूर होने वाले पदों पर निर्भर करेंगी । कार्य की प्रकृति तथा उस के परिमाण को देखते हुए संभावना इस बात की है कि और अधिक पदों को मंजूर करना पड़ेगा। अधिमान दिये जाने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : विवरण से पता चलता है कि संचालक, सह संचालकों, तथा सहायक इक्ज़ीक्यूटिव इजीनियरों के पद तथा और बहुत से पद खाली थे । इतने स्थानों के खाली रहनें से कार्य की कुशलता में क्या कोई कमी हुई है अथवा यह कार्य के अधिक अनुमान किये जान का सूचक है ?

श्री हाथी : यह किसी एक योजन का प्रश्न नहीं है । यह विवरण दिल्ली के केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के संगठन के सम्बन्ध में है । ये पद, मुख्य रूप से मेनन समिति के प्रतिवेदन के कारण खाली रखे गये थे जिस में पदों की संख्या घटाने की सिफ़ारिश की गई थी ।

कोयला

***१९८. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खुले टैंडर की प्रणाली जारी होने के बाद से पाकिस्तान को कोयले का निर्यात बढ़ गया है ; और

(ख) इस प्रणाली के जारी होने से भारतीय कोयला-खानों के स्वामियों और व्यापारियों को क्या सुविधा मिलेगी ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) भारत से कोयला प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान सरकार ने प्रथम मई १९५४ को खुले टैंडर की प्रणाली अपनायी थी और इतनी जल्दी यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान को कोयले का निर्यात बढ़ गया है ।

(ख) पाकिस्तान सरकार द्वारा खुले टैंडर की प्रणाली अपनाये जाने से भारत में कोयला-खानों के स्वामियों अथवा व्यापारियों को कोई विशेष लाभ होने की संभावना नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इस से प्रतिस्पर्धा बढ़ने और मूल्य गिरने की ओर झुकाव हुआ है ?

श्री आर जी० दुबे : इसे प्रतिस्पर्धा तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु यह अवश्य है कि पाकिस्तान सरकार अपनी इच्छानुसार बिना किसी श्रेणी का विचार किये खुले बाजार म कोयला खरीद सकती है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य गिरने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि कोयले के मूल्य पर नियंत्रण है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि कोयला जल-मार्ग की अपेक्षा स्थल-मार्ग से भेजा जाये ? यदि हां, तो इस का हमारे देश के परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री आर० जी० दुबे : यह सच है कि पाकिस्तान सरकार का यही आग्रह रहा है कि अधिकतम मात्रा रेल मार्ग द्वारा मुगल-सराय के रास्ते ही भेजी जाय । भारत सरकार के लिये यह सम्भव नहीं कि सारा कोयला इसी रास्ते से भेजा जाये, क्योंकि इस से आन्तरिक सम्भरण पर प्रभाव पड़ सकता है । तथापि हम पश्चिम की ओर से रेल मार्ग द्वारा लगभग ४८,००० टन तक भेजने के लिये तैयार हो गये हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से अभी पता चला है कि कोयले के मूल्यों पर नियंत्रण है । मैं एक शंका दूर करना चाहता हूं । वह यह है : खुले टैंडर की प्रणाली के मूल्य उद्धृत किये गये मूल्यों और टैंडरों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि यह कोयले के मूल्यों के नियंत्रण के साथ कैसे चल सकता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : खुले टैंडर की प्रणाली से पाकिस्तान सरकार कोयले के संभरण के लिये केवल सार्थों का चुनाव कर सकेगी । अब तक पाकिस्तान सरकार को कोयला आयुक्त के पास एक संचित मांग भेजनी पड़ती थी जो सार्थों को चुन कर आन्तरिक आवश्यकताओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को निर्यात किये जाने वाले कोयले की मात्रा तथा प्रकार के बारे में निश्चय करता था । केवल यह

परिवर्तन हुआ है कि खुले टेंडर की प्रणाली के अधीन पाकिस्तान सार्थों को चुन सकेगा। मूल्य का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं फिर कहता हूं कि मैं ने जो कुछ कहा है वह अब जारी की गई प्रणाली के बिल्कुल अनुकूल है।

साइकिलें (निर्यात)

*९९९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में भारत में बनी हुई कितनी साइकिलों का निर्यात किया गया ;

(ख) निर्यात के समय निश्चित किया गया मूल्य क्या है ; और

(ग) किन देशों को इन का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ग). व्यापार सम्बन्धी आंकड़ों में साइकिलों के निर्यात का पृथक् अभिलेख नहीं रखा जाता। किन्तु निर्माताओं द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि १९५३-५४ में तिब्बत को २०० साइकिलें भेजी गई थीं।

(ख) साइकिलों के मूल्यों पर कोई नियत्रण नहीं है। पता चला है कि तिब्बत को २०० साइकिलें २३,६०० रुपये के मूल्य पर निर्यात की गई थीं।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या हम अपनी आवश्यकता से अधिक साइकिलें निर्माण करते हैं जोकि दूसरे देशों को भी इन का निर्यात किया जाता है ?

श्री करमरकर : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि स्थानीय उत्पादन हमारी आवश्यकता से कम होता है। परन्तु तिब्बत में साइकिलों की आवश्यकता थीं और इस आशा से कि हम शीघ्र ही अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगेंगे निर्यात मंडी का विकास करने के लिये ये साइकिलें भेजी गई थीं।

श्री एल० एन० मिश्र : नई आयात नीति के अनुसार हमें बाहर से साइकिलों का आयात करना है। हम किन किन देशों से आयात करेंगे और भारत में निर्मित साइकिलों की तुलना में उन के मूल्य की क्या स्थिति होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : साधारणत: हम इंग्लैंड से आयात करते हैं। परन्तु दूसरे देशों जैसे जापान और जर्मनी से भी साइकिलों का आयात किया जाता है। यदि कोई चाहे तो अमरीका से भी इनका आयात किया जा सकता है। अलग अलग समवायों की साइकलों के अलग अलग मूल्य होते हैं। साधारणत: इस देश में बनने वाली सेन-रैले समवाय द्वारा बनाई गई 'राबिनहुड' और टी० आई० साइकिल्ज़ की हरकुलीस इत्यादि जैसी प्रमाणिक साइकिलों के मूल्य की अपेक्षा आयात की जाने वाली साइकिलों का मूल्य कुछ अधिक होता है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि कुछ साइकिलें अथवा साइकिलों का सामान भारत से पश्चिमी जर्मनी को भेजा गया था और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

श्री करमरकर : मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

आकाशवाणी

*१००२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रमों को छात्रों में लोकप्रिय बनाने के लिये कोई नई कार्यवाहियां की गई हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की कोई समिति बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को छात्रों में अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :

(१) केन्द्र संचालकों ने शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्षों तथा अध्यापकों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किये हैं ;

(२) छात्रों को नाटकों, स्कूल की पत्रिकाओं, हंसी मजाक के कार्यक्रमों, चर्चाओं, वाद विवादों तथा कविता पाठ इत्यादि में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ;

(३) प्रायः स्कूलों में अथवा छात्रों के लिये रुचिकर अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं और सारा कार्यक्रम वहीं से प्रसारित किया जाता है ;

(४) स्कूल के सेटों को बढ़ाने के निरन्तर यत्न किये जा रहे हैं ।

(ख) स्कूल कार्यक्रम प्रसारित करने वाले अधिकतर केन्द्रों की परामर्शदाता सूचियां हैं, जिन में शिक्षा-सम्बन्धी अधीक्षक तथा अध्यापक होते हैं ।

(ग) एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३७]** ।

श्री नवल प्रभाकर: स्टेटमेंट में और सब केन्द्रों की समितियों का विवरण दिया गया है लेकिन दिल्ली के लिये कोई समिति नहीं बनाई गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रम के निमित्त कोई समिति नहीं बनाई गई, इस का क्या कारण है ?

डा० केसकर : बात यह है कि हर जगह से एजूकेशनल कार्यक्रम नहीं हो रहे थे । शुरुआत हो रही है । जहां काफी संख्या में कार्यक्रम हो रहे हैं वहां कमेटियां बनाई गई हैं । दिल्ली के बारे में क्यों नहीं बनी मैं नहीं बता सकूंगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : विवरण में दिये गय नाम बहुत प्रभावोत्पादक है, परन्तु क्या माननीय मंत्री को विदित है कि हलका संगीत सुनने के लिये लोग श्रीलंका रेडियो सुनते हैं, शिक्षा सम्बन्धी प्रसारणों के लिये बी० बी० सी०, और इस सभा की ठीक ठीक कार्यवाही जानने के लिये वे आकाशवाणी के प्रसारण की अपेक्षा समाचारपत्रों पर विश्वास करते हैं ?

डा० केसकर : सम्भव है बुद्धिमान् छात्र बी० बी० सी० के शिक्षा सम्बन्धी प्रसारणों को सुनते हों । हमारे शिक्षा सम्बन्धी प्रसारण अधिकतर भारतीय भाषाओं में होते हैं । मैं ने तो अभी तक नहीं सुना कि बी० बी० सी० के कार्यक्रम भारतीय भाषाओं में होते हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद: क्या सरकार को यह विदित है कि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में सुनाई गई इस सभा की कार्यवाही भी ठीक नहीं होती है ?

डा० केसकर : क्या यह प्रश्न इस में से उत्पन्न होता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इन समितियों ने विश्वविद्या-

लयों के लिये भी कोई कार्यक्रम प्रसारित करने की सिफारिश की है ?

डा० केसकर : अभी तक विश्वविद्यालयों के लिये खास कार्यक्रम सब जगह शुरू नहीं हुए ह, केवल एक या दो स्थानों में होते हैं, जैसे पूना के विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर और प्रोफेसर मिल कर रेडियो से विश्वविद्यालय के लिये कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं ।

श्रीमती इला पालचौधरी उठीं —

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

एकीकृत प्रचार कार्य-क्रम

*१००३. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पच वर्षीय योजना के लिये एकीकृत प्रचार कार्यक्रम के अधीन चल-चित्रों द्वारा ग्रामीण लोगों को योजना का महत्व बतलाने वाली चलती-फिरती चल-चित्र गाड़ियों में वृत्तचित्र आदि रखे हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किन किन राज्यों में ये गाड़ियां जा चुकी हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) ३७ गाड़ियां मंगाई गई थीं, उन में से अब तक जो ११ आई हैं उन में वृत्तचित्र आदि रखे हुए हैं ।

(ख) ये गाड़ियां अब तक इन इन राज्यों में जा चुकी हैं :

१. हिमाचल प्रदेश
२. पंजाब
३. पैप्सू
४. दिल्ली
५. उत्तर प्रदेश
६. अजमेर
७. बम्बई
८. मद्रास
९. त्रावनकोर-कोचीन
१०. मध्य भारत
११. भोपाल ।

श्री बहादुर सिंह : इन वृत्त-चित्रों को तैयार करने में, १९५४ में कुल कितनी राशि व्यय की गई ।

डा० केसकर : वृत्त-चित्रों पर व्यय बताने के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री बहादुर सिंह : क्या ये वृत्त-चित्र सब प्रादेशिक भाषाओं में बनाये जाते हैं ? यदि नहीं, तो किन किन भाषाओं में नहीं बनाये जाते ?

डा० केसकर : पहले सब वृत्त-चित्र चार या पांच भाषाओं में बनाये जाते थे, परन्तु अब जो वृत्त-चित्र पंचवर्षीय योजना के प्रचार के लिये बनाये जाते हैं वे सब प्रादेशिक भाषाओं में बनाये जा रहे हैं ।

श्री बहादुर सिंह : वृत्त-चित्रों द्वारा पंचवर्षीय योजना के प्रचार का ढंग ग्रामीण लोगों में कहां तक सफल हुआ है ?

डा० केसकर : हम ने देखा है कि ग्रामीण जनता और लोगों को पंचवर्षीय योजना के विषय में बतलाने के लिये संभवतः यह सर्वोत्तम ढंग है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री कृष्ण चन्द्र ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरा निवेदन है कि इस के साथ ही प्रश्न सं० १०३६ को भी ले लिया जाये ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं दोनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर देने के लिये तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां । दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया जा सकता है ।

मोटर गाड़ी उद्योग

***१००४. श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने, प्रशुल्क आयोग के इस कथन के अनुसार कि मोटर गाड़ी उद्योग के विकास में मुख्य अड़चनों में से एक मांग की कमी है, देश में मोटर गाड़ियों की मांग बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा उस का करने का विचार है ;

(ख) क्या आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप देश में मोटर गाड़ियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) देश में मोटर गाड़ियों के उत्पादन और मांग के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) स्पष्टतः इस सम्बन्ध में सरकार की कार्यवाही पर बहुत प्रतिबन्ध लगे हुए हैं । सरकार ने इस दिशा में एक यह कार्य किया था कि आयात शुल्क में कमी कर दी थी । परिवहन योजना अध्ययन दल भी, जिसे परिवहन मंत्रालय ने स्थापित किया था, अन्य ऐसे उपायों का अनुसन्धान कर रहा है जिन से मोटर गाड़ियों की मांग में वृद्धि हो ।

(ख) जी हां, कुछ सीमा तक ।

(ग) प्रशुल्क आयोग के अनुमान के अनुसार भारत में मोटर गाड़ियों की मांग प्रति वर्ष १८,००० और २०,००० के बीच है । इस के विरुद्ध १९५३ में जोड़ी गई गाड़ियों की संख्या लगभग १४,००० थी और जनवरी-जुलाई १९५४ में लगभग ७,२०० मोटर गाड़ियां जोड़ी गई थीं ।

मोटर गाड़ियों का बाजार

***१०३६. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में जो देश के मोटर गाड़ियों के बाज़ार में काफी संकोच हो गया था, क्या १९५४ में उस के सुधार के कुछ चिन्ह दिखाई दिये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने १९५० से कारों और ट्रकों की न्यूनतम कुल मांग का वार्षिक प्राक्कलन तैयार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तुलनात्मक आंकड़ों की स्थिति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार इस विषय में कोई विचार प्रकट नहीं कर सकती ।

(ख) और (ग). प्रशुल्क आयोग ने १९५३ में मोटर उद्योग की जांच के पश्चात् मांग का एक प्राक्कलन दिया था । तत्पश्चात् कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र : क्या देशी उत्पाद का मूल्य कम होने की कोई संभावना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान् । हमें आशा है कि यह कम होगा ।

श्री मात्तन : श्रीमान्, कब ?

कुछ माननीय सदस्य उठे--

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस प्रथा की ओर दिलाना चाहता हूं जिस का मैं अनुसरण करता रहा हूं और जिसे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सदस्य भूल गये हैं और वह यह है कि उस माननीय सदस्य को जिस ने प्रश्न पूछा हो अनुपूरक

प्रश्न पूछने का पहले अवसर दिया जाये, और तत्पश्चात्, यदि सम्भव हो, तो अन्य सदस्यों की बारी आयेगी ।

अच्छा, श्री कृष्ण चन्द्र ।

श्री कृष्ण चन्द्र : इस देश में इस समय मोटर गाड़ियों के कितने प्रतिशत पुर्जों का निर्माण होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सिवाय उन कारों के जो विदेश से आने वाले लोग अपने साथ सामान के रूप में लाये हैं, लगभग अन्य सब कारें जो यहां बेची जाती हैं इस देश में जोड़ी जाती हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र : क्या बिक्री कर इस मोटर उद्योग की प्रगति में एक बाधा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य जो चाहे निष्कर्ष निकाल सकते हैं । केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री के लिये यह कहना उचित नहीं होगा कि बिक्री कर मोटर गाड़ियों की बिक्री के लिये एक बाधा है । यह सब बिक्री कर की दर पर निर्भर करता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यहां जोड़ी गई कारों का मूल्य निकट भविष्य में कम करने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने यही कहा है । हमें आशा है कि मूल्य भविष्य में कम हो जायेगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या एक ब्रिटिश सार्थ एक बहुत सस्ती किस्म की कारें बना रही है जिस का मूल्य लगभग ६,००० रुपये है और क्या सरकार का उस किस्म की कार के आयात का अभ्यंश बढ़ाने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्या का अभिप्राय उस विज्ञापन से नहीं है जो उन मूल्यों के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है जिन मूल्यों पर फोर्ड एंग्लिया बेची जा रही है, तो मैं माननीय सदस्या को यह बता देना चाहता हूं कि फोर्ड वालों को इस देश में कारें जोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है और ये कारें उन दिनों की बची हुई कारों में से शेष होंगी जब उन्हें ये कारें आयात करने की आज्ञा थी । इस समय उन कारों के अतिरिक्त जो उन के पास हैं फोर्ड एंग्लिया जोड़ कर तैयार करने को प्रोत्साहन देने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री मैघनाद साहा : क्या सारे भारत में मोटर गाड़ियों की कुल मांग एक ही कारखाने के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभकर होने के लिये पर्याप्त है, और यदि बहुत से कारखाने हैं तो क्या यह वांछनीय नहीं कि अकुशल कारखानों को बन्द कर दिया जाये और एक दो बहुत कुशल कारखानों को रखा जाये ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री मेघनाद साहा : जिन का उद्देश्य सस्ती कारों का उत्पादन हो ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कार्यवाही के लिये सुझाव दे रहे हैं । उन्हें जानकारी मांगनी चाहिये ।

श्री बंसल उठे—

अध्यक्ष **महोदय** : हां, श्री बंसल ।

श्री बंसल : क्या माननीय मंत्री का ध्यान न्यूयार्क और लन्दन के समाचारपत्रों से प्राप्त कतिपय उन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिन में यह कहा गया है कि फोर्ड न फिर भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें यहां अपनी कारों का निर्माण करने की अनुमति दी जाय ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान् । मैं ने समाचारपत्रों में प्रकाशित ये समाचार देखे हैं ।

लीपज़िग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

*१००५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गैरसरकारी भारतीय व्यापार संस्था ने लीपज़िग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें कोई अनुदान दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने धन का अनुदान दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान्

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या पूर्वी जर्मन प्राधिकारियों ने लीपज़िग मेले में सम्मिलित होने के लिये वहां गई इन व्यापार संस्थाओं को मुफ्त में पर्याप्त स्थान नियत करना स्वीकार कर लिया है ?

श्री करमरकर : मैं नहीं जानता कि उन्हों ने स्थान मुफ्त दिया है या नहीं, परन्तु उन्हों ने भारतीय विदेश व्यापार परिषद् नाम की संस्था को, जिस ने उस मेले में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये कुछ व्यक्ति भेजे हैं, सारी सुविधायें दी हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या ये भारतीय व्यापारी अन्य देशों के व्यापारियों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रख सकते हैं? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या पूर्वी जर्मन प्राधिकारियों ने भारतीय व्यापारियों के उन क्रयादेशों के लिये आयात अनुज्ञाएं दी हैं जो उन्हों ने अन्य देशों को दिये हैं ?

श्री करमरकर : पूर्वी जर्मन सरकार द्वारा दी जान वाली आयात अनुज्ञाओं का मुझे पता नहीं है । परन्तु इस मामले में, मेले के लिये पूर्वी जर्मनी जाने के लिये भारतीय व्यापारियों को अनुमति देने में हमें कोई आपत्ति दिखाई नहीं पड़ती ।

पंच वर्षीय योजना

*१००६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों ने पंच वर्षीय योजना के लिये २३० करोड़ रु० के लक्ष्य में से कुल कितना अतिरिक्त राजस्व एकत्रित किया है ;

(ख) क्या लक्ष्य तक उन के पहुंचने की कोई सम्भावना है ; और

(ग) राज्य सरकारों के साधनों के अभाव को केन्द्रीय सरकार कैसे पूरा करेगी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) राज्य सरकारों ने १९५१-५४ में अतिरिक्त कर के रूप में लगभग २९ करोड़ रु० एकत्रित किये । प्रथम तीन वर्षों में अपनाये गये कराधान के उपायों तथा चालू वर्ष के लिये प्रस्तावित उपायों से १९५४-५५ में कुल लगभग २७ करोड़ रु० अधिक प्राप्त होने का अनुमान है। वर्तमान लक्षणों के अनुसार, सम्भव है कि राज्य सरकारों को पांच वर्ष के काल में नये कराधान के द्वारा ८० करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो । वित्त आयोग पंचाट के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को योजना काल में लगभग ८० करोड़ रु० प्राप्त होंगे । इस के अतिरिक्त आशा है कि लोक-ऋण से उन्हें प्राप्त होने वाला धन, आरम्भ में

निश्चित लक्ष्य की अपेक्षा २५ से ३० करोड़ रु० तक अधिक होगा ।

(ख) योजना के सम्बन्ध में राज्य वित्त स्थिति का अनुमान शीघ्र प्रकाशित होने वाले योजना आयोग के प्रगति-प्रतिवेदन में दिया जायेगा ।

(ग) योजना के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष के लिये राज्य सरकारों की वित्तीय आवश्यकताओं पर केन्द्रीय सरकार वर्ष के लिये नियतन करते समय विचार करती है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित की जाने वाली धन-राशि में इतनी बड़ी कमी का पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : माननीय सदस्य देखेंगे कि कोई अधिक कमी नहीं है । मेरा ख्याल है कि राज्यों ने १९० करोड़ रु० तक के साधन बना लिये हैं, और अब केवल लगभग ४० या ४२ करोड़ रु० की कमी है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : कौन कौन राज्य लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं और किस किस ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं पहिले बता चुका हूं कि शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला प्रगति प्रतिवेदन हमें पूर्ण सूचना देगा । मैं माननीय सदस्य से उस प्रतिवेदन के प्रकाशित होने तक प्रतीक्षा करने की प्रार्थना करता हूं ।

श्री वेलायुधन : एकत्रित होने वाले राष्ट्रीय योजना ऋण का, विभिन्न राज्यों में योजना के उद्देश्यों के लिये कैसे वितरण होगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : मेरा ख्याल है उन्हें लगभग २५ करोड़ रु० मिलेंगे ।

श्री नानादास : क्या अपने साधनों में वृद्धि करने के लिये राज्यों को कोई अनुदेश दिये गये हैं, तथा यदि हां, तो वे अनुदेश क्या हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : मेरा ख्याल है कि योजना आयोग के प्रतिवेदन में सिफ़ारिशें पहिले से ही सम्मिलित हैं, और वे ज्यों की त्यों हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार के समक्ष वित्तीय साधनों के अभाव की समस्या नहीं है अपितु योजना को कार्यान्वित करने में कमी की समस्या है ? क्या यह भी सच है कि बहुत से राज्यों को व्यय न किया गया अनुदान वापस करना है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं समझता हूं कि प्रश्न में निहित विचार में कदाचित कुछ सत्यता है ।

ताड़-गुड़ उद्योग

*१००७. **श्री तिम्मय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ताड़-गुड़ उद्योग के विकास के लिये मैसूर राज्य को १९५३ में और १९५४ में अब तक कितना धन दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सूचना सभापटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३८]**.

श्री तिम्मय्या : क्या इस उद्योग के विकास के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो क्या हम यह जान सकते हैं कि उद्योग का कितना विकास हुआ है ?

श्री करमरकर : मैसूर से या प्रत्येक स्थान से ?

श्री तिम्मय्या : मैसूर से ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल मैसूर के बारे में है ।

श्री करमरकर : मैसूर के बारे में मेरे पास कोई विशेष सूचना नहीं है । सम्भव है कि हमें प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हों, परन्तु इस समय में इस बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

चलचित्र

***१००८. श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री के पदक देने के लिये १९५३ के सर्वश्रेष्ठ चलचित्रों को प्रवरित कर लिया गया है ;

(ख) क्या सर्वश्रेष्ठ चलचित्र चुनने का कोई प्रवरण बोर्ड है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रवरण का आधार क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) पारितोषिकों के लिये प्रवरण हो रहा है और अभी पूर्ण नहीं हुआ है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) प्रवरण समिति इस बात पर विचार करती है कि निम्न बातों के सम्बन्ध में चलचित्रों में कितनी उत्तमता आई है :

(१) कथावस्तु और उस का चित्रण, (२) दिग्दर्शन, (३) अभिनय, (४) चित्र कला तथा ध्वनि-अभिलेखन, और (५) संगीत ।

श्री एम० आर० कृष्ण : देश में किन किन मुख्य भाषाओं में वृत्त चलचित्र बनाये गये, और क्या प्रत्येक भाषा के सर्वश्रेष्ठ चलचित्र के लिये पारितोषिक दिया जायेगा, या केवल हिन्दी में बनाये गये चलचित्रों को दिया जायगा ?

डा० केसकर : केवल एक राष्ट्रपति पारितोषिक है और वह भाषा के भेदभाव के बिना सर्वश्रेष्ठ चलचित्र को दिया जायेगा : परन्तु इस के अतिरिक्त, भाषा चलचित्रों के लिये प्रादेशिक पारितोषिक होंगे । क्योंकि इस वर्ष प्रथम बार राष्ट्रपति-पारितोषिक दिया जा रहा है, इसलिये इस वर्ष कोई प्रादेशिक पारितोषिक न होगा । यह केवल आगामी वर्ष से आरम्भ होगा ।

श्री एम० आर० कृष्ण : सर्वश्रेष्ठ चलचित्र का प्रवरण करने के लिये जो समिति स्थापित की गई है, क्या उस में राज्यों के सारे भाषा-क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है ?

डा० केसकर : इस समिति में काम करने के लिये ऐसे व्यक्ति लिये जाते हैं जो अपने पास आने वाले अनेक चलचित्रों के साथ, चाहे वे किसी भी भाषा में हों, पूर्ण न्याय कर सकेंगे ।

चाणक्यपुरी (राजनयिक बस्ती)

***१०१०. श्री बी० के० दास** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में चाणक्यपुरी के विकास में आज तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कितने भू-खण्डों का विक्रय हो गया है या पट्टे पर दिये जा चुके हैं ; और

(ग) किन किन कूटनीतिक मिशनों ने भूमि ले ली है या अन्यथा चाणक्यपुरी में अपने मिशनों के लिये आवास का प्रबन्ध कर लिया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ग) एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी है, सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ख) २१०।

श्री बी० के० दास : क्या अब तक किसी कूटनीतिक मिशन का कार्यालय वहां हट गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हटाने का कोई प्रश्न नहीं है । अपने अपने भवन तैयार होने पर उन्हें वहां जाना है । जब कि अभी उन के भवन तैयार नहीं हुए हैं, हम उन्हें वहां जाने के लिए विवश नहीं कर सकते ।

श्री बी० के० दास : क्या यह सच है कि वहां भू-खण्डों की अधिक मांग नहीं है, और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं, यह ठीक नहीं है कि वहां अधिक मांग नहीं है । वास्तव में मांग काफी है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री एस० एन० दास : इस में कितना और समय ....

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत , अनुज्ञप्तियों

***१०१३. श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने और उन के महत्वपूर्ण विस्तार के लिए बनाये गये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत बनी अनुज्ञप्ति समिति द्वारा प्राप्त और स्वीकृत आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि उन की स्थापना और विस्तार के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस०– ३४०/५४]**

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय के लिये यह सम्भव होगा कि वह उद्योगानुसार लगाई गई पूंजी के आंकड़े दें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह विवरण रूपी बड़ी पुस्तिका है । निश्चय ही मेरे माननीय मित्र मुझ से किसी मौखिक विश्लेषण की अपेक्षा नहीं करेंगे ।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हू कि इन नये अधिनियम के कार्यान्वित होन से १ सितम्बर, १९५४ तक कितनी पूंजी लगाई जा चुकी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास पूंजी को बताने वाला कोई विवरण नहीं है ।

श्री बंसल : विवरण के स्तम्भ ६ में कार्यसाधक कार्यवाहियों के किये जाने के सम्बन्ध में मैं ने देखा कि कार्यसाधक कार्यवाहियां विशिष्ट निधियों पर की जाने वाली हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जो इस बात की देखभाल करे कि कार्यसाधक कार्यवाहियां उल्लिखित तिथियों पर या उन के पूर्व की जाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अधिक से अधिक हम यही करते हैं कि हम पता लगाते हैं कि क्या कार्यसाधक कार्यवाहियां नहीं की जा रही हैं । यदि वे नहीं की जा रही हैं तो उस पक्ष को सूचना दी जाती है । यह व्यवस्था वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की है ।

हिमालय की चोटियां

***१०१६. श्री बादशाह गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशियों को हिमालय की उच्च चोटियों पर चढ़ने के सम्बन्ध में प्रोत्साहन देने के

प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : विदेशी लोगों को इस कार्य के लिये कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । हिमालय की अधिकांश प्रसिद्ध चोटियां या तो भारत की अन्त: सीमारेखा के उस पार हैं या नैपाल में हैं । जहां तक अन्त: सीमारेखा के उस पार के क्षेत्र का प्रश्न है विदेशियों को अनुमति नहीं दी जाती है ।

२. नैपाल में विदेशी पर्वतारोही अभियानों के सम्बन्ध में कुछ सुविधायें प्रदान की गई हैं जैसे मार्ग दृष्टांक, पुनर्निर्यात किये जाने वाले सामान पर शुल्क मुक्ति तथा विशेष मौसम की पूर्व सूचना का प्रसारण ।

श्री बादशाह गुप्त : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने विदेशी पर्वतारोही दलों को हिमालय की चोटियों पर चढ़ने की अनुमति प्रदान की गई ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री बादशाह गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि अनुमति देते समय आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों के चित्र उतारने पर कोई प्रतिबन्ध भी लगा दिया जाता है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उत्तर में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह पर्वतारोहण अभियान अधिकांश रूप में भारत के बाहर नैपाल में होते हैं । अत: केवल उन के भारत से हो कर जाने की अनुमति का ही प्रश्न उठता है जिन पर्वतों पर वह चढ़ते हैं उन में से अधिकांश भारत के बाहर हैं । एक बार उन पर्वतों पर पहुंच जाने के बाद वह वहां के अनेकों चित्र उतारते हैं । मेरा विचार है कि यह भी उन के वहां जाने के उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य है ।

श्री कासलीवाल : क्या सरकार का ध्यान रूस से निकले कुछ इस उद्देश्य के प्रतिवेदनों की ओर आकर्षित हुआ है कि इन विदेशियों का यहां आने का मुख्य अभिप्राय हिमालय की चोटियों पर चढ़ना नहीं रहता बल्कि उन का दूरस्थ विचार यहां के स्थानों की सैनिक परीक्षा करना रहता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, मैं ने इस प्रकार के अनेक प्रेस प्रतिवेदन देखे हैं मैं पुन: सभा को स्मरण दिलाता हूं कि वह स्थान भारत के बाहर है ।

एशिया फिल्म समारोह, लंदन

*१०१७. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी १९५५ में लन्दन में एक एशिया फिल्म समारोह होने जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को इस समारोह में भाग लेने के लिये कोई निमंत्रण मिला है ; और

(ग) यदि उपरोक्त (ख) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या भारत ने उस में भाग लेने का निश्चय कर लिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग) हां, श्रीमान् ।

श्री ए० एम० थामस : क्या सरकार को कुछ पता है कि इस समारोह में कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं ?

डा० केसकर : अभी हम समारोह के निश्चित कार्यक्रमों से अवगत नहीं हैं । इस समारोह की जन्मदात्री एशिया फिल्म सभा लन्दन है और हमारे लन्दन स्थित उच्चायुक्त उस के सरक्षकों में से एक हैं । उन्हों ने हमें आमंत्रित किया है और हम ने उसे

स्वीकार कर लिया है । पर हमें अभी अन्य विवरणों का पूर्ण ज्ञान नहीं है ।

श्री ए० एम० थामस : इस समारोह में भाग लेने में जो व्यय होगा उसे कौन पूरा करेगा ?

डा० केसकर : साधारणतया, भारत सरकार भाग लेने नहीं जायेगी--भारत से फिल्में भेज दी जायेंगी । फिल्मों का चुनाव करने में सरकार, निश्चय ही, ध्यान रखेगी कि ऐसी फिल्मों को समारोह में भाग लेने के लिये भेजा जाये जिन को हम भेजने योग्य समझते हैं और यह समझते हैं कि एक अन्तर्राष्ट्रीय समारोह में लोग उस की प्रशंसा करेंगे ।

मचकुंड योजना

*१०१८. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त १९५४ के तृतीय सप्ताह में दिल्ली में योजना आयोग और आन्ध्र तथा उड़ीसा के सम्बन्धित प्रतिनिधियों के बीच मचकुंड योजना के प्राक्कलन के पुनरीक्षण के प्रश्न पर कोई चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा का परिणाम क्या रहा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) मचकुंड योजना के प्राक्कलन के पुनरीक्षण के प्रश्न पर आन्ध्र तथा उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों से कोई चर्चा नहीं हुई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं जान सकता हू कि इस योजना में केन्द्र का कितना अशदान होगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : मेरा विचार है अभी वह स्थिति नहीं आई है ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के सम्बन्ध में आन्ध्र और उड़ीसा सरकार के बीच सम्पन्न किये गये समझौते के सम्बन्ध में क्या सरकार हमें कुछ बता सकती है ?

श्री एस० एन० मिश्र : हमें कोई सूचना नहीं है कि इन दोनों सरकारों के बीच कोई समझौता सम्पन्न हुआ है ।

उत्तर पूर्वीय सीमान्त अभिकरण

*१०१९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वीय सीमान्त अभिकरण की शासकीय सुविधाओं के लिये सरकार कितने वैतनिक कुली रखती है ;

(ख) उन में से प्रत्येक कुली को प्रति मास वेतन तथा ऊपरी आय में कितना धन मिलता है ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में अब भी बेगार लेने की प्रथा प्रचलित है ; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) १८८० ।

(ख) कुलियों का वेतन दर २२½/२८ रुपया प्रतिमास तथा निःशुल्क गल्ला और कपड़ा ।

(ग) और (घ) नहीं । सभी अधिकारियों को कठोर आदेश दे दिये गये हैं कि वे बेगार न लें और न लेने दें ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच नहीं है कि वहां पर एक अधिनियम है जिसे श्रम अधिग्रहण अधिनियम, १९५४ कहा जाता है और इस अधिनियम के अनुसार उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के अधिकारियों को किसी

भी समय किसी भी कार्य के लिये कितने भी कुलियों की सेवा लेने का अधिकार होगा ?

श्री जे० एन० हजारिका : राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित वह विनियम अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : वह आपात काल के लिये है पर उस का प्रयोग नहीं किया गया और मुझे आशा है उस का प्रयोग नहीं किया जायेगा जब तक कि कोई गम्भीर आपात न उत्पन्न हो । यह नित्य के साधारण कार्य के लिये नहीं है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं जान सकता हूं कि उस क्षेत्र में इस अधिनियम को कार्यान्वित करना अब भी क्यों आवश्यक है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अभी मैं ने उस का उत्तर दिया है । यह अधिनियम आपात काल के लिये है । सभा को स्मरण होगा कि एक या दो वर्ष पूर्व सीमा प्रदेश में गम्भीर आपात काल था जबकि दुर्भाग्यवश हमारे अनेक अधिकारी तथा अन्य लोग किन्हीं आक्रमणकारियों द्वारा मार डाले गये थे । मुझे यह कहना चाहिये कि हम ने सापेक्ष शान्तिपूर्ण ढंग से गम्भीर परिणामों का निवारण करते हुए उन आक्रमणों का सामना किया । उसी के परिणामस्वरूप यह विचार किया गया कि कुछ अधिकार अवश्य रखे जावें । परन्तु, जैसा कि मैं कह चुका हूं, इन का प्रयोग नहीं किया जाता और कठोर आदेश परिचारित किये गये हैं कि किसी प्रकार की बेगार न ली जाय ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रधान मंत्री हमें आश्वासन दिला सकते हैं कि इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : निश्चय ही मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिला सकता हूं कि हम इस बात का अधिकतम प्रयत्न करेंगे कि उस का दुरुपयोग न हो ।

सोडा ऐश का कारखाना

***१०२०. श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ अगस्त, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १६९ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सोडा ऐश के उत्पादन के लिये प्रस्तावित कारखाना गैरसरकारी उपक्रम होगा या सरकारी होगा अथवा दोनों का एक सम्मिश्रण ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) अभी इस अवस्था पर उस उपक्रम का ठीक-ठीक स्वरूप बताना सम्भव नहीं है ।

श्री मेघनाद साहा : इस स्थान को, जहां न तो कच्चा माल है और न ही एक अच्छी मंडी, चुनने के क्या विशेष कारण हैं ?

श्री करमरकर : कौन सा स्थान ?

अध्यक्ष महोदय . प्रस्तावित स्थान

श्री करमरकर : स्थिति यह है कि अभी तक कोई विशेष स्थान रखने का विचार नहीं किया गया है ।

बर्मा में भारतीय राष्ट्रजन

***१०२१. श्री विश्वनाथ राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि बर्मा में कार्य नियोजित भारतीय राष्ट्रजन स्वयं अपनी बचत तक से ५० रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमास से अधिक राशि भारत को नहीं भेज सकते हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : बर्मा के भारतीय राष्ट्रजन अपनी-

आर्डर के द्वारा बिना विनिमय नियंत्रण के प्रति व्यक्ति प्रति मास ४० रुपये तक भारत को भेज सकते हैं। यदि मासिक आय २०० रुपये से अधिक होती है, तो आम तौर पर आय का ५० प्रतिशत भारत को भेजने की अनुमति दी जाती है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या इन प्रतिबन्धों के हटाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : ये बर्मा में सामान्य प्रतिबन्ध हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार को इस विषय में कोई जानकारी है कि बर्मा के बैंकों में भारतीय राष्ट्रजनों की कितनी धनराशि जमा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी नहीं, मैं समझता हूं कि हमारे पास यह सूचना नहीं है ।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या वैसे ही प्रतिबन्ध भारत में बर्मी राष्ट्रजनों के लिये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : जहां तक मुझे मालूम है, नहीं ।

डीजेल इंजन

***१०२२. श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३१ अगस्त, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर के भाग (क) में बताई गई परिवर्तित स्थिति में भी डीज़ेल इजिन निर्माण उद्योग का ७० प्रतिशत प्रतिस्थापित सामर्थ्य बेकार पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि नहीं, तो बेकार पड़े हुए सामर्थ्य की प्रतिशतता सम्बन्धी नवीनतम आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि डीज़ेल इंजिनों के क्रय के मामले में सरकार केवल विशिष्ट विदेशी बनने के इंजिन खरीदने के निदेश देती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) आम तौर पर कोई उद्योग जितने सामर्थ्य का दावा करता है, वह वास्तविक सामर्थ्य या उस के प्रभावोत्पादक सामर्थ्य से अधिक होता है । अतः प्रतिशतता के रूप में किसी उद्योग के बेकार पड़े हुए सामर्थ्य का हिसाब लगाने का प्रयत्न यह गलत चीज़ होगी । ऐसा समझा जाता है कि डीज़ेल इंजिन उद्योग में कारखानों का उत्पादन केवल डीज़ेल इंजिन तक ही सीमित नहीं है । अन्य प्रकार के यंत्र भी बनाये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं । इस के विपरीत, सरकार की इच्छा यह है कि हमारी सारी आवश्यकतायें स्वदेशी उत्पादों से पूरी की जायें ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रश्न में जिस प्रश्न का हवाला दिया गया है, उस में सरकार ने स्वीकार किया है और कहा है कि विदेशों में बने हुए कई डीज़ेल इंजिन सरकारी प्रयोजनों के लिये खरीदे गये थे और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि डीज़ेल उद्योग का बहुत सा सामर्थ्य बेकार पड़ा हुआ है, क्या सरकार ने कभी यह आवश्यक समझा है कि वह काफी पहले से भारतीय उद्योग को सरकार की वास्तविक आवश्यकतायें और विशेष विवरण भी बता दे

ताकि वे उन को यहां बनाने की योजना बना सकें ?

श्री करमरकर : जहां तक भारत सरकार की नीतियों का सम्बन्ध है वे उन निदेशों में निर्धारित की जा चुकी हैं, जिन के बारे में मेरे आदरणीय सहयोगी, निर्माण, आवास तथा संभरण मन्त्री, सदन को अच्छी तरह बता सकेंगे । हमारी नीति स्वदेशी उत्पादन की सहायता करने की रही है । परन्तु—संभव है मैं इस में कुछ गलत कह रहा हूं—मैं समझता हूं कि जहां पर कोई माल मंगाने वाला व्यक्ति किसी विशिष्ट बनन की मांग करता है, तो हम उसी माल का आर्डर दे देते हैं । परन्तु इस के बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता ।

श्री वी० पी० नायर : पिछली बार यह उत्तर दिया गया था कि सरकार ने कुछ विदेशों में बने हुए डीज़ेल इंजिन भी खरीदे थे । क्या मैं यह समझूं कि उन के लिये यह आर्डर इसलिये दिया गया था और सरकार द्वारा विदेशी बने हुए डीज़ेल इंजिन इसलिये खरीदे गये थे क्योंकि भारत में अपेक्षित विवरण के ऐसे इंजिनों का कोई निर्माण नहीं था अथवा सरकार निर्मित माल से सन्तुष्ट नहीं थी ?

श्री करमरकर : यदि माननीय सदस्य निश्चित रूप से यह बतायें कि किस ने किस प्रश्न का उत्तर कब दिया था, तो मैं निश्चय ही इस मामले पर विचार करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न एक अन्य प्रश्न की ओर निर्देश करता है जिस का उत्तर ३१ अगस्त को दिया गया था ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने यहां पर जो उत्तर दिया, मेरा प्रश्न उस के अतिरिक्त है ।

श्री करमरकर : मैं ने यह नहीं समझा था कि मेरे माननीय मित्र उसी प्रश्न का हवाला दे रहे थे । यहां पर मैं ने उस प्रश्न का सुसंगत उत्तर दे दिया है । इस के अतिरिक्त, मैं सदन को यह बता चुका हूं कि भारत में किसी भी वस्तु के क्रय के सम्बन्ध में हमारी सामान्य नीति क्या है ।

श्री वी० पी० नायर : जिस प्रश्न का मैं ने अपने वर्तमान प्रश्न में हवाला दिया है, उस का जब उत्तर दिया गया था, तो उन्हों ने कहा था कि सरकार ने लगभग सौ विदेशी डीज़ेल इंजिन खरीदे थे । अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार के लिये ऐसा करना इसलिये आवश्यक था कि भारत में बने हुए डीज़ेल इंजिनों से सरकार को सन्तोष नहीं था अथवा भारत में बने हुए इंजिनों में वे विशेष बातें नहीं थीं जो सरकार चाहती थी ?

श्री करमरकर : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : उन का कहने का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि तारांकित प्रश्न संख्या ३१७ का उत्तर दिया गया था .....

श्री करमरकर : माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से वे मदें बताई हैं जिन के अधीन वह जानकारी चाहते थे और उत्तर में हमने वह जानकारी दे दी है । भाग (ग) में उन्हों ने पूछा है "क्या यह भी सच है कि डीज़ेल इंजिनों के क्रय के मामले में सरकार केवल विशिष्ट विदेशी बनन के इंजिन खरीदने के निदेश देती है ? इस का हम ने उत्तर दे दिया है, और मैं ने यह कहा कि जहां तक मुझे मालूम है, यदि कोई माल मंगाने वाला व्यक्ति किसी विशिष्ट बनन की मांग करता है, तो हम वैसा ही माल देते हैं । उठाये गये प्रश्नों का यह मेरा पूरा उत्तर है ।

विदेशों में भारतीय दूतावास

*१०२३. **श्रीमती जयश्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय गणतंत्र दिवस अथवा भारतीय स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिये विदेशों में भारतीय राजदूतावासों को क्या सामान्य अनुदेश दिये जाते हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : हमारे सभी राजदूतावासों में गणतंत्र दिवस—२६ जनवरी—एक मुख्य राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है । उस दिन छुट्टी रहती है, और स्वागत समारोह किये जाते हैं जिन में आम तौर पर राजदूतगण, सम्बन्धित देश के सरकारी अधिकारी तथा वहां रहने वाले भारतीय आमंत्रित किये जाते हैं ।

स्वतंत्रता दिवस—१५ अगस्त— को भी छुट्टी रखी जाती है, यद्यपि कोई विशेष समारोह नहीं होता है । आम तौर पर वहां रहने वाले भारतीय और राजदूतावासों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण इकट्ठा हो कर समारोह में भाग लेते हैं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या इस वर्ष १५ अगस्त को इंडिया हाउस में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं पता लगाऊंगा ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि वह दिवस नहीं मनाया गया था—क्योंकि उस दिन मैं लन्दन में था —और यह कहा गया था कि उस दिन इतवार होने के कारण कोई नहीं आयेगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं कह चुका हूं कि मैं इस मामले में पूछताछ करूंगा ।

श्रीमती जयश्री : क्या १५ अगस्त का दिन मनाया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : यद्यपि इस दिन कोई विशेष समारोह नहीं होता है, फिर भी उस दिन छुट्टी रहती है ।

सागो (साबूदाना)

*१०२४. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में प्रवर्त्तन पुलिस की कलकत्ता शाखा ने ४० लाख रुपये से अधिक मूल्य का २०,००० मन सागो अपने अधिकार में ले लिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस वस्तु के विश्लेषण से यह पता चला कि वह असली सागो नहीं, बल्कि निम्नतर पौष्टिकता वाला 'टेपियोका का दाना' है ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों से लोग जो कुछ खरीद रहे थे वह असली सागो नहीं बल्कि केवल एक नकली वस्तु थी ; और

(घ) क्या सागो की किस्म पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार ने कोई निश्चय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). जी नहीं । खाद्य प्रतिमान की केन्द्रीय समिति ने सागो की जो परिभाषा की है, उस के अनुसार वह सागो वृक्ष या टेपियोका की जड़ से प्राप्त होने वाला एक मंड (स्टार्च) पदार्थ है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि बंगाल सरकार ने पुलिस द्वारा जब्त किये गये सागो को बिक्री के लिये मुक्त कर देने का आदेश दे दिया है ?

श्री करमरकर : जी हां । हमें विदित था कि बंगाल सरकार साबूदाना नामक

वस्तु के स्टाकों को मुक्त करने के लिये अनुकूल थी, और जहां तक इन का सम्बन्ध है, उन्हों ने इन्हें मुक्त करना स्वीकार किया है ।

श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि आदेश जारी किये जाने के बाद भी स्टाक मुक्त नहीं किया गया ?

श्री करमरकर : इस के बारे में मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या कलकत्ता के पुलिस उप-आयुक्त ने ऐसा कोई परिपत्र निकाला है कि यह सागो असली है और इसे जब्त करने में बंगाल सरकार ने अविवेक से काम लिया ।

श्री करमरकर : मैं बात को अधिक स्पष्ट करुंगा । मुझे पता चला है कि दो प्रकारों से कार्यवाही की गई । एक तो साधारण दण्ड विधि के अन्तर्गत धोखा देने के अपराध में की गई क्योंकि इसे सागो बताया गया था ; किन्तु मेरे इस कथन का शोधन हो सकता है । वैसे तो सागो—जिसे वस्तुतः सागो कहते हैं—मलाया से आता है । सागों में टैपिओका के उन दानों का भी समावेश होता है जिन्हें हम साबूदाना कहते हैं । मैं पहले ही बता चुका हूं कि बंगाल सरकार ने उन स्टाकों को मुक्त करना स्वीकार किया है जिन के बारे में उन्हों ने कार्यवाही आरम्भ की थी ।

मुझे पता चला है कि कलकत्ता की महापालिका भी कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है और वही हमारी इस समय की कठिनाई है । मुझे बताया गया है कि बंगाल सरकार ने कलकत्ता की महा-पालिका के साथ यह मामला उठाया है । हमारी राये में, हमारे देश में उत्पन्न होने वाले टैपिओका के दाने सागो में आ जाते हैं । हम ने १९४० के बाद मलाया से आने वाले सागो पर निरन्तर रोक लगाया है । वर्तमान स्टाक जो है वह टेपिओका के दानों से बनाया जाता है, और माननीय सदस्य जानते ही होंगे कि वह एक संरक्षित उद्योग है ।

भाखड़ा-नंगल परियोजना में भ्रष्टाचार

*१०२५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है भाखड़ा-नंगल परियोजना के कुछ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करने के लिये १९५२ में एक विशेष जांच अभिकरण नियुक्त किया गया था ; और

(ख) यदि हां, अब तक भ्रष्टाचार के कितने मामलों की जांच की जा चकी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) १६ ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी नदी परियोजनाओं में इस प्रकार के विशेष जांच अभिकरण नियुक्त किय गये हैं ?

श्री हाथी : यह अधिकृत जांच समिति पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी ।

श्री डी० सी० शर्मा : इन मामलों में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

श्री हाथी : सब मामलों के बारे में तो यहां मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु अतिरिक्त भुगतान की तौर पर कुल ६०,००० रुपए तथा घूस के विषय में कुछ २०,००० रुपए अन्तर्ग्रस्त हैं । यही आंकड़े इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन में से किन्हीं मामलों के बारे में अन्तिम निर्णय हुए हैं ?

श्री हाथी : जी नहीं । उन के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन पदाधिकारी

*१०२७. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह प्रणाली जिस के अनुसार भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन नव-युवक पदाधिकारियों को भारतीय परिस्थितियों का निकट अध्ययन करने के लिये तथा हमारे इतिहास तथा संस्कृति की पृष्ठ-भूमि से परिचित होने के लिये जिलों में नियुक्त किया जायेगा, अब कार्यान्वित की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने परिवीक्षाधीन पदाधिकारियों को इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिये भेज दिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां ।

(ख) चार ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होने के लिये इन्हें जिलों में कितने दिन बिताने पड़ेंगे ?

श्री अनिल के० चन्दा : भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के इस सारे मामले की हम जांच कर रहे हैं । फिलहाल, इन पदाधिकारियों को छः महीनों के लिये जिलों में रखा जाता है ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस योजना के अन्तर्गत उन लोगों को भी ज़िलों में जा कर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जो पहले ही नियुक्त किये गये थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : नहीं । केवल नवागतों के बारे में ही हम यह कर रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं उन ज़िलों के नाम जान सकता हूं जहां कि इन प्रशिक्षार्थियों को भेजा गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : इन नये से भर्ती किये गये पदाधिकारियों का प्रशिक्षण अभी अभी पूरा हुआ है । उन्हें आगरा, दरभंगा, पूना तथा रायपुर भेजा गया था ।

आकाशवाणी

*१०२८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी के कतिपय रेडियो स्टेशनों के बन्द कर देने की प्रस्थापना करती है ; तथा

(ख) यदि हां, तो किन स्टेशनों को, और कब ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). जी, हां । कतिपय स्टेशन बन्द किये जा चुके हैं और बंगलौर में ५० किलोवाट के मध्यम तरंग पारेषक के उद्घाटन के पश्चात आकाशवाणी के मैसूर स्टेशन को बंगलौर में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ।

श्री ए० एम० थामस : क्या सरकार ने कोजिकोड स्टेशन को बन्द करने का निश्चय कर लिया है, और यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

डा० केसकर : इस के पश्चात् एक प्रश्न रखा गया है, जिस का मैं बड़ विस्तार के साथ उत्तर देना चाहता हूं । यदि अनुमति हो, तो मैं उस का उत्तर पढ़ कर सुना दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : जब वह प्रश्न पूछा जाये ।

श्री राघवाचारी : मैं जान सकता हूं कि बगलौर स्टेशन का उद्घाटन कब होगा ?

डा० केसकर : मैं आशा करता हूं कि बंगलौर में पारेषक की स्थापना का कार्य इस वित्तीय वर्ष में हो जायगा ।

रूरकेला जल संभरण

***१०२९. श्री राम जी वर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि इस समय सरकार द्वारा रूरकेला स्थित भारत की नवीन इस्पात परियोजना को ग्रामनी नदी से जल प्रदाय करने की संभावना का जल-परिमापन सर्वेक्षण किया जा रहा है ; तथा

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). रूरकेला में परियोजित इस्पात संयंत्र के लिये तथा इस के उपनगर के लिये ग्रामनी नदी से जल प्रदाय करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य हाल ही में, हीराकुड बन्ध परियोजना के मुख्य इंजीनियर द्वारा किया गया था । ग्रामनी नदी में दिसम्बर १९५३ के बाद से दैनिक बहाव का निरीक्षण किया गया था । संयंत्र के लिये अपेक्षित नदी से जल की मात्रा अपनाई गई संभरण प्रणाली पर निर्भर होगी ।

प्रतिवेदन में दो वैकल्पिक प्रस्थापनायें दी गई हैं ; एक "न बहने" के आधार पर जल एकत्र करने का कुण्ड तथा बांध बनाने का है, और दूसरा होने वाले व्यय के प्रयोगात्मक प्राक्कलनों सहित बिना कुण्ड बनाये जल के "पुनः बहने" के आधार पर बनाया गया है । प्रस्तावों का अन्तिम रूप देने के लिये अधिक विस्तृत अनुसन्धानों की आवश्यकता होगी, और इस समय यह प्रतिवेदन हिन्दुस्तान इस्पात समवाय के प्राविधिक सलाहकारों के परीक्षाधीन है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या सरकार ने जल संचय सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुसन्धान किये बिना ही रूरकेला में संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया था ?

श्री के० सी० रेड्डी : प्रारम्भिक अनुसन्धान कर लिये गये थे । किन्तु अब हम और अधिक निश्चित अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि प्रतिवेदनों के अनुसार यह नदी वर्ष में किन्हीं दिनों में बिल्कुल सूख जाती है और पानी का कोई बहाव नहीं होता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि समस्त मामले की विस्तारपूर्वक जांच एक अधिकारी ने, जो अपना मत व्यक्त करने की क्षमता रखता है, की है; और मैं ने अभी अपने उत्तर में यही बताया है कि उस की उपपत्तियां क्या हैं ।

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

श्री लंका के प्रधान मंत्री का वक्तव्य

अ० सू० प्र० संख्या ११. श्री सय्यद अहमद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग :

(क) क्या सरकार का ध्यान ७ सितंबर १९५४ को श्रीलंका की प्रतिनिधि सभा में श्रीलका के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिस में :

(१) श्री के० एम० पान्निकर के नाम इस वक्तव्य के देने के आरोप लगाये गये हैं, अर्थात् :

(१) "भारत के पास त्रिंकोमाली अड्डा अवश्य होना चाहिये"; और

(२) "भारत, श्रीलंका तथा ब्रह्मा के लिये निश्चय ही मनरो सिद्धान्त

होना चाहिये, और भारत दो बच्चों, अर्थात् ब्रह्मा और श्रीलंका का पिता होगा" ; तथा

(२) इन वक्तव्यों के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि श्री के० एम० पान्निकर भारत के प्रधान मंत्री की ओर से बोलते हुए समझे गये थे ; तथा

(ख) क्या श्री के० एम० पान्निकर द्वारा अभिव्यक्त यह कथित सम्मतियां किसी भी प्रकार से सरकार या प्रधान मंत्री के विचारों का प्रतिनिधान करती हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख) सरकार ने ७ सितम्बर को श्रीलंका की प्रतिनिधि सभा में श्रीलंका के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के प्रैस प्रतिवेदन देखे हैं । वक्तव्य में किये गये भारत की नीति सम्बन्धी उल्लेख ग़लत हैं और स्पष्टतया किसी भ्रान्ति पर आधारित हैं । सरदार पान्निकर ने उन बातों के कहने से इनकार किया है जो श्रीलंका के प्रधान मंत्री उन के द्वारा कहा गया बताते हैं । किसी अवसर पर भी, सरदार पान्निकर जो कुछ कहते हैं वह अपनी ओर से कहते हैं और प्रधान मंत्री या भारत सरकार की ओर से नहीं ।

जहां तक सरकार को विदित है, किसी ने भी किसी भी समय यह नहीं कहा कि, भारत को त्रिंकोमाली को अड्डा बनाने के लिये अवश्य ले लेना चाहिये । वास्तव में कोई भी ऐसा वक्तव्य भारत की नीति के पूर्णतया विरुद्ध होगा ।

और न ही यह कहना सत्य है कि प्रधान मंत्री अथवा उस की ओर से मनरो सिद्धान्त जैसा कोई विचार प्रस्तुत किया गया है ।

प्रधान मंत्री ने कुछ महीने पहले, एक ऐतिहासिक प्रसंग में, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा, यूरोप के आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिये, मनरो सिद्धान्त के विकास का उल्लेख किया था । उन्हों ने यह भी कहा था कि एशिया के देशों के मामलों में भी बाहर की शक्तियों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये, और इन्हें अपने ढंग के अनुसार विकसित होने दिया जाना चाहिये ।

जैसा कि सर्वविदित है, भारत की नीति एशिया में और यदि संभव हो तो अन्य कहीं भी एक शान्ति क्षेत्र को विकसित करने का प्रयत्न करना है ।

श्री सैय्यद अहमद : क्या इस वक्तव्य के सम्बन्ध में भारत सरकार के यह विचार अथवा इस वक्तव्य का प्रतिवाद हमारे प्रधान मंत्री द्वारा श्रीलंका के प्रधान मंत्री को भेज दिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, नहीं, सरकारी तौर से नहीं । श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने इस विषय के सम्बन्ध में मुझे नहीं लिखा था ।

डा० राम सुभग सिंह : अभिव्यक्त की गई इस अभिलाषा को, कि एशिया के देशों को अपनी निजी योग्यता के अनुसार प्रगति करने देना चाहिये, ध्यान में रखते हुए, मैं जान सकता हूं कि एशिया से बाहर के किसी अन्य देश द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर क्या सरकार इस अभिलाषा की पूर्ति के लिये किसी प्रकार का कोई उपाय करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं अच्छी तरह नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य इस विषय में मुझ से क्या कहलवाना चाहते हैं । भारत सरकार उन उपायों का अवलम्बन करेगी, जिन्हें वह वांछनीय और किसी भी समय संभव समझती है ।

डा० एन० बी० खरे : 'चमको, चमको, छोटे तारे, विस्मित हूं, ...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । क्या अब वह अपने स्थान पर बैठ जायेंगे ? जब हम यहां गम्भीर कार्य के लिये बैठे हैं, तो यह उपहास का विषय नहीं है । किसी भी सदस्य का इस प्रकार उठना और अध्यक्ष के कहने पर भी अपने स्थान पर न बैठना अत्यन्त आपत्तिजनक है । मैं नहीं समझता कि मैं सदस्य के इस कृत्य की इतनी सख्ती से भर्त्सना कर सकता हूं । किन्तु मैं इस का अनुमोदन नहीं करता हूं और सभा को हंसी के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने दक्षिण भारत मे एक साम्यवादी आक्रमण की अपनी प्रतिवेदित आशंका के विषय में हमारी सरकार से किसी पुनः आश्वासन की मांग को है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस प्रश्न में जिन विभिन्न विषयों का उल्लेख किया गया है, उन के सम्बन्ध में श्रीलंका की सरकार से हमें कोई पत्र आदि प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या प्रधान मंत्री के मनरो सिद्धान्त सम्बन्धी इस विश्लेषण को एशिया स्थित विदेशी बस्तियों पर भी लागू किया जायगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : विश्लेषण—का लागू किया जाना ? कोई भी सदस्य इस विषय का अपना निजी विश्लेषण करने के लिये स्वतंत्र है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को विदित है कि श्रीलंका और भारत के परस्पर सम्बन्ध में श्रीलंका स्थित वर्तमान अमरीकी राजदूत की, जो यह जानने के लिये कि नेपाल और भारत के बीच क्या हो रहा था छुट्टी ले कर नेपाल भी गया था, कुछ विशेष कार्यवाहियों के कारण कभी कभी कुछ संघर्ष उत्पन्न हो गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, मैं एक प्रश्न के उत्तर में विदेशी राजदूतों के कार्यालयों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बेकारों की गणना

*९८८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार ने देश में बेकारों की गणना के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस काम के कब आरम्भ होने की संभावना है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). बेकार व्यक्तियों की गणना करने की कोई योजना नहीं बनाई गई है । किन्तु विभिन्न प्रदेशों में फैली बेकारी का अनुमान लगाने के लिये नमूने के तौर पर कुछ सवक्षण किये गये हैं ।

चाय कम्पनियां

*९८९. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वेतन तथा भत्तों के मामलों में चाय कम्पनियों में सेवायुक्त भारतीय तथा यूरोपियन चिकित्सक अधिकारियों के वेतन क्रम विभिन्न हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : परीक्षा के लिये चुनी गई १०६ कम्पनियों में ९८ भारतीय तथा १६ यूरोपियन चिकित्सा अधिकारी हैं । इन अधिकारियों की अर्हताओं का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । भारतीय चिकित्सा अधिकारी वेतन तथा अन्य उपलब्धियों के रूप में जो कुछ प्राप्त करते हैं वह प्रायः

वही हैं जो यूरोपियन चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। एक कम्पनी में भारतीय चिकित्सा अधिकारी को यूरोपियन चिकित्सक कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता है। सरकार द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर ऊपर सुझाया गया कोई सामान्य परिणाम नहीं निकाला जा सकता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास स्थान

*९९७. **श्री आर० एन० सिंह :**
श्री राधा रमण :

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) भारत सरकार के कमचारियों के लिये १९५४ में दिल्ली में कुल कितने आवास भवन बनाये गये ; तथा

(ख) उन पर कितनी लागत आई ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जुलाई १९५४ तक बन कर पूर्ण हुए नये भवनों की संख्या ५५६ है।

(ख) लगभग ३१,७५,००० रुपये।

मेंगनीज और लोहा (निर्यात)

*१०००. **श्री बी० सी० दास :**
श्री मगन लाल बागड़ी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले ६ महीनों में कुल कितने मूल्य के मेंगनीज़ व लौह प्रस्तर का निर्यात किया गया ?

(ख) उन देशों के नाम जिन को ये निर्यात किये जाते हैं ;

(ग) क्या इस अवधि में निर्यात में कोई कमी हुई है ; तथा

(घ) यदि हां, तो सरकार ने निर्यात को पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमकर) :

(क) निर्यात का मूल्य—१९५४ (जनवरी से जून)

	रुपये
मेंगनीज़ की प्रस्तर	७५३ लाख
लौह प्रस्तर	२७५ लाख

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०**].

(ग) जनवरी-जून १९५४ के बीच में मेंगनीज़ प्रस्तर का निर्यात कम हो गया था, किन्तु लौह प्रस्तर का निर्यात सन्तोषजनक रूप से हो रहा है।

(घ) मेंगनीज़ प्रस्तर पर लगे निर्यात शुल्क को १८ अगस्त, १९५४ से हटा लिया गया है।

आकाशवाणी कर्मचारीवर्ग प्रशिक्षण स्कूल

*१००९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आकाशवाणी कर्मचारीवर्ग प्रशिक्षण स्कूल कब प्रारम्भ किया गया था ;

(ख) उस के प्रारम्भ किये जाने के समय से कितने प्रशिक्षार्थी सफलता पूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं। क्या उन में से सब को नौकरियां मिल गई हैं ; तथा

(ग) क्या शिक्षाधीन इंजीनियरों को भी इस स्कूल में प्रशिक्षित किया जाता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जुलाई १९४८ ।

(ख) अब तक २२९ प्रशिक्षार्थियों को स्कूल के कार्यक्रम विभाग में प्रशिक्षित किया जा चुका है । केवल आकाशवाणी (आल-इंडिया रेडियो) के कर्मचारी वर्ग के सदस्यों को ही इस विभाग में प्रशिक्षण तथा प्रत्या-स्मरण पाठ्यक्रम के लिये प्रविष्ट किया जाता है तथा बाहर के व्यक्तियों को आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) में नौकरी दिये जाने की दृष्टि से प्रशिक्षित करने की कोई प्रथा नहीं है ।

(ग) स्कूल के इंजीनियरिंग विभाग में एक शिक्षाधीन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण योजना थी । इन इंजीनियरों को एक विभागीय चुनाव बोर्ड द्वारा चुना गया था तथा इन्हें ६ महीने का प्रशिक्षण दिया गया था । तीन जत्थों (कुल ६८ शिक्षार्थियों) को प्रशिक्षण दिया गया था, जिन में से ६२ को प्रविधिक सहकारियों के रूप में सेवायुक्त कर लिया गया था । इस विभाग को मित-व्ययता की दृष्टि से १ नवम्बर, १९५१ से बन्द कर दिया गया था । इस समय प्रविधिक सहकारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है ; किन्तु उन अभ्यर्थियों को, जो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं चुने जाते हैं किन्तु अनुभव प्राप्त करने के पश्चात उपयुक्त हो जाने योग्य समझ लिये जाते हैं, आल इंडिया रेडियो में १५० रुपये प्रतिमाह की छात्र-वृत्ति दे कर ६ महीने तक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है । यदि वे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाते हैं तो उन्हें आल इंडिया रेडियो में सेवायुक्त कर लिया जायगा । इस पद्धति से आल इंडिया रेडियो को आवश्यक संख्या में प्रशिक्षण योग्य व्यक्तियों [illegible] प्राप्त होने की आशा की जाती है ।

साबुन तथा प्रसाधन वस्तुयें

***१०११. श्री अजित सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई बाजारों में और विशेषतः मलाया में भारतीय साबुनों तथा प्रसाधन वस्तुओं की बड़ी मांग है; तथा

(ख) इन वस्तुओं के सम्बन्ध में इन बाजारों पर अधिकार करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार को कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(ख) कोई नहीं ।

बेतार का कारखाना

***१०१२. श्री बालकृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में बेतार के उत्पादों को निर्मित करने के लिये एक कारखाना खोलने के निमित्त किसी फ्रांसिसी सार्थ के साथ समझौता किया है ; तथा

(ख) क्या इसी प्रकार के उपकरणों का निर्माण करने की अनुज्ञप्ति के लिये किसी भारतीय फर्म ने भी आवेदन दिया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां श्रीमान् । एक भारतीय फर्म ने उद्योग अधिनियम के अधीन बेतार से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से अवयवों को निर्मित करने के लिये अनुज्ञप्ति दिये जाने की प्रार्थना की थी । यह कहना ठीक नहीं है कि प्रस्थापना बिल्कुल उसी प्रकार के उप-करणों के निर्मित करने के लिये थी जोकि भारत इलक्ट्रोनिक्स लिमिटड द्वारा निर्मित

किये जाते हैं । थर्मियोनिक वाल्वस को छोड़ कर अन्य सभी मदों के लिये अनज्ञप्ति देने का निर्णय कर लिया गया है ।

वस्त्र निर्यात उन्नति परिषद्

*१०१४. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वस्त्र उद्योग के लिये एक वस्त्र निर्यात उन्नति परिषद् स्थापित की गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इस में वस्त्रों के प्रमाणीकरण तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा उस के गुण प्रकार को सुधारने के लिये कुछ कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सूती वस्त्र के लिए एक निर्यात उन्नति परिषद् की स्थापना की जा चुकी है किन्तु अभी उसे भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ के अधीन पंजीबद्ध कराया जाना है ।

(ख) सूती वस्त्र निधि समिति ने निर्यात के लिये बनाये गये कुछ लोकप्रिय किस्म के कपड़े का प्रमाणीकरण करने तथा एक जांच संगठन स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की है । आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों से निर्यात किये जाने वाले कपड़े की किस्म में सुधार होगा तथा इस प्रकार सूती वस्त्र के निर्यात में उन्नति होगी । निर्यात उन्नति परिषद् का कार्य इस संगठन से सम्पर्क बनाये रखना होगा ।

पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका

*१०१५. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, इस सम्बन्ध में हुई घटनाओं की विस्तृत जानकारी ; तथा

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) (क) जी हां, पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में भारतीय विरोधी प्रदर्शन हुए हैं ।

(ख) इन प्रदर्शनों में गुण्डों ने भारतीय दुकानों पर पत्थर फेंके तथा ३० दुकानों की प्रदर्शन-खिड़कियां तोड़ दी गईं । एक भारतीय स्कूल के दरवाजे तथा खिड़किया तोड़ डाली गईं तथा कुछ सामान को भी क्षति पहुंची । भारतीय नेताओं के चित्रों को तोड़ा तथा पैरों से कुचला गया । भारतीय राष्ट्रीय ध्वजों की भी यही दुर्गति की गई । छेड़छाड़ के भी कुछ मामले हुए तथा कुछ भारतीयों को गंभीर चोटें आईं ।

(ग) भारत सरकार ने इन घटनाओं के विरुद्ध नई दिल्ली के पुर्तगाली दूतावास को एक कठोर विरोधपत्र भेजा तथा इस आश्वासन की मांग की कि भविष्य में पुर्तगाली अफ्रीका के भारतीयों की जान तथा माल की पूर्णरूपेण रक्षा करने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जायेंगे । तथा पुर्तगाली सरकार को यह भी चेतावनी दी गई है कि वहां भारतीयों को पहुंची किसी भी प्रकार की क्षति तथा हानि के लिये उसे ज़िम्मेदार समझा जायगा ।

पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में कोई भारतीय प्रतिनिधि न होने के कारण, भारत सरकार ने यहां के ब्रिटिश प्रधान प्रदेष्टा से यह प्रार्थना की है कि वह पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका स्थित ब्रिटिश प्रतिनिधि से भारतीय हितों की रक्षा करने की प्रार्थना करे ।

पान के पत्ते

*१०२६. **श्री ए० के० गोपालन**
श्री पुन्नूस

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार को भारतीय पाक व्यापार समझौते में पान के पत्तों को भी शामिल कर लिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ; तथा

(ख) इस समय भारत में पान के पत्तों की खती पर निर्भर रहने वाले परिवारों की संख्या क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी• हां श्रीमान् । व्यापार समझौते की बातचीत होते समय एक प्रतिनिधान प्राप्त हुआ था ।

(ख) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

हीरों के औजार

*१०३०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** :
श्री बी० डी० शास्त्री :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि विन्ध्य प्रदेश में पन्ना की खानों से प्राप्त हीरे, औज़ार और उपकरण बनाने के लिये उपयुक्त हैं ; तथा

(ख) क्या भारत सरकार ने कोई ऐसा कारखाना खोलने का प्रबन्ध किया है जिस में इन हीरों का उपयोग किया जा सके ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) सरकार स्वयं कोई कारखाना खोलने की प्रस्थापना नहीं करती है ।

स्टोर क्रय

*१०३१. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या किसी "राज्य क्रय निगम" के स्थापित किये जाने की प्रस्थापना है ; तथा

(ख) १९५३-५४ में विदेशी तथा स्वदेशी क्रय पर दलालों को क्या कमीशन दिया गया था ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस विषय का स्टोर क्रय समिति, जिसे सरकार ने केन्द्रीय क्रय संगठन के कार्य, उस की नीति और प्रणाली की परीक्षा करने के लिये नियुक्त किया है, परीक्षण कर रही है ।

(ख) उन्हें पक्षों से क्या कमीशन मिला, मैं यह बताने की अवस्था में नहीं हूं । सरकार ने उन्हें कुछ नहीं दिया ।

सलाहकार बोर्ड

*१०३२. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) असरकारी सलाहकार बोर्ड स्थापित करने की योजना का कितने भाग 'क' में के राज्यों ने अनुमोदन किया है ; तथा

(ख) कितने राज्यों ने वास्तव में ऐसे बोर्ड स्थापित कर दिये हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

चाय

*१०३३. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हमारे देश से चाय के निर्यात में पर्याप्त कमी हो गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस के मुख्य कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सामान्यतः चाय के निर्यात की गति-वृद्धि को बनाये रखा जा रहा है । किन्तु १९५३ के प्रथमार्द्ध की तुलना में १९५४ के प्रथमार्द्ध में कुछ कमी हो गई थी ।

(ख) १९५३ की फसल के, विशेषतया उत्तर भारत में, कम उत्पादन होने के कारण मुख्यतः मौसम की खराबी और स्वेच्छा पूर्वक फसल पर लगाये गये प्रतिबन्ध थे ।

निष्क्रान्त अचल सम्पत्ति

*१०३४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री १४ सितम्बर, १९५३, को पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में मुसलमानों की निष्क्रान्त अचल सम्पत्ति के अन्तिम मूल्यांकन का काम पूरा हो गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इन सम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य क्या है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

मोटर परिवहन

*१०३५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **योजना** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मोटर परिवहन के एक जीवन योग्य एकक की, जिस की स्थापना का सुझाव योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में दिया है, प्रभूति क्या होगी ;

(ख) राज्यों में ऐसे एककों की स्थापना में यदि कुछ प्रगति हुई है तो कितनी; तथा

(ग) आयोग ने राज्य सरकारों को ऐसे एकक स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देन के लिये क्या उपाय किये हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) प्रतिवेदन में जीवन योग्य एकक की प्रभूति की व्याख्या नहीं की गई थी । परन्तु आयोग का यह विचार है कि साधारणतः २० गाड़ियों का एक एकक वर्तमान परिस्थितियों में सर्वोत्तम व्यवहारिक प्रमाप होगा ।

(ख) अभी तक एसे एककों की स्थापना में कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है, किन्तु कुछ राज्य सरकारों ने अनुज्ञा पत्र देन के बारे में सहकारी संस्थाओं अथवा सार्थों को विशिष्ट प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है ।

(ग) आयोग की सिफारिशों को परिवहन मंत्रालय द्वारा, राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है और मामले का अग्रेतर अनुसरण करना मुख्यतः राज्य सरकारों का कर्तव्य है ।

वम्सधारा परियोजना

*१०३७. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री ३० मार्च, १९५४ को आंध्र की वम्सधारा परियोजना के बारे में पूछे गये प्रश्न संख्या १४०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में सिंचाई तथा विद्युत सलाहकार समिति ने अपनी कोई सम्मति व्यक्त कर दी है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : जी नहीं श्रीमान् । अभी तक आंध्र सरकार ने वम्सधारा योजना को सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की सलाहकार समिति को भेजा नहीं है ।

डी० डी० टी० फैक्टरी

*१०३८. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डी० डी० टी० फैक्टरी के निर्माण कार्य में हुई प्रगति क्या है ;

(ख) क्या सरकार डी० डी० टी० की कोई और फ़ैक्टरी भी स्थापित करने की प्रस्थापना करती है ; तथा

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्थापना का ब्यौरा क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) फ़ैक्टरी की इमारत बन कर पूरी होने वाली है और उस में मशीनरी तथा उपकरण आदि का अधिष्ठापन किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). दिल्ली स्थित डी० डी० टी० फ़ैक्टरी की उत्पादन शक्ति को ७०० टन वार्षिक से बढ़ा कर १४०० टन वार्षिक कर देने और १४०० टन वार्षिक उत्पादन शक्ति रखने वाली एक दूसरी डी० डी० टी० फ़ैक्टरी की स्थापना करने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है । परन्तु अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

कोजिकोड आकाशवाणी केन्द्र

*१०३९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आकाशवाणी के कोजिकोड केन्द्र को बन्द कर देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, उस के क्या कारण हैं ; तथा

(ग) क्या इस विषय के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). सरकार आकाशवाणी की विस्तृत पंचवर्षीय विकास योजना के अधीन किसी केन्द्रीय स्थान पर एक शक्तिशाली पारेषक को स्थापित करने की प्रस्थापना करती है ताकि उस से उस समस्त मलयाली भाषाभाषी क्षेत्र की आवश्यकतायें पूरी की जा सकें, जो आजकल त्रिविन्द्रम द्वारा पूरी नहीं की जा सकती हैं । इस प्रकार का पारेषक स्पष्टतया कालीकट में स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कालीकट दूर उत्तर में है । इसलिये इसे केरल में किसी केन्द्रीय स्थान पर ही स्थापित किया जाने को है । इस प्रकार के पारेषक के स्थापित किये जाने के बाद यह स्पष्ट है कि आकाशवाणी का कोजिकोड स्टेशन को आज जैसी स्थिति के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि वह क्षेत्र उस शक्तिशाली पारेषक के प्रभाव क्षेत्र में आ जायगा । परन्तु अभी तक यह निश्चय नहीं किया गया है कि आकाशवाणी के कोजिकोड स्टेशन का किया क्या जाये ।

(ग) सरकार को इस विषय के बारे में प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं । इस सम्बन्ध में कोई निश्चय करने से पहले, मेरा विचार स्थानीय सांस्कृतिक हितों से, जिन की वर्तमान कोजिकोड स्टेशन सेवा कर रहा है, बातचीत करने का है । तथापि मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हू कि यद्यपि मैं यह देखूंगा कि कोजिकोड क्षेत्र की सांस्कृतिक निधि का ठीक ठीक उपयोग किया जाता है और उस को प्रकाश में लाने के लिये समुचित उपाय किये जाते हैं, परन्तु वर्तमान स्टेशन

को इसी प्रकार बनाये रखे जाने पर ज़ोर देना भी ठीक नहीं होगा ।

यूरिया तथा अमोनियम नाईट्रेट संयंत्र

*१०४०. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री के० पी० सिन्हा :
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सिंदरी में यूरिया तथा अमोनियम नाईट्रेट संयंत्रों की स्थापना के लिये सरकार द्वारा अभी तक क्या उपाय किये गये हैं ; तथा

(ख) निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ किये जाने की आशा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख). उर्वरक आयोग की सिफारिशों के अनुसार नये कोयला भट्टी संयंत्र से उपलब्ध कोयला भट्टी गैस में से ६० लाख घन फीट के उपयोग किये जाने के लिये टैंडर मांगे गये थे । वह टैंडर अब प्राप्त कर लिये गये हैं और उन की जांच उर्वरकों की निरन्तर बढ़ती मांग के आधार पर, जोकि दो के स्थान पर एक ही बार में १ करोड़ घन फीट की समस्त मात्रा के तुरन्त काम में लिये जाने को न्याय्य सिद्ध करती है, की जा रही है । तदनुसार इसी आधार पर पुनरीक्षित टैंडर फिर मांगे गये हैं जिन के प्राप्त करने की अन्तिम अवधि इस मास के अन्त तक है । इस के बाद टैंडरों के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई विनिश्चय किये जाने की आशा है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

***१०४१. श्री भागवत झा आजाद** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या परियोजना क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की कोई एकीकृत योजना चालू की जाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के विभिन्न पहलू क्या हैं ; तथा

(ग) क्या इस योजना की कार्यान्विति के लिये कोई विशिष्ट धनराशि अलग रखी गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) कुटीर उद्योगों के विकास का एक एकीकृत कायक्रम पहले से ही सामुदायिक परियोजनाओं / क्षेत्रों में चालू है ।

(ख) परियोजना क्षेत्रों के कुटीर उद्योगों के विकास कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यतः उस क्षेत्र के कारीगरों की कार्यकुशलता में सुधार करना है । इन योजनाओं को स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता, प्रविधिक कुशलता तथा वित्तय सम्बन्धी सुविधाओं को ध्यान में रख कर बनाया गया है । इस कार्यक्रम में यह सम्मिलित है : (१) वर्तमान कारीगरों को विकसित प्रणाली का प्रशिक्षण देना ; (२) व्यापार स्कूलों इत्यादि के द्वारा कारीगरों को बुनियादी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देना तथा (३) उद्योगों के लिये ऋण देना ।

(ग) (१) सन् १९५२-५३ में प्रारम्भ की गई ५५ सामुदायिक परियोजनाओं में ६५ लाख रुपया प्रति परियोजना में से ४·५ लाख रुपया कुटीर उद्योगों के लिये आवंटित किया गया है । इस का आधा भाग प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन के लिये है तथा शेष भाग उद्योगों अथवा उत्पादन केन्द्रों को ऋण देने के लिये है ।

(२) सन् १९५३-५४ में प्रारम्भ किये गये ५५ सामुदायिक विकास खंडों में १·२५ लाख रुपया इस कार्य के लिये निश्चित कर दिया गया है । इस में से ७५,००० रुपया ऋणों के रूप में दिया जाने को है और शेष प्रशिक्षण तथा प्रदशन के लिये है ।

सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण

*१०४२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने नवम्बर १९५३ में नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में सड़क परिवहन को देश में सेवायोजन के बढ़ते हुए साधन का संभावित स्रोत समझा था और क्या उन्हों ने राज्य सरकारों से इसी प्रकार की कोई सिफ़ारिश की थी ;

(ख) क्या योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण को योजना में कोई उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई है ;

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को आयोग द्वारा की गई विशिष्ट सिफ़ारिशें ; तथा

(घ) जब आयोग ने राज्य सरकारों से अपनी अनुज्ञापन नीतियों का पुनरीक्षण करने को कहा था तो उस का वास्तविक उद्देश्य क्या था ; अर्थात् क्या वह अनुज्ञा पत्रों के उदारता से दिये जाने का था अथवा पर्याप्त लंबी अवधि के लिये दिये जाने का था अथवा दोनों का था ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र: (क) जी हां, श्रीमान्, देश की बेकारी की स्थिति को सुधारने के लिये सुझाये गये कार्यक्रम में सड़क परिवहन को भी सम्मिलित किया गया था ।

(ख) जी हां, योजना आयोग ने जुलाई, १९५३ में जारी किये गये एक परिपत्र में राज्य-सरकारों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया था ।

(ग) राज्य सरकारों से अपनी अनुज्ञापन नीति को उदार बनाने की प्रार्थना की गई थी ।

(घ) दोनों ।

रेडियो संगीत सम्मेलन

*१०४३. **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री जी० एल० चौधरी :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि नये प्रतिभाशाली कलाकारों की खोज करने के लिये अक्तूबर, १९५४ में एक रेडियो संगीत सम्मेलन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें चुनने के लिये कोई बोर्ड बनाया गया है ; तथा

(ग) क्या इस बोर्ड में प्रसिद्ध सगीतज्ञ भी होंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) रेडियो संगीत सम्मेलन का एक उद्देश्य नये प्रतिभाशाली कलाकारों की खोज करने के लिये एक अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन आयोजित करना है । प्रारंभिक प्रतियोगितायें देश के आकाशवाणी स्टेशनों में होंगी ; और अन्तिम प्रतियोगिता दिल्ली में होगी ।

(ख) इस कार्य के लिये विभिन्न स्टेशनों और दिल्ली में भी चुनाव बोर्ड स्थापित कर दिय गये हैं ।

(ग) जी हां, बोर्ड में सुप्रसिद्ध सगीतज्ञ, संगीत कला के मर्मज्ञ तथा संगीत शास्त्र के ज्ञाता होंगे ।

क्षाराभ (एल्केलायड्स)

४८९. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क) इस समय भारत में प्रतिवर्ष अपेक्षित क्षाराभों (एल्केलायड्स) का कुल मूल्य ;

(ख) अपेक्षित परिमात्रा कितनी है तथा भारत में कितनी परिमात्रा बनाई जाती है और १९५३-५४ में इन क्षाराभों का आयात मूल्य क्या था :—

(१) सैन्टोनीन ;

(२) ब्रूसीन ;

(३) स्ट्रिकनीन ;

(४) एफ़ीड्रिन ;

(५) एट्रोफ़ीन ; तथा

(६) मॉर्फ़ीन ; तथा

(ग) विभाजन के बाद सरकार द्वारा सैन्टोनीन तथा एफ़ीड्रिन के निर्माण के लिये अपेक्षित कच्चा माल प्राप्त करने के लिये की गई, यदि कोई, कार्यवाहियां ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सन् १९५३-५४ सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है। सन् १९५३ सम्बन्धी जो भी सूचना अब तक उपलब्ध हुई उसे देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४१]**.

(ग) अशोधित औषधियों—आर्टीमीसिया तथा एफ़ीड्रा—की पर्याप्त उत्तम गुण प्रकार की सीमित परिमात्रायें काश्मीर से प्राप्त की जा सकती हैं । आर्टीमीसिया की पूर्वी पंजाब में खेती करने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं ।

यह ज्ञात हुआ है कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने इन अशोधित औषधियों की खेती के लिये वन गवेषणा संस्था, देहरादून के तत्वावधान में चकराता में एक गवेषणा योजना की स्वीकृति दी है ।

इंजक्शन की दवाई का निर्माण

४९०. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय औषधि-निर्माण उद्योग में इंजक्शन की दवाई बनाने का स्थापित सामर्थ्य कितना है ;

(ख) कितना प्रतिशत सामर्थ्य अभी बेकार पड़ा रहा है और उस के क्या कारण हैं ;

(ग) सन् १९५३-५४ में आयात की गई इंजक्शन की दवाई का मूल्य कितना है ; और

(घ) सन १९५३-५४ में आयात किये गय एम्पूलों का कुल मुल्य कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग ४ अरब सी० सी० सामर्थ्य है ।

(ख) सरकार के पास ठीक ठीक सूचना नहीं है ।

(ग) और (घ). सूचना प्राप्त नहीं है क्योंकि समुद्री व्यापार के लेखों में इंजक्शन की दवाई तथा एम्पूलों के पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते ।

लिवर एक्सट्रक्ट

४९१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सन् १९५३-५४ में खाने के तथा सुई द्वारा भीतर पहुंचाने के लिवर-एक्सट्रेक्ट की खपत का कुल मूल्य कितना है ; और

(ख) क्या देश की मांग को पूरा करने के लिये भारत की निर्माण करने वाली इकाइयां इस कार्य के लिये पर्याप्त हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ठीक ठीक सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

इनस्यूलीन

४९२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३-५४ में भारत में आयात की गई इनस्यूलीन का कुल मूल्य कितना है ; और

(ख) इनस्यूलीन के देशी उत्पादन में यदि रुकावटें हैं तो कौन सी हैं, और सरकार ने उन्हें दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सन् १९५३ में लगभग १४ लाख रुपये की नस्यूलीन आयात की गई ।

(ख) माना जाता है कि इनस्यूलीन के देशी उत्पादन में कुछ बाधायें इस प्रकार हैं :—

(१) देश में प्राप्त पेनक्रियेटिक ग्लैंस अपर्याप्त तथा निम्न कोटि की हैं ।

(२) वधशालाओं का प्रबन्ध अवैज्ञानिक है ।

(३) वधशालाओं में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते समय कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) की सुविधाओं की कमी है ।

विस्थापित व्यक्ति

४९३. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री एम० एल० अग्रवाल :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १५ मई, १९५४ के निर्णयों के परिणामस्वरूप उन विस्थापितों की नवीन श्रेणियां क्या हैं जिन से क्षतिपूर्ति के विषय में आवेदन-पत्र मांगे गये हैं ; और

(ख) उन दावेदारों की संख्या कितनी है जिन से आवेदन-पत्र मांगे गये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४२].**

(ख) अनुमान है कि लगभग ढाई लाख दावेदार इस के अन्तर्गत आयेंगे ।

तदर्थ अनुज्ञप्तियां

४९४. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जुलाई-दिसम्बर १९५३, जनवरी-जून, १९५४ तथा जुलाई-दिसम्बर, १९५४ के अनुज्ञप्ति कालों में निम्नांकित सामान के लिये दी गई तदर्थ अनुज्ञप्तियां तथा उन का मूल्य क्या है :—

(१) सोडा ऐश ;
(२) ब्लाक फिब्से ;
(३) नकली मोती ;
(४) हीरे-जवाहर ;
(५) चाकलेट ; और

(ख) इन विषयों में अनुज्ञप्तियां देने के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(ख) तदथ अनुज्ञप्तियां, संभरण के नीन साधनों के निकास के लिये अथवा निर्माताओं और उपभोक्ताओं की कठिनाइयां दूर करने के लिय दी जाती हैं ।

सोडा ऐश

४९५. **श्री बी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ के उत्तरार्द्ध और सन् १९५४ के पूर्वार्द्ध की तुलना में सन् १९५४ के उत्तरार्द्ध के लिये सोडा-ऐश के आयात का निश्चित लक्ष्य कैसा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सोडा ऐश के आयात के लिये अन्तिम लक्ष्य निश्चित नहीं है । देश में सोडा-ऐश के पूर्वाशित उत्पादन था पूर्वाशित मांग पर विचार करने के उपरान्त समय समय पर आयात की आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है । जुलाई-दिसम्बर, १९५३, जनवरी-जून, १९५४ में अनुज्ञप्त तथा जुलाई-दिसम्बर, १९५४ में जिस की अनुज्ञप्ति देने की आशा है वे परिमाण क्रमशः २३,००० टन, ४५,००० टन तथा ४०,००० टन के लगभग हैं ।

खादी तथा हथकरघा उद्योग

४९६. **श्री डाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४१२ के उत्तर में पटल पर रख गये खादी तथा हथकरघा उद्योग विकास-योजना विषयक विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) इन योजनाओं में से प्रत्येक पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ; और

(ख) प्रत्येक योजना की कहां तक प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४४**]

रेशम की छीजन (निर्यात)

४९७. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३-५४ में कलकत्ता पत्तन से निर्यात की गई रेशम की छीजन का कुल परिमाण कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : २०१,००० पाउंड ।

कच्ची मैंगनीज़ (मूल्य)

४९८. **श्री बी० सी० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाजार में उच्च तथा निम्न कोटि की कच्ची मैंगनीज़ का वर्तमान मूल्य क्या है ; और

(ख) सन् १९५३, १९५२, १९५१ और १९५० के मूल्यों की तुलना में यह मूल्य कैसा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कलकत्ता पत्तन पर ३ सितम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाले सप्ताह में ४६ प्रतिशत उच्च तथा ३८ प्रतिशत निम्न कोटि की कच्ची मैंगनीज़ का शुल्क रहित, जहाज़ी भाड़ा सहित मूल्य क्रमशः ६०) रुपये तथा ३९) रुपये प्रति टन था ।

(ख) सन् १९५३, १९५२, १९५१ की तत्सम्बन्धी अवधि में तथा सन् १९५० के अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में मूल्य इस प्रकार थे :—

	उच्च कोटि		निम्न कोटि	
	रुपये	प्रतिशत	रुपये	प्रतिशत
१९५४	६०)	४६	३९)	३९
१९५३	१७०)	४६	९५)	३९
१९५२	१६०)	४९	११०)	३९
१९५१	१६५)	४६	१२५)	३८
१९५०	११७॥)	४९	९६)	३९

विज्ञापन

४९९. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केवल उन्हीं पत्रों में विज्ञापन देती है जो भारत के संचरण लेखापरीक्षा सूचनालय द्वारा प्रमाणित हैं ; और

(ख) याद हां, तो वे शर्तें कौन सी हैं जिन्हें पत्रों को उस सूचनालय से प्रमाण पत्र लेने के लिये पूरा करना पड़ता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान् । समाचार पत्रों तथा अन्य पत्रों को विक्री के प्रमाणित आंकड़े देने पड़ते हैं, जो किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र द्वारा पुष्टीकृत हों, अथवा यदि कोई समाचार पत्र अथवा अन्य पत्रिका संचरण लेखापरीक्षा सूचनालय के सदस्य हों तो उन से प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

साम्राज्यिक वरीयता

५००. **श्री बुचिकोटैय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४७ से कौन सी साम्राज्यिक वरीयतायें वापस ली गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४५]**.

पंजाब की रुई की अधिकतम दर

५०१. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की रुई अनुसन्धानशाला ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया है कि मध्य-प्रदेश में उत्पादित रूई संख्या ०३९४ के रेशे की उतनी ही लम्बाई होती है जितनी पंजाब में उत्पादित रुई की ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्यों पंजाब की रुई की दर अधिकतम दर से भी अधिक ५० पये निश्चित की गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पंजाब अमरीकन २१६ एफ़ पंजाब में उत्पादित तथा बूरी ०३९४ के प्रति गांठ तथा ७८४ पौंड के १९५४-५५ वर्ष के रुई ऋतु के लिये निश्चित, निम्नतम तथा अधिकतम मूल्य, इस प्रकार हैं —

	निम्नतम	अधिकतम
पंजाब अमरीकन २१६ एफ़	६७५	१०४५
बूरी ०३९४	६२५	९४०

मूल्य निश्चित करने के लिय रेशे की लम्बाई पर ही ध्यान नहीं दिया जाता । रेशे का एक सा होना, मज़बूती तथा चिकनाई पर भी विचार किया जाता है । पहली सूखी जलवायु में उगाई जाती है तथा उस की किस्म भिन्न भिन्न स्थानों तथा भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग होती है । पंजाब अमरीकन २१६ एफ़ सिंचाई के द्वारा उगाई जाती है । यह रुई, अधिक परिमाण में एक सी समझी जाती हैं तथा बूरी ०३९४ की तुलना में इस में मिल की परिस्थितियों के अनुसार कम परिवर्तन करने पड़ते हैं ; और व्यापारियों द्वारा इसे अधिक उपयक्त समझी जाती है ।

ग़ीरो में आग

५०२. **श्री गोहेन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सुबांसीरी फ्रंटियर डिवीज़न के राजनैतिक पदाधिकारी (पोलिटिकल आफीसर) के ग़ीरो स्थित कार्यालय में ६ मार्च, १९५४ को आग लगने के क्या कारण थे ;

(ख) आग द्वारा क्या हानि हुई ;

(ग) क्या इस विषय में कोई जांच की गई है ; तथा

(घ) यदि हां, तो जांच मंडली द्वारा पाये गये कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ) आग लगने के कारणों की जांच करने के लिये तथा उस का दायित्व निश्चित करने के लिये एक जांच मंडली नियुक्त की गई है । जांच अभी जारी है ।

कुछ लेखा-पत्र नष्ट हो गये हैं तथा लगभग कुल ११,५०० रुपये की हानि हुई है ।

विदेशी फिल्मों का आयात

५०३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितनी विदेशी फिल्मों को १९५२, १९५३ में, तथा ३१ अगस्त, १९५४ तक भारत में आयात होने की अनुमति दी गई थी ; तथा जिन देशों से इन का आयात हुआ था उन से आयात फिल्मों के अलग अलग आंकड़े क्या हैं ; तथा

(ख) इस देश में प्रदर्शन के पश्चात उन में से कितनी फिल्मों पर नियंत्रण लगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) उतरी हुई सीनेमैटोग्राफ फिल्मों के आयात की सांख्यकी फुटों में लम्बाई के आधार पर रखी जाती है, न कि उन की संख्या अथवा शीर्षकों के हिसाब से । विभिन्न देशों से १९५२ और १९५३ में तथा ३१ जुलाई, १९५४ तक फुटों के अनुसार आयात की हुई फिल्मों की फुटों में लंबाई के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

देश का नाम	(फुटों में लंबाई हज़ारों में)		
	१९५२	१९५३	(जनवरी से जुलाई) १९५४
अमरीका	५,५२८	४,८२३	२,१६६
ब्रिटेन	३,८१८	३,७७४	१,२५५
बर्मा	९८०	५३१	५८
श्रीलंका	९८७	८५३	२३३
आस्ट्रेलिया	५८	७७	२०
पाकिस्तान	६६	२१	८
हांगकांग	५४	८१	३९
केन्या बस्ती	४५	१९	९
सिंगापुर	९१	५१	५
अदन तथा उस के आश्रित क्षेत्र	५२	५	६६
फ्रांस	१११	५५	११
इटली	२०	७१	२२
बैलजियम	१०	८०१	—
पश्चिमी जर्मनी	६	१८	१९
जापान	८४	४५	५०
चैकोस्लोवाकिया	१९३	९३	४३
रूस	१११	५३	१०६
शेष	२४२	९५	१२०
जोड़	१२,४५६	११,४६६	४,२३०

अगस्त १९५४ के आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं ।

(ख) जनता में प्रदर्शन के हेतु फिल्म सैंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित विदेशी फिल्मों में से पहली जनवरी १९५२ से ३१ अगस्त १९५४ तक केन्द्रीय सरकार ने दो को अप्रमाणित किया है ।

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण

५०४. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अभी हाल में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय तथा आसाम राज्यपाल के सलाहकार के बीच उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण के शासन हेतु कोई सम्मेलन हुआ था ;

(ख) इस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई ; तथा

(ग) अभी तक उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण क्षेत्रों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा सुधारने में क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने परामर्श के लिये आसाम राज्यपाल के सलाहकार को दिल्ली बुलाया था ।

(ख) साधारणतया अभिकरण के शासन के सम्बन्ध में तथा विशेषतया विभिन्न चालू विकास योजनाओं पर चर्चा हुई ।

(ग) विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४६**]

सस्ते मकानों की योजना

५०५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सस्ते मकानों की योजना से अब तक कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया है ; और

(ख) यह योजना किन किन राज्यों में लागू की गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) लग भग ९,७०० विस्थापित परिवार ।

(ख) पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली ।

पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्ति

५०६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के द्वितीय चतुर्थांश में, पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये सरकार ने कोई धन राशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख)। जी हां, १·३ करोड़ रुपये के व्यय की योजनायें मंजूर की गईं जिस में से पश्चिमी बंगाल सरकार ने, पिछले वर्ष में दी गई निधि की लगभग ९० लाख रुपये की बकाया राशि के अलावा ५० लाख रुपये का ऋण लिया है । इस के अलावा, इस तिमाही में २१ लाख रुपये का सहायतार्थ अनुदान भी दिया गया है ।

मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योग

५०७. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग के लिये मध्य प्रदेश के आवंटित राशि में से अब तक कितना व्यय किया गया तथा वह किस प्रकार व्यय किया गया है ;

(ख) क्या उस राज्य ने इस सिलसिले में केन्द्रीय सरकार को कोई विशेष योजना प्रस्तुत की है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में कुटीर उद्योग के उद्धार के लिये कुछ सहायतार्थ अनुदान आंवटित किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कार्यक्रम में जिन लोगों को रखा गया है उनके नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) हथकरघा उपकर निधि में से इस राज्य को मंजूर की गई राशि में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा व्यय की गई राशियों का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ख) जी हां, एक से अधिक।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४७]**

उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग

५०८. श्री आर० एस० लाल : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के उन छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों की संख्या कितनी है जिन्हें केन्द्र से वित्तीय सहायता मिलती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : उत्तर प्रदेश के जिन छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों को केन्द्र से वित्तीय सहायता मिलती है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

छोटे पैमाने के उद्योग —

१. वस्त्रों की डिज़ाइनें तैयार करने वाले।
२. लोहारी काम करने वाले।
३. चमड़े की रंगाई करने वाले।
४. गणित, पर्यवेक्षण तथा चित्रकारी में काम आने वाले औजारों का उद्योग।

कुटीर उद्योग—

५. हथकरघा।
६. रेशम तथा रेशम के कीड़ों का पालन।

दस्तकारी—

७. अलौह धातु उद्योग।
८. चिक्कन ज़रदूजी उद्योग।
९. कुम्भकारी उद्योग।
१०. हाथी दांत का उद्योग।

ग्राम उद्योग—

११. खादी।
१२. हाथ का बना कागज़।
१३. मधु-मक्खी पालन।
१४. गांव (कोल्हू) का तेल।
१५. चमड़ा।

संगीत सम्मेलन

५०९. श्री जी० एल० चौधरी : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आल इंडिया रेडियो ने २३ अक्तूबर से २७ अक्तूबर, १९५४ तक जिस संगीत सम्मेलन का आयोजन किया है उस पर कितना खर्च होगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : दिल्ली और मद्रास में आयोजित होने वाले रेडियो संगीत सम्मेलन पर जो ठीक खर्च होगा उस का अनुमान १६,००० रुपये बताया जाता है।

लाजपत नगर (नई दिल्ली) के क्वार्टर

५१०. श्री नंद लाल शर्मा : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लाजपत नगर, नई दिल्ली स्थित 'के' और 'जे' ब्लाकों के दो कमरे वाले मकानों का मूल्य ४,४०० रुपये, जो प्रारम्भ में रखा गया था, से बढ़ा देने का निश्चय किया है और मकान वालों से ५,६६१ रुपये देने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने असली लागत के आधार पर ही विस्थापित व्यक्तियों को मकान पेश किये थे, किन्तु इस पेशकश के समय असली लागत का सही और अन्तिम आंकड़ा आंकलित नहीं किया जा सका। अतः उस समय उन से अनुमानित लागत ली गई, किन्तु उन्हें यह बताया गया कि बाद में, जब असली लागत का निर्धारण होगा तो पैसे का हिसाब पूरा किया जायगा अतः उसी निर्धारण के अनुसार लोगों से पैसा लिया जा रहा है और कई व्यक्तियों को पैसा दिया जा रहा है।

बाढ़ सम्बन्धी फिल्म

५११. श्री नवल प्रभाकर : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश में बाढ़ के सम्बन्ध में कोई फिल्म तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह समाचार फिल्म है या वृत्त चित्र ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख)। बाढ़ों और बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने की कार्यवाही को फिल्माया गया है, और आज तक चार समाचार फिल्में प्रदर्शनार्थ छोड़ी गई हैं। बाढ़ सम्बन्धी अन्य घटनाओं की और फिल्में तैयार करने की व्यवस्था की गई है।

लोक-सभा

बृहस्पतिवार,
१६ सितम्बर, १९५४

वाद विवाद

Chamber Fumigated 18/X/23

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

खंड ७, १९५४

(१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र
१९५४

विषय-सूची

खंड ७—१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४

सोमवार १३ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
सभा का कार्य	१२९३—१२९५, १३००—१३०७
स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ते में गोवध-विरोधी प्रदर्शनकारियों पर लाठी व अश्रु गैस का प्रयोग	१२९५–१२९६
पटल पर रखे गये पत्र—	
बिजली के पीतल के लैम्प होल्डर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प	१२९६
परिरक्षित फल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि.	१२९६–१२९७
शीशे की चादरें बनाने के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७
साइकिल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७–१२९८
सुरमा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना .	१२९८
रूई तथा बालों के पट्टे के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९८–१२९९
कोको पाउडर और चाकलेट उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९९–१३००
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण . . .	१२९९–१३००
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—प्रस्तुत की गई .	१२९९
भारत में बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित	१३०८–१३०९
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया	१३०९–१३११
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . . .	१३१२–१३७६

मंगलवार, १४ सितम्बर १९५४

विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . .	१३७७–१४६६

बुधवार, १५ सितम्बर १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें .	१४६७
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ता) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) नियम, १९५४ .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (प्रतिकर भत्ता) नियम, १९५४. .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, १९५४. . .	१४६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन	१४६८–१४६९
समिति के लिये निर्वाचन—नारियल जटा बोर्ड . . .	१४६९
चन्द्रनगर (विलय) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . .	१४६९
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . .	१४६९–१५५३
रेलवे प्लेटफार्मों पर रूसी प्रकाशनों की बिक्री . . .	१५५३–१५६४

बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन तथा भारतीय पुलिस सेवा) वेतन नियम १९५४ का परिशिष्ट	१५६५
राज्य-सभा से सन्देश	१५६५–१५६६
तारांकित प्रश्न संख्या २३२३—क के उत्तर की शुद्धि . .	१५६६
संयुक्त समिति के लिये सदस्यों का नामनिर्देशन संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत नियम बनाने के लिये संयुक्त समिति	१५६७
सदस्य की दोष-सिद्धि	१५६७
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—पुरःस्थापित	१५६८
विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५६८–१६५८

शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका की सूचना दी गई	१६५९
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४—सम्मतियां प्राप्त हुई . . .	१६६०

दहेज निषेध विधेयक तथा दहेज का निषेध विधेयक—याचिका उपस्थापित की गई . . . . . स्तम्भ १६६०

बैंकों की अपीलों पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के आदेश के सम्बन्ध में वक्तव्य . . १६६१

विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १६६१–१७०८, १७१८-१७२०

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक —विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १७०९–१७१८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के साठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . . १७२०–१७२६

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . १७२६

काजी विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . . . १७२७

अत्यावश्यक वस्तु (अस्थायी शक्तियां) संशोधन विधेयक, १९५४—वाद-विवाद स्थगित हुआ १७२८–१७४०

बनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त . . . १७४१–१७७२

शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

समुद्र–सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . १७७३

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक—पारित . . १७७३–१८५३

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १८५३–१८६०

सोमवार, २० सितम्बर १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १८६१–१८६२

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग, भारत, अंतिम आदेश संख्या १६, दिनांक ३० अगस्त, १९५४ . . . . . १८६२–१८६३

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १८६३

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव—स्वीकृत १८६३

स्थगन प्रस्ताव—

लाजपत नगर में विस्थापित व्यक्तियों पर लाठी चार्ज . . १८६४–१८६५

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक–पारित . १८६५–१९११

चन्द्रनगर (विलय) विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १९११–१९३९

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १९३९–१९५४

मंगलवार, २१ सितम्बर १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
लाजपत नगर में नीलाम के अवसर पर कथित लाठी चार्ज	१९५५–१९५७
पटल पर रखे गये पत्र—	
सीमेन्ट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दूसरे सत्र की कार्यवाही का सारांश	१९५७
विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण	१९५७–१९५८
भारत के औद्योगिक वित्त निगम का छठा वार्षिक प्रतिवेदन .	१९५८
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	१९५८–१९७६
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—असमाप्त	१९७६–२०५८

बुधवार, २२ सितम्बर १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . . .	२०५९
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—पारित .	२०५९–२१२४
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव (चर्चा असमाप्त)	२१२४–२१६६

बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखा गया पत्र—	
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवरस मिति के सामने दिये गये साक्ष्य	२१६७
राज्य-सभा से सन्देश	२१६७–२१६८
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, पटल पर रखा गया . .	२१६८–२१६९
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पारित . . .	२१६९–२२३१
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—विचार करने तथा, परिचालित करने के प्रस्तावों पर चर्चा—असमाप्त . .	२२३१–२२४४

शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—	
भेषजीय जांच समिति का प्रतिवेदन	२२४५

	स्तम्भ
उन मामलों के विवरण जिन में भारतीय भंडार विभाग ने न्यूनतम राशि के प्राक्कलन पत्र (टेंडर) स्वीकार नहीं किये थे .	२२४५–२२४६
स्थगन प्रस्ताव——	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	२२४६–२२४८
लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना—इस्पात संयंत्र के बारे में रूस का प्रस्ताव	२२४८–२२४९
रेलवे बोर्ड के पुनर्निर्माण और पुनः संगठन के बारे में वक्तव्य .	२२४९–२२५१
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक——विचारार्थ प्रस्ताव—स्वीकृत	२२५१–२३११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . .	२३१२
बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . .	२३१३–२३२१
हिन्दी विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प——अस्वीकृत .	२३२१–२३५२
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—असमाप्त	२३५२–२३६६

शनिवार, २५ सितम्बर १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——	
दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग २) . .	२३६७
दामोदर घाटी निगम जांच समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय	२३६७–२३६८
राज्य सभा से सन्देश	२३६८
समिति के लिये निर्वाचन—लोक-लेखा समिति . . .	२३६९–२३७०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पारित . .	२३७०–२४०५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	२४०५–२५०४

सोमवार, २७ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश	२५०५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित	२५०५
लोक-लेखा समिति—नवां प्रतिवेदन उपस्थापित. . . .	२५०६
जेल से संसद् सदस्य की रिहाई . . .	२५०६
समिति के लिये निर्वाचन——	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	२५०६–२५०७
सभा का कार्य	२५०७

	स्तम्भ
कराधान विधियां (जम्मू तथा काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पारित	२५०७–२५२७
मध्यभारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पारित .	२५२८–२५३८
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त .	२५२८–२६२६

मंगलवार, २८ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश—	
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में	२६२७
पटल पर रखे गये पत्र—	
मसाला जांच समिति का प्रतिवेदन . . .	२६२७
तारांकित प्रश्न संख्या २१३० के उत्तर की शुद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य	२६२८
पुनर्वास वित्त प्रशासन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तथा वक्तव्य .	२६२८–२६२९
केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, १९४४ के अधीन अधिसूचनायें	२६२९
लोक-लेखा समिति—प्रतिवेदनों का उपस्थापन . . .	२६२९
स्थगन प्रस्ताव—	
बीमा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल—अस्वीकृत .	२६२९–२६३१
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—स्वीकृत .	२६३२–२६६९
विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित तथा पारित .	२६६९–२६७०
खाद्य तथा कृषि पदार्थों के मूल्यों में गिरावट पर चर्चा . .	२६७०–२६८८
सेवाओं के नियमों के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . .	२६८८-२७५२
कलकत्ता पत्तन के उप-नौवहन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा . . .	२७५२–२७६०

बुधवार, २९ सितम्बर, १९५४

हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के निकट रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	२७६१–२७६८
पटल पर रखे गये पत्र—	
पंचवर्षीय योजना की १९५३-५४ की प्रगति का प्रतिवेदन .	२७६८–२७६९
विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . .	२७६९
महानदी पुल समिति का प्रतिवेदन	२७६९
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	२७६९–२७७१
वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन	२७७१
राज्य सभा से सन्देश	२७७१

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) बिधेयक पर रायें .	२७७१
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२७७१
प्राक्कलन समिति—दसवां तथा ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२७७२
समितियों के लिये निर्वाचन—	
लोक-लेखा समिति	२७७२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	२७७२
अनुपस्थिति की अनुमति	२७७२–२७७३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा—असमाप्त . .	२७७३–२८७८

बृहस्पतिवार, ३० सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश	२८७९
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्राक्कलन समिति द्वारा अपने नवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का सारांश और उन पर सरकार के विचार या की गई या की जाने वाली कार्यवाही	२८८०
इस्पात परियोजना सम्बन्धी प्रगति का अग्रेतर ब्यौरा देने वाला विवरण	२८८०–२८८३
कुछ राज्य उद्यमों के वार्षिक प्रतिवेदन, अन्तिम लेखे तथा सन्तुलन पत्र	२८८३–२८८४
पुनर्वास वित्त प्रशासन का लेखा-परीक्षित सन्तुलन पत्र तथा हानि-लाभ लेखा	२८८४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२८८४
लोक-लेखा समिति—दसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
याचिका समिति—चौथा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
जेल से सदस्य की रिहाई	२८८५
हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के समीप रेल दुर्घटना के बारे में अनुपूरक विवरण	२८८५–२८८६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—पुरःस्थापित . .	२८८६–२८८७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित .	२८८७
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत .	२८८७–२९५०
मोटरगाड़ी उद्योग	२९५०–२९७५
राज्य सभा से सन्देश	२९७५–२९७६

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-५ म० प०

पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) तथा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ का परिशिष्ट

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा २ के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) तथा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ के परिशिष्ट की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एस-३३८/५४]**

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा ने १४ सितम्बर, १९५४ की अपनी बैठक में उस खाद्य अपमिश्रण निवारण विधेयक, १९५४ को बिना किसी

संशोधन के स्वीकार कर लिया है, जो लोक-सभा द्वारा २६ अगस्त, १९५४ की अपनी बैठक में पारित किया गया था ।

तारांकित प्रश्न संख्या २३२३-क के उत्तर की शुद्धि

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि ७ मई, १९५४ को श्री डी० सी० शर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३२३-क और उसके अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैंने एक वक्तव्य दिया था, जिसमें शुद्धि करने की आवश्यकता है । मैंने कहा था कि शिक्षा मंत्रालय ने रिले (पुनर्प्रसारण) के लिये सुझाव रखे थे । सही स्थिति यह है कि शिक्षा मंत्रालय ने नहीं, बल्कि संयोजकों ने एक रिले के लिये कहा था ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : श्रीमान्, मैं एक बात जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं पहले ही उनको सूचित कर चुका हूं कि सभा में उन्होंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, मैं उसकी अनुमति नहीं देता हूं । मैं उस प्रस्ताव की कोई भी चर्चा नहीं करूंगा । मैं उनके विचारों का प्रचार नहीं करना चाहता ।

डा० एन० बी० खरे : मैं गृह-मंत्रालय के ध्यान न देने के लिये उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता था ।

संयुक्त समिति के लिये सदस्यों का नामनिर्देशन

संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम १९५४ के अन्तर्गत नियम बनाने के लिये संयुक्त समिति

अध्यक्ष महोदय : संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ की धारा ९ की उपधारा (१) के उपबन्ध के अनुसरण में उपरोक्त अधिनियम की धारा ९ के अधीन नियम बनाने के लिये संयुक्त समिति में काम करने के लिये मैं निम्नलिखित १० सदस्यों को नामनिर्देशित करता हूं ।

श्री सत्यनारायण सिन्हा, श्री भागवत झा आज़ाद, श्री यू० श्रीनिवास मल्लाय्या, श्री दीवान चन्द्र शर्मा, श्री जगन्नाथ कोले, श्री गोविन्द हरि देशपांडे, श्री नेमी चन्द्र क़ासलीवाल, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री कमल कुमार बसु और श्री अशोक मेहता ।

सदस्य की दोष सिद्धि

सचिव : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे एक तार कल और एक तार आज प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि श्री नल्ला रेड्डी नायडू, सभा सदस्य को एक कृषि सम्बन्धी सत्याग्रह के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको नन्दी कोटकुर के स्थायी उपदण्डाधिकारी ने दोषी ठहराया है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ के आधीन छै महीने के कठोर कारावास तथा धारा ४४७ के अधीन तीन महीने के कठोर कारावास का दण्ड दिया है । ये दोनों दण्ड एक साथ चलेंगे । उन्हें बेल्लारी के अल्लीपुरम् जेल में भेज दिया गया है ।

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री पर, जिस में मद्यसार, अफीम, भांग या अन्य नशीली औषधि का अंश हो, उत्पादन शुल्क लगाने और उसको वसूल करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ऐसी औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री पर, जिसमें मद्यसार, अफीम, भांग अथवा अन्य नशीली औषधि या मादक पदार्थ का अंश हो, उत्पादन शुल्क लगाने और उसको वसूल करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं ।

विशेष विवाह विधेयक — जारी

खण्ड २७—(विवाह-विच्छेद)
खण्ड २७-क
खण्ड ३३—(आज्ञप्तियां देते समय न्यायालय का कर्तव्य)
} क्रमशः

अध्यक्ष महोदय : अब सभा राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विशेष विवाह विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी । संशोधनों पर भी विचार किया जायेगा ।

अब सभा विशेष विवाह विधेयक के खण्ड २७, नये खंड २७-क तथा खण्ड ३३ संबन्धी चर्चा को जारी रखेगी ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया ।

इन खण्डों के निबटारे के लिये चार घंटे का समय रखा गया है, जिसमें से २ घंटे और २ मिनट कल व्यतीत हो चुके हैं। शेष समय आज के लिये है। उस का अर्थ यह हुआ कि इन खण्डों पर चर्चा लगभग २ बजे समाप्त हो जायेगी। यह सभा सहमत हो तो ये खण्ड और इन से सम्बन्धित संशोधन २-३० म० प० पर सभा द्वारा मतदान के लिये रखे जा सकते हैं।

खण्ड २८ से ३२ पर खण्डवार चर्चा के लिये एक घंटा, और खण्ड ३४ से ५० पर चर्चा के लिये दो घंटे का समय रखा गया है। इस प्रकार आज इस विधेयक पर खण्डवार विचार समाप्त हो जायेगा। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे १५ मिनट के भीतर खण्ड २८ से ३२ तथा खण्ड ३४ से ५० से सम्बन्धित अपने उन संशोधनों की संख्यायें बता दें जो वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस से काम में सहूलियत होगी।

इस के बाद निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये :—

सदस्य का नाम तथा निर्वाचन क्षेत्र	संशोधन संख्या
श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर)—	५१०
श्री बोगावत (अहमदनगर—दक्षिण)—	१४२,१४४
पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव)—	३८६, ३८७, २७८, २८०
आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया)—	२०१, २०५
श्रीमती जयश्री (बम्बई-उपनगर)—	८८, ९०, ९१, ९२
श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व)—	४३६, ४३८, ४४०, ४४३, ४४४
श्री डाभी (कैरा—उत्तर)—	५०, ५१ (अवरुद्ध)
श्री एच० जी० वैष्णव (अम्बड़)—	४०८, ४०९, ४१४
श्री एम० एल० अग्रवाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व)—	४३७, ४३९, ४४१, ४४२
श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर)—	४६३
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट)—	१४५, १४८, १४९, १५०
डा० रामा राव (काकिनाडा)—	१४७, १५१
डा० जयसूर्य (मेदक)—	२०२
श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा)—	२०३, २०४
श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली)—	२०६

श्रीमती जयश्री (बम्बई—उपनगर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि पृष्ठ ९, पंक्ति २० में "five years" ("पांच वर्ष") के स्थान पर "three years" ("तीन वर्ष") रखा जाय।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ९, पंक्ति २० में "five years" ("पांच वर्ष") के स्थान पर "three years" ("तीन वर्ष") रखा जाय।

श्री एच० जी० वैष्णव (अम्बड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ९, पंक्ति २० में, "five years" ("पांच वर्ष") के स्थान पर "three years" ("तीन वर्ष") रखा जाय ।

श्री गिडवानी (थाना) द्वारा संशोधन संख्या ३२८ और श्री मूलचन्द दुबे द्वारा संशोधन संख्या ४६९ प्रस्तुत हुये ।

श्री वेंकटरामन् (तंजोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ९ पर,—

(१) पंक्ति ३८ में, "or" ('अथवा') शब्द हटा दिया जाय ।

(२) पंक्ति ३९ से ४१ तक हटा दी जायें ।

श्री बोगावत द्वारा संशोधन संख्या १५३, श्री झुनझुनवाला (भागलपुर—मध्य) द्वारा संशोधन संख्या ५१८, श्री राघवाचारी द्वारा संशोधन संख्या २०७, श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् (गुंटूर) द्वारा संशोधन संख्या ९४, डा० रामा राव द्वारा संशोधन संख्या १५४, श्री एच० जी० वैष्णव द्वारा संशोधन संख्या ४१६, श्री बोगावत द्वारा संशोधन संख्या १५६, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा संशोधन संख्या १५७, श्री बी० पी० सिंह (मुंगेर सदर व जमुई) द्वारा संशोधन संख्या ५३, श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् द्वारा संशोधन संख्या ९५, श्री मूलचन्द दुबे द्वारा संशोधन संख्या ४७०, डा० जयसूर्य द्वारा संशोधन संख्या २०८, डा० रामाराव द्वारा संशोधन संख्या १५८, श्री आर० डी० मिश्र द्वारा संशोधन संख्या ४९५, डा० जयसूर्य द्वारा संशोधन संख्या २००, श्री डाभी द्वारा संशोधन संख्या ५४, और श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् द्वारा संशोधन संख्या ९६, प्रस्तुत हुये ।

श्री वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि पृष्ठ ९ में, पंक्ति ४४ के पश्चात् निम्नांकित अंश जोड़ा जाय :—

"27-A. Divorce by mutual consent. (1) Subject to the provision of this Act and to the rules made thereunder, a petition for divorce may be prosecuted to the district court by both the parties together on the ground that they have been living separately for a period of one year or more, that they have not been able to live together and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved.

(2) On the motion of the parties made not earlier than one year after the date of presentation of the petition referred to in sub-section (1) and not later than two years after the said date of the petition is not withdrawn in the meantime the district court shall, on being satisfied, after hearing the parties and after making such inquiry, as it thinks fit, that a marriage has been solemnized under this Act and that the averments in the petition are true, pass a decree declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree"

"२७क—**परस्पर सम्मति से विवाह-विच्छेद.** (१) इस अधिनियम और

उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा विवाह-विच्छेद के लिये एक एक याचिका जिला न्यायालय में इस आधार पर दी जाय कि वे एक वर्ष या इससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं, वे एक साथ नहीं रह सके हैं और वे दोनों आपस में इस बात पर सहमत हैं कि विवाह भंग कर दिया जाय ।

(२) उपधारा (१) के अनुसार दी गई याचिका की तिथि से एक वर्ष बाद और उक्त तिथि से दो वर्ष बाद, यदि इसी बीच याचिका वापस नहीं ली जाती, दोनों पक्षों के प्रस्ताव करने पर जिला न्यायालय, आवश्यक जांच करके दोनों पक्षों की बातें सुन कर और इस बात से सन्तुष्ट होकर कि विवाह इसी अधिनियम के अन्तर्गत सम्पन्न हुआ है, और याचिका में दी गई स्वीकृति सच है, निर्णय देकर उसी निर्णय देने की तिथि से विवाह भंग होने की घोषणा कर सकता है ।"

श्री डाभी द्वारा संशोधन संख्या ४७१, श्री आचार्य कृपालानी द्वारा संशोधन संख्या २१४ और श्री आर० डी० मिश्र द्वारा संशोधन संख्या ४९६ प्रस्तुत किये गये।

श्री वेंकटरामन् : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ११ में, पंक्ति १६ के पश्चात् निम्नांकित अंश जोड़ा जाय :—

"(bb) When divorce is sought on the ground of mutual consent, such consent has not been obtained by force or fraud; and"

"(ख ख) जब परस्पर सम्मति के आधार पर विवाह-विच्छेद की याचना की जाती है, तो यह सम्मति कपट या बल प्रयोग द्वारा ली गयी नहीं होनी चाहिये, और"

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने संशोधन संख्या १६८ प्रस्तुत किया ।

श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट): मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ९, पंक्ति २० में "Five years" ("पांच वर्ष") के स्थान पर "Three years" ("तीन वर्ष") रखा जाय।

(२) पृष्ठ ९, पंक्ति २२ में "Five years" ("पांच वर्ष") के स्थान पर "Three years" ("तीन वर्ष") रखा जाय ।

(३) पृष्ठ ९, पंक्ति २६ में "five years" ("पांच वर्ष") के स्थान पर "three years" ("तीन वर्ष") रखा जाय ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) द्वारा संशोधन संख्या ४११, श्री जेठालाल जोशी (मध्य सौराष्ट्र) द्वारा संशोधन संख्या ३९८, श्री आर० डी० मिश्र द्वारा संशोधन संख्या ४९७ और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा संशोधन संख्या १६९ प्रस्तुत किये गये ।

श्री वेंकटरामन् : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ११ में,—

(१) पंक्ति ८ में "decrees" ("आज्ञप्ति") के बाद "(I)" "(१)" रखा जाये ।

(२) पंक्ति २४ के बाद, निम्नांकित अंश जोड़ा जाये :

"(2) Before proceeding to grant any relief under this Act it shall be the duty of the court in the first instance, in

[श्री वेंकटरामन]

every case where it is possible so to do consistently with the nature and circumstances of the case to make every endeavour to bring about a reconciliation between the parties."

"(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई सहूलियत देने का कदम उठाने से पहले न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि सब से पहले जहां तक संभव हो, मामले के स्वरूप और परिस्थितियों का प्रसंगानुकूल ध्यान रखते हुए, दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का पूर्ण प्रयत्न करे।"

श्री डाभी : कुछ सदस्यों को, जिन्हों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं अवसर नहीं मिला है और हो सकता है कि मिल भी न सके अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि समय बढ़ा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : समय, सभा की सुविधा के अनुसार ही नियत किया जाता है। अतः यह संभव नहीं है।

श्री वेंकटरामन् : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री सी० सी० शाह ने प्रस्तावना के रूप में यह कहा कि विवाह अपृथक्य और पवित्र सम्बन्ध है क्योंकि हम लोगों ने अपने सम्बन्धों को बड़ा पवित्र माना है। पिछली पीढ़ियों से भी ऐसा ही होता आया है अतः तथा कथित सुधारकों द्वारा किया जाने वाला यह काम एक अनरीति होगा और समाज को विशृंखलित करेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

श्रीमान्, यदि हमारे माननीय मित्र वर्तमान विशेष विवाह अधिनियम को ध्यान से देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि विवाह-विच्छेद कोई नई बात नहीं है। बम्बई और मद्रास में अधिनियमों में व्यवस्था की गयी है कि कुछ विशेष दशाओं और परिस्थितियों में विवाह-विच्छेद की स्वीकृति दी जा सकती है। मेरे माननीय मित्र ने परस्पर सम्मति से विवाह-विच्छेद की व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। मैं अपने मित्र से पूछता हूं कि जब पति-पत्नी में से एक दूसरे को छोड़ देता है और तीन वर्ष तक उस के साथ नहीं रहता तो विवाह-विच्छेद स्वीकार कर लिया जा सकता है, पर यदि पति-पत्नी दोनों ही विवाह-विच्छेद के लिये सहमत हैं तो उसे क्यों न स्वीकार कर लिया जाय? खण्ड २७(ख), जिस पर किसी को आपत्ति नहीं है, के अनुसार यदि पति-पत्नी दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ देता है तो दूसरा विवाह-विच्छेद की प्रार्थना कर सकता है और विवाह-विच्छेद की आज्ञा प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा है, तो जब पति पत्नी दोनों सहमत हैं तो विवाह-विच्छेद की आज्ञा उन्हें क्यों न दी जाये? क्या मैं अपने मित्र श्री चटर्जी से पूछ सकता हूं कि क्या भारत में ऐसी जातियां नहीं हैं जहां परस्पर सम्मति के न होने पर भी विवाह-विच्छेद हो सकता है? मैं कुछ ऐसी जातियों के बारे में भी बता सकता हूं जहां स्त्री पुरुष दोनों जाति के मुखिया के सम्मुख जा कर खाना पकाने का बरतन तोड़ते हैं और उन का विवाह-विच्छेद सम्पूर्ण मान लिया जाता है।

द्वितीय वाचन के समय मैंने अपने भाषण में बताया था कि मद्रास में एक मरुमक्कट्टयम् अधिनियम है जिस के अनुसार परस्पर सम्मति से विवाह-विच्छेद स्वीकार कर लिया जाता है। पति-पत्नी को केवल यह सिद्ध करना पड़ता है कि दोनों की ऐसी इच्छा है। अतः हमें किसी अन्य देश का अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। फिर, हम लोग यह जानते हैं कि यह विधि केवल उन्हीं लोगों पर लागू होगी जो स्वयं इस के अन्दर आना चाहेंगे। मैं नहीं समझता कि जब परस्पर सम्मति से विवाह-विच्छेद की प्रथा हमारे देश की कुछ जातियों में प्रचलित है, तब लोगों को इस में क्या आपत्ति हो सकती है।

मैं आप का ध्यान दो एक सावधानियों की ओर आकृष्ट करूंगा कि आवेश में आ कर या झगड़े में पड़ कर पति-पत्नी अप्रसन्न हो कर एक दूसरे से विवाह-विच्छेद करना चाहेंगे । पर समाज और विधि दोनों को ऐसे क्षणिक आवेश को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । संशोधन संख्या ९७ को देखने से ज्ञात होगा कि इसी कारण स्त्री पुरुष दोनों को पहले एक वर्ष अलग रह कर बाद में यह बताना पड़ेगा कि वह साथ-साथ नहीं रह सकते; तभी उन का विवाह-विच्छेद स्वीकार किया जायेगा ।

अतः यह दो शर्तें ही पर्याप्त नहीं हैं । एक तीसरी शर्त का होना भी आवश्यक है । अतः जब यह तीनों शर्तें कि साल भर से वे अलग रह रहे हों, वे साथ रहना भी नहीं चाहते और अलग होने के लिए दोनों सहमत हों, पूर्ण न हों तब तक कोई भी याचिका विवाह-विच्छेद के लिए स्वीकार न की जाये । पति-पत्नी दोनों में से केवल एक ही याचिका प्रस्तुत नहीं कर सकता बल्कि इस के विपरीत अनिवार्य रूप से दोनों को मिल कर ही याचिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी । सभा में उपस्थित मेरी बहनों को शायद कुछ गलतफहमी हो सकती है कि ऐसी सम्मति क्रूरता, छल बल प्रयोग या किसी अनुचित प्रभाव से भी ली जा सकती है । मैं उन को बताना चाहता हूं कि यह बात आधारहीन है क्योंकि उन को एक वर्ष तक अलग रहना पड़ेगा । क्या एक वर्ष तक यह क्रूरता, छल और बल प्रयोग जारी रह सकेगा ? फिर, न्यायालय याचिका पर तुरन्त तो आज्ञा नहीं देगा वह उस को एक वर्ष के लिए स्थगित करेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आवेदक केवल पति-पत्नी होंगे । जांच किस बात की की जायेगी ? दोनों सच्चाई स्वीकार कर लेंगे ।

श्री वेंकटरामन : जब पति-पत्नी दोनों न्यायालय में आकर कहेंगे कि हम दोनों एक साल से अलग अलग रह चुके हैं और हम अलग रहना चाहते हैं तो आप स्वयं सोचिये कि जब वे अलग-अलग रह रहे हैं तो कैसे एक दूसरे पर बल, कपट या किसी अन्य अनुचित तरीके का प्रभाव पड़ सकता है । फिर संशोधन संख्या ५२० से प्रकट है कि न्यायालय को जब यह सन्तोष हो जायेगा कि सम्मति किसी भी अनुचित प्रकार से नहीं ली गई है तभी वह विवाह-विच्छेद की आज्ञा देगा ।

मेरी समझ में नहीं आता कि इस खण्ड से लोगों को क्यों इतनी उत्तेजना हो रही है जब कि पति-पत्नी में से एक का दूसरे को छोड़ देने या एक द्वारा विवाह-विच्छेद के लिये याचिका देने पर विवाह-विच्छेद की स्वीकृति दी जा सकती है और किसी बल प्रयोग, कपट या अनुचित प्रभाव के सम्बन्ध में कोई जांच भी नहीं की जाती । मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल भ्रम है ।

खण्ड ३३ पर एक दूसरे संशोधन के बारे में भी मैं कुछ कहूंगा । श्री आचार्य कृपालानी ने कहा कि न्यायालय पति-पत्नी में समझौते का प्रयत्न करें और मामले को तीन व्यक्तियों की बनी समिति के सुपुर्द कर दिया जाये । मैं सहमत हूं कि पति-पत्नी में समझौता कराने का प्रयत्न न्यायालय अवश्य करे, पर मामले को समिति के सुपुर्द करने में कार्यवाही बड़ी लम्बी-चौड़ी हो जायेगी । इसलिए इसी सम्बन्ध में मेरा संशोधन संख्या ५२१ स्वीकार किया जाय जो आवश्यकता की पूर्ति कर सकेगा ।

खण्ड (ङ), (च) और (छ) में पागलपन, गुप्त बीमारी और कोढ़ के मामलों में कम से कम ५ वर्ष का समय रखा गया है कि इस के पूर्व विवाह-विच्छेद की याचिका नहीं दी जा सकती । मैं इस समय को तीन वर्ष करने वाले किसी भी संशोधन का हृदय से अनुमोदन करूंगा । ५ वर्ष का निरन्तर समय बहुत अधिक होगा; इस से लोगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई सहूलियत नहीं मिलेगी ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत खण्ड पर बोलते हुए

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

कल आचार्य कृपलानी ने खण्ड के प्रथम भाग अर्थात् (क) की ओर ध्यान आकर्षित किया था और उन्हों ने कहा था कि संयोगवश की गई भूल से इन परिणामों का उद्भव दुर्भाग्य में होगा। उन्हों ने जो यह प्रश्न उठाया है उस के अतिरिक्त प्रश्न के प्रति उन के व्यापक दृष्टि-कोण से मैं सर्वथा सहमत हूं। लेकिन यहां प्रश्न अनेक वस्तुओं की गणना करना नहीं है। अन्तोगत्वा जो प्रश्न उठता है वह यह है कि जब दो व्यक्ति परस्पर मिल कर काम नहीं कर सकते ह,—कारण कुछ भी हो,—ऐसी स्थिति में क्या किया जाये ? मैं एक नहीं, किन्तु अनेक भूलें क्षमा करने के लिये तैयार हूं पर इस असहनीय अवस्था को कभी भी क्षमा करने के लिये तैयार नहीं हूं कि दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के आलम्बन को घृणित समझने लगें। अत: मैं इस खण्ड का यहां स्वागत करता हूं। एक दूसरे की सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में मेरे साथी श्री वेंकटरामन् द्वारा प्रस्तुत संशोधन का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। राज्य-सभा ने इसे दूसरे रूप में प्रस्तुत किया है। मेरा विचार है कि प्रस्तावित संशोधन में सुझाया गया रूप—मेरा विश्वास है कि यह श्री वेंकटरामन् और श्री रघुरामैया का संशोधन सं० ९७ है—कई कारणों से अच्छा उपाय है। मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि इस प्रकार के विषय में विवाह-विच्छेद तथा पृथक्करण के लिये अन्तिम कारण यही है कि दो व्यक्ति, साथ साथ शान्ति और सौहार्द्रपूर्वक नहीं कर सकते हैं। इस के साथ ही उन्हें भावावेश में ऐसा निर्णय नहीं करने देना चाहिये जिस से उन के जीवन पर प्रभाव पड़ता हो। इसलिये उन्हें पुनर्विचार और समझौते आदि के लिये समय देना चाहिये। अत: मैं एक वर्ष की अवधि देने वाले संशोधन का समर्थन करता हूं। विधेयक के दूसरे भाग में भी एक खण्ड है और मेरा विश्वास है कि दो संशोधन हैं, मेल कराने और भले कराने के प्रयत्न के सम्बन्ध में, एक आचार्य कृपालानी और एक श्री वेंकटरामन का—यह दो संशोधन हैं। इस प्रकार के प्रयत्नों को मैं बहुत अधिक महत्व देता हूं। मेरा विचार है कि सर्वोत्तम मार्ग यह है कि न्यायालय को इस प्रकार के प्रयत्नों की अनुमति दी जाये। न्याया-लय जैसा चाहे वैसी कार्यवाही कर सकता है। इस के लिये कोई कारण नहीं है कि न्यायालय आचार्य कृपालानी के सुझाव के अनुसार कार्यवाही न करे। लेकिन इस विषय में नमनशीलता महत्वपूर्ण है एक कठोर प्रक्रिया द्वारा न्यायालय को जकड़ने से इच्छित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। प्रश्न यह है कि हमारे पास एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिये और उस की कार्यान्विति के लिये न्यायालय से निश्चित रूप से निदेशित कराना चाहिये।

मेरा अनुमान है कि विवाह-विच्छेद और विवाह-विच्छेद की अनुमति की वांछनीयता के सम्बन्ध में युक्तियां उपस्थित करने के लिये अब पर्याप्त विलम्ब हो गया है, मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहूंगा। हम ऐसे सम्बन्ध पर चर्चा कर रहे हैं जो असाधारण रूप से कोमल और जटिल है; प्राय: यह मधुरिमापूर्ण होता है, कभी कभी यह अत्यन्त भयावह हो सकता है। हम विवाह के सम्बन्ध में और विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में बातें करते हैं। मुझे लगता है कि इन सब बातों के दौरान एक विषय हमारे मस्तिष्क में है—यह काम भावना का सम्बन्ध है जो स्वभावत: विवाह का एक अंग है। लेकिन विवाह काम-सम्बन्ध से बढ़ कर कुछ और है। विवाह परस्पर सहयोग है; मैत्री है; यह एक दूसरे को सहायता देना और सब प्रकार के कठिन कार्यों में सहयोग देना है। मैं काम-भावना का महत्व कम नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरा अभिप्राय यह है कि विवाह काम-व्यापार से बढ़कर कुछ और भी है। विवाह का अर्थ रात दिन वासना में लिप्त रहना ही नहीं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा

कि विधवा को विवाह नहीं करना चाहिये । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है । इस का अर्थ यही है कि आप काम की दृष्टि से ही विचार कर रहे हैं । मैं इस दृष्टिकोण का विरोध करता हूं ।

कदाचित समस्त समस्याएं—समस्त मानवीय समस्याएं, मानवीय सम्बन्ध द्वारा हल की जा सकती हैं; वैयक्तिक, घरेलू, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ; व्यक्ति का व्यक्ति से सम्बन्ध, व्यक्ति का समूह से सम्बन्ध और समूह का समूह से सम्बन्ध—यह सब मानवीय सम्बन्ध पर आश्रित हैं । यह सब वस्तुएं विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आ जाती हैं । सहस्रों वर्ष बीत जाने पर भी यह सम्बन्ध अभी सुगम रूप में नहीं है। यह कठिनाइयों से भरा हुआ है और पर्याप्त दुर्बोध है । व्यक्ति अथवा समूह के अधिक भावुक और अधिक प्रगतिशील हो जाने पर कठिनाइयां और कदाचित् सफलताएं बृहद् रूप धारण कर लेती है क्योंकि तब आप किसी एक पक्ष को बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक अथवा अन्य किसी रूप में दूसरे पक्ष के आश्रित रख कर अथवा उस की परछाईं-मात्र बनकर अपना व्यक्तित्व खोना पसन्द नहीं करेंगे । उन्नत मानव का अर्थ है हृदय की विशालता, एक दूसरे को समझने का सामर्थ्य और सहनशीलता—भूलों तथा गलतियों के प्रति सहनशीलता जो सफलता के लिये आवश्यक है । किन्तु यदि आप उन्हें ऐसे दो प्राणियों की भांति समझें जो प्रायः काम वासना में लिप्त रहने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते हैं तो कदाचित् कठिनाइयां सीमित हो सकती हैं । लेकिन यदि आप व्यापक दृष्टिकोण अपनायें—जैसा कि आप को करना चाहिये—तब विधि की दृष्टि से इस प्रश्न की प्रागणना ही नहीं करना है । जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तब विधि हेतु आप उपबन्ध की व्यवस्था करते हैं लेकिन अन्ततोगत्वा प्रश्न सुखी विवाहों को प्रोत्साहित करने के उपाय ढूंढने के सम्बन्ध में है ।

बहुत से व्यक्तियों का विचार है कि विवाह-विच्छेद के उपबन्ध से आप विवाह की पद्धति को ही विच्छिन्न कर रहे हैं । मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं कि विवाह-विच्छेद के उपबन्ध से आप सामान्यतया सुखी विवाहों का आह्वान कर रहे हैं । मैं व्यक्तिगत मामलों के सम्बन्ध में नहीं कह रहा । लोग विधि का उपयोग अथवा दुरुपयोग कर सकते हैं अथवा विधि की अनुपस्थिति में वह उन कार्यों को कर सकते हैं जो उन्हों ने पहले किये हैं ।

प्रायः हम से कहा जाता है कि यह हमारे मूलभूत विचारों और परम्पराओं व हिन्दू समाज के विरुद्ध है । मुझे लगता है कि इस रूप में कुछ भी कहा जा सकता है क्योंकि हिन्दू समाज इतना व्यापक एवं विशाल है कि आप ऐतिहासिक दृष्टि से अथवा यथार्थ दृष्टि से इस के बारे में कुछ भी कह सकते हैं । जब हम हिन्दू समाज के विषय में बातचीत करते हैं तो क्या हमारा अभिप्राय ऊंची जाति के इने-गिने व्यक्तियों से है अथवा बीस या तीस करोड़ व्यक्तियों से—इस देश में हिन्दुओं की जो भी संख्या हो । जब हम संख्या के आधार पर दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो हम चिल्लाते हैं । इस देश में हम २७ करोड़ हिन्दू हैं लेकिन जब हम सीधी बात कहते हैं और सुधार की बात करते हैं तब ऊंची श्रेणी के थोड़े से व्यक्तियों के विषय में विचार करते हैं । आप इसे दोनों ओर नहीं कर सकते हैं । इस के अतिरिक्त और क्या विचार हो सकता है । सम्पूर्ण आदर के साथ मैं कह सकता हूं कि आप को मनु अथवा अन्य किसी व्यक्ति के कठोर नियमों और उपनियमों को ही नहीं पढ़ना चाहिये । यद्यपि उन में भी आप को वैचित्र्य मिलेगा । अपितु आप को सामाजिक जीवन का अध्ययन करना चाहिये, जैसा कि

[श्री जवाहरलाल नहरू]

वह पिछले जमाने में हमारे देश में निर्मित हुआ है। हम अनेक रूपों में इस का अध्ययन कर सकते हैं; कदाचित् अच्छा तरीका यह है कि हम सामाजिक जीवन की उन झलकों की ओर देखें जो प्राचीन पुस्तकों में मिलती हैं। हमारे सब से प्राचीन नाटक 'मृच्छकटिक' को लीजिये। यदि आप ने नहीं पढ़ा है तो अवश्य पढ़िये। मानव-जीवन की जिन कोमल वृत्तियों का उस में वर्णन किया गया है उसे पढ़िये। उस में किसी स्त्री अथवा पुरुष के प्रति कठोर नीति और दंड का विधान नहीं है प्रत्युत जीवन की कठिन समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है।

संभवतः 'मृच्छकटिक' की रचना ईसा की पांचवीं शताब्दी में की गई थी, अर्थात् आज से लगभग १४०० वर्ष अथवा इस से भी अधिक वर्ष पूर्व। आप इसे किसी अंश तक नाटक कह सकते हैं, इस में कृत्रिमता नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस की रचना की उस ने इस में युग का प्रतिबिम्ब चित्रित कर दिया है। यदि आप उस नाटक को पढ़ें तो आप एक एसा समाज देखेंगे जो अत्यधिक सुसंस्कृतज्ञ और अत्यन्त विकसित रूप में है। उस में व्यक्ति का विकसित रूप है। व्यक्ति का विकास लम्बी-चौड़ी बातें कहने, विशालता की चर्चा करने और उस का ढोल पीटने में निहित नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसा व्यवहार करता है यही उस का मापदण्ड है। यक्ति की कसौटी इस में है कि वह अपने पड़ोसी, अपनी पत्नी अथवा अन्य किसी व्यक्ति से किस प्रकार व्यवहार करता है। उस का अन्य व्यक्ति से कैसा व्यवहार है, सामाजिक सम्बन्ध में उस का क्या स्थान है,—इन पर व्यक्ति की परख अवलंबित है। यदि आप इस कसौटी से देखें तो आप को मालूम होगा कि हमारे देशवासी आश्चर्यजनक रूप में प्रगतिशील थे और उन का दृष्टिकोण उदार तथा सहनशीलता से युक्त था।

मैं मापदण्ड के सम्बन्ध में कह रहा था। एक और मापदण्ड है। आदिमकाल के समाज में अंधविश्वासों और प्रतीकों का बोलबाला था। मैं इन के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन सामान्यतया अंधविश्वास और शकुन आदिम युग के उदाहरण हैं। समाज जितना अधिक विकसित होता है, उस की आस्था अंधविश्वासों में उतनी ही कम होती है। क्योंकि उन का स्थान आत्मसंयम ले लेता है और पुलिसमैन का डंडा तिरोहित हो जाता है। मैं ने इस शब्द का प्रयोग किया है: आप अपनी इच्छानुसार इसे व्यवहृत कर सकते हैं। लेकिन सिद्धान्त वही है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में समस्याओं का हल करने के लिये, आप युद्ध अथवा युद्ध-सरीखी किसी भी घटना को टालने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में आप शान्तिपूर्वक समस्याओं का हल करना चाहते हैं। इसी तरह घरेलू मामलों में भी, पति और पत्नी के कलह में भी आप यह नहीं चाहते हैं कि आप के विवाद में निधि का प्रयोग किया जा कर प्रत्येक कार्य के लिये आप को दण्ड दिया जाये। मैं नहीं समझता कि हम अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय मामलों में इस से मुक्त हो सकते हैं। यह एक पृथक विषय है। लेकिन सिद्धान्त वहीं है। हिंसा के प्रयोग से दूर रहना समाज और राष्ट्र की सांस्कृतिक उन्नति का द्योतक है। यदि दूसरे मामलों में ऐसा है तो परिवार के आन्तरिक दायरे में यह और भी आवश्यक है। पति और पत्नी, पिता और उस के बच्चों के बीच पुलिस के डंडे की सहायता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। डंडे से मेरा अभिप्राय उस विधि से है जो प्रीड़न करती है, विवश कर देती है और जो वर्तमान अवस्था की भांति एक पक्ष को दंडित करती है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि हमारी विधियां, हमारे रीति-रिवाजों का मैं उच्च वर्ग के विषय म कह रहा हूं—स्त्री समाज को भारी मूल्य चकाना पड़ता है। इसीलिये हम अन्य विधान का पुरः स्थापन

कर रहे हैं। हिन्दू विधि से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह ऐच्छिक अनुमतिदायी विधान है। जिसे लोग स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं। यदि वे इस पद्धति के अनुसार विवाह करते हैं तो उन्हें कतिपय परिणाम स्वीकार करने पड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के कार्य में क्या आपत्ति हो सकती है। किसी एक व्यक्ति को आपत्ति हो सकती है लेकिन उन अन्य व्यक्तियों को रोकने का उसे कोई अधिकार नहीं है जिन्हें इस में कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसे नहीं समझता हूं। लेकिन मैं यह कहने का साहस करता हूं कि इस में इस से अधिक कुछ और है। यदि आप दूसरे को रोकते हैं तो आप अंधविश्वासों और शकुनों की आरम्भिक अवस्था की सृष्टि करते हैं। मुझे खेद है कि सभी व्यक्ति अंध-विश्वास और संकेतों की इस दुनिया से बाहर नहीं हैं। हम अभी भी आदिम जीवन व्यतीत करते हैं और उसी प्रकार विचार करते हैं; हमारी अधिकांश कठिनाइयों का यही कारण है। अतः मैं सभा से इस विस्तृत दृष्टिकोण पर विचार करने की प्रार्थना करता हूं।

सर्वप्रथम, यह अनमतिदाता विधान है अर्थात् यह केवल उन व्यक्तियों के है जो इस के अनसार काम करना चाहते हैं और इस से शासित होने के इच्छक हैं। जो व्यक्ति इस का अनुमोदन नहीं करता है उस के लिये दूसरे व्यक्तियों को इसे मानने से रोकना उचित नहीं है। दूसरे, गुण-अवगुण के आधार पर भी यह उचित विधान है। मुझे आशा है कि इस विधान का आधार कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस का प्रचार हो कर राष्ट्र में किसी अंश तक एकरूपता पैदा होगी।

मैं सभा के सामने एक बात पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं। मैं विवाह-विच्छेद के बारे में कह रहा हुं। आप को यह समझना चाहिए कि वह विवाह को विकृत करने वाला विधान है। यदि ऐसा है तो मैं कहता हूं कि विवाह स्वयं एक आवरण है। अब वह हमारा मानसिक अथवा शारीरिक एकीकरण नहीं रहा है। यह एक जबर्दस्ती थोप दी जाने वाली वस्तु है जिस में अब कोई नैतिकता अवशेष नहीं है। अतः लोगों को बिना सोचे-समझे काम न करने दिया जाय। उन्हें सोचने का अवसर दिया जाय। यदि उन्हें यह रुचिकर नहीं है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न की जाय जो सब बुराइयों की जड़ है। यह उन के लिये तथा उन के बच्चों के लिये ही बुरा नहीं है, समाज के लिये भी बुरा है। मैं सभा से निवेदन करता हूं कि विधेयक में परस्पर-सम्मति का खण्ड, चाहे उस में सुधार कर दिया जाय जिस से कोई काम शीघ्रता में न हो, फिर भी एक उचित खण्ड है और इस से विवाह-पक्षों में अधिक सुख फैलेगा। यह उस स्थिति से अच्छा है जिस में पुरुष यह समझता है कि वह चाहे कैसा ही दुर्व्यवहार करे, उस का कुछ नहीं बिगड़ सकता।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि प्रथाएं ऐसी बन गई हैं जिन के अनुसार स्त्री तथा पुरुष विभिन्न नैतिक स्तर से देखे जाते हैं। साधारणतया आप देखेंगे कि स्त्रियां इस अधिकार के लिये मांग कर रही हैं जब कि पुरुष विमुख हैं, क्योंकि वे ऊंची स्थिति में हैं। हमें स्पष्ट रूप से इस प्रश्न पर विचार करना है। मुझ आशा है कि पुरुष सदैव इस ऊंचे स्तर पर न रहेगा। हम नैतिक स्तरों में विभिन्नता नहीं रख सकते। अतः इस विधेयक का उद्देश्य समानता लाना है। यह ठीक है कि केवल विधि से हम ऐसा नहीं कर सकते। यह तो रीति, शिक्षा तथा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर आधारित है। यदि किसी की आर्थिक दशा बिगड़ी हुई है तो कुछ लोग उस का दुरुपयोग कर बैठते हैं। खैर, यह एक दूसरा विषय है।

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

परस्पर सम्मति से विवाह-विच्छेद करना केवल एक बहाने के रूप में आदिष्ट नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने कहा है कि इसका नतीजा यह निकलेगा कि पति अपनी पत्नी की सम्मति प्राप्त करने के लिये बल का प्रयोग करेगा। यह असम्भव नहीं है किन्तु यदि उन में समझौता कराने की अवधि बढ़ा दी जाय तो ऐसा नहीं होगा। इतने पर भी यदि पति ऐसा बर्ताव करता है तो ऐसे पति से पत्नी को जितनी जल्दी छुटकारा मिल सके उतना ही अच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं श्री वेंकटरामन् तथा श्री रघुरामैया के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : राज्यसभा द्वारा स्वीकृत खण्ड के लिये मेरी जो प्रतिक्रिया है यह उस के पक्ष में नहीं है। प्रवर समिति के सदस्य भी उस के पक्ष में नहीं हैं, यह उन के प्रतिवेदन से स्पष्ट ज्ञात हो सकता है। अतः श्री वेंकटरामन् का संशोधन, बिना किसी संरक्षण की शर्त के पारित नहीं हो सकता। उन्होंने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने बताया कि देश के कुछ भागों में, विशेषतया मालाबार में, यह विधि प्रचलित है। मैं भी वहां का निवासी हूं किन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वहां की स्थिति कुछ और है। वहां के नियम तथा उस राज्य की स्थिति अन्य राज्यों से पृथक् है।

श्री वेलायुधन (विवलोन व मावेलिक्करा–रक्षित—अनुसूचित जातियां) : वे जरा आगे बढ़ गये हैं।

श्री ए० एम० थामस : उस राज्य में स्त्रियां ऊंची स्थिति में हैं क्योंकि उत्तराधिकार मातृपक्ष में चलता है, किन्तु अन्य राज्यों में परस्पर सम्मति के उपबन्ध से स्त्रियों की दुर्गति हो जायगी। ट्रावनकोर-कोचीन में पहले से ही ऐसी प्रथाएं चली आ रही हैं और विधि ने तो केवल उन्हें मान्यता दी है।

कुमारी एनी मैस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : क्या मरुमक्कट्टयम् विधि वहां अब भी है ? ट्रावनकोर में तो नहीं है; कोचीन में ही है।

श्री ए० एम० थामस : मेरा अभिप्राय यह है कि जहां तक विधि है वहां भी इस के प्रति असन्तोष है। श्री चटर्जी ने अपने भाषण में ठीक ही कहा है कि विवाह एक संस्कार है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। कुछ माननीय सदस्य बातें कर रहे हैं। इस से सभा की कार्यवाही में अन्तर्बाधा पड़ती है।

श्री ए० एम० थामस : यह विधेयक एक प्रकार से परस्पर सम्मति के विवाह का करार है फिर भी खण्ड १२ के परन्तुक से प्रकट है कि विवाह करार से ऊंची बात है।

आप ने जब भाषण दिया तो आप ने हिन्दू विवाह के समय पढ़े जाने वाले कुछ सूत्रों को उद्धृत किया। ईसाइयों में भी ठीक इसी अर्थ के शब्द विवाह के समय कहे जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वैवाहिक पवित्रता पर राष्ट्र का चरित्र निर्भर है। अतः यदि परस्पर सम्मति का खण्ड अपनाया भी जाय तो उस के साथ पूरा संरक्षण होना चाहिए। मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं, फिर भी यदि यह खण्ड स्वीकृत हो, तो श्री वेंकटरामन के संशोधन के आधार पर हो।

श्री फ्रेंक एंथानी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परस्पर सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं, किन्तु उस के साथ आवश्यक संरक्षण होना चाहिए।

पहली कठिनाई तो यह है कि यह उपखंड वैधिक दृष्टि से तथा व्याकरण की दृष्टि से भी मुझे शुद्ध नहीं जान पड़ता। मैं नहीं जानता कि इस खण्ड के निर्माण का श्रेय किस को है ?

एक माननीय सदस्य : यहां तो कोई मंत्री भी नहीं है।

श्री वेंकटरामन : एक मंत्री आ रहे हैं ।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : क्या जल पीने के लिये जाना भी मना है ? मैं ने तो आज भोजन भी नहीं किया है ।

श्री फ्रैंक एंथनी : मेरा आशय तो आप का ध्यान इस खण्ड की ओर ले जाने का था । आप इस का अध्ययन कीजिए तो ज्ञात होगा कि इस से विविध अर्थ निकलते हैं ।

श्री बिस्वास : कौन सा खण्ड है ?

श्री फ्रैंक एंथनी : खंड २७ का उपखंड देखिए ।

श्री बिस्वास अच्छा तो यह होगा कि जो खंड आप को पसन्द न हो उसे हटा दीजिये; आप की कठिनाई दूर हो जाएगी ।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूं । आप ज़रा ग़ौर तो कीजिए । इस का अंतिम वाक्य ऐसा लगता है जैसे उसका प्रयोग पहले तथा दूसरे, दोनों वाक्यों के अर्थ को लेते हुए किया गया है, जबकि वास्तव में उस का प्रयोग केवल दूसरे वाक्य के समर्थन में है । अतः इसमें व्याकरण की त्रुटि है ।

श्री बिस्वास : हां, इसके लिये मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि राज्य-सभा में जिस माननीय सदस्य ने यह उप-खण्ड पुरःस्थापित किया है उस ने स्वयं इस की त्रुटियों को स्वीकार किया । अतः इस का दोष मेरे सिर पर नहीं है ।

श्री ए० एम० थामस : इस के लिये एक संशोधन भी है ।

श्री फ्रैंक एंथनी : मुझे उस का पता नहीं था । तब तो मेरी कठिनाई दूर हो गई । इस की मुझे बड़ी खुशी है ।

जहां तक इस सिद्धान्त का प्रश्न है, मैं उस से सहमत हूं । यह ठीक है कि वैवाहिक बन्धन को जितनी पवित्रता दी जा सके, देनी चाहिए, फिर भी ऐसे विवाहों का निस्सन्देह विच्छेद कर दिया जाना चाहिए जो विवाह न हो कर विवाह का उपहास-मात्र हैं ।

एक वकील की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि परस्पर सम्मति का जो यह कदम उठाया जा रहा है, वह अंग्रेजी विधि में भी विद्यमान नहीं है । श्री एन० सी० चटर्जी, जो इस के विरुद्ध बोले थे, अभी यहां उपस्थित नहीं हैं । मेरा निजी अनुभव यह है कि अदालतों में विवाह-विच्छेद के दस में से नौ मामलों में लोग झूठ बोलते हैं । लोग जानते हैं कि अनेक स्त्री-पुरुष भ्रष्टाचार करते हैं, किन्तु उन पर आवरण डालने का प्रयत्न किया जाता है । किन्तु इस परस्पर सम्मति के सिद्धान्त से ऐसी फूहड़ परिस्थितियां उत्पन्न ही नहीं होने पायेंगी ।

इस प्रकार के व्यभिचार वाले मामलों में जहां विवाह-विच्छेद हुआ हो, प्रायः नौकर का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है । हो सकता है कि यह सत्य हो । प्रायः यही प्राप्त साक्ष्य होता है । इस का कारण यह है कि हम पति या पत्नी से सम्बद्ध मामलों में गवाही देना उचित समझते, इसलिए भारत में वास्तविक घटनाओं के बारे में सज्जन व्यक्तियों का साक्ष्य प्राप्त करना असम्भव है । दूसरा कारण यह है कि अधिकतर व्यक्ति, चाहे उन के पारस्परिक सम्बन्ध बिगड़ गये हों, कुकर्मों का भांडाफोड़ करने में हिचकते हैं । इस का परिणाम यह होता है कि विवाह-विच्छेद के ९० प्रतिशत मामलों में झूठी गवाही प्रस्तुत की जाती है । अतः, मैं कहता हूं कि सम्मति का सिद्धान्त एक अच्छा सिद्धान्त है ।

मैं श्री वेंकटरामन के संशोधन, नया खण्ड २७—क, के प्रथम भाग और उन के संशोधन के संशोधन से सहमत हूं । मैं नये खण्ड २७—क के द्वितीय खण्ड से, जिस में कहा गया है कि

[श्री फ्रैंक ऐंथोनी]

याचिका निवेशित करने के पश्चात्, मामला एक वर्ष तक अनिर्णीत पड़ा रहेगा, सहमत नहीं हूं। मेरा ख्याल है कि यह वर्तमान न्याय-प्रथा तथा सिद्धान्त के विरुद्ध है। श्री वेंकटरामन के संशोधन में, अर्थात् उन के संशोधन के प्रथम भाग में, समझौता प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रयास किया गया है, और यहां तक कि समझौता कराने में न्यायालयों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि यदि कोई संशोधन स्वीकार किया जाय तो नये खण्ड २७—क का प्रथम भाग और इस खण्ड के संशोधन को स्वीकार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं खण्ड का समर्थन करता हूं।

आचार्य कृपालानी : अभी माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि भारत में स्त्रियों पर इस रूढ़ि का प्रभाव अधिक है। इस विधि का उद्देश्य विवाह के मामले में पुरुष व स्त्री में समानता लाना है। परन्तु यह भुला दिया गया है कि जीवन के एक क्षेत्र में, जब कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में असमानता विद्यमान हो, समानता नहीं लाई जा सकती। अतः हमें अपने समाज को स्पष्ट रूप में समझना आवश्यक है, और वह समाज इतनी सुगमता से परिवर्तित नहीं होगा जितनी सुगमता से आप विवाह-विधि में परिवर्तन कर सकते हैं। आप न तो आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं और न ही सामाजिक व्यवस्था में, और न ही आप लोगों की आदतों को बदल रहे हैं। मुझे डर है कि परस्पर सम्मति सम्बन्धी इस खण्ड के पारित होने पर असमानता को स्थायित्व प्राप्त हो जायेगा। भारत में, यदि आप पत्नी को निरन्तर और बहुत पीटते हैं, तो सम्मति प्राप्त हो जायेगी।

श्री वेंकटरामन ने बुद्धिमत्तापूर्वक हमें बताया था कि कुछ जातियों में इतना विवाह-विच्छेद होता है कि आप एक बर्तन तोड़ कर विवाह-विच्छेद कर सकते हैं। परन्तु जिस समाज में यह होता है, उस समाज में पुरुष व स्त्री को शारीरिक व आर्थिक समानता प्राप्त है। कभी कभी स्त्री पुरुष की अपेक्षा अधिक धनोपार्जन कर सकती है जैसा कि ट्रावनकोर-कोचीन में है। यदि वहां परस्पर सम्मति से विवाह-विच्छेद होता है, तो उस में कोई हानि नहीं। परन्तु जहां यह आर्थिक समानता नहीं है, वहां मुझे विश्वास है, इस खण्ड से आप स्त्री को समानता देने के बजाय पुरुष को एक ऐसा अस्त्र देंगे जिस से वह अपनी स्त्री को भयभीत कर सकेगा। प्रधान मंत्री ने कहा था कि यदि पति पत्नी को पीटता है, तो पत्नी उस से विवाह-सम्बन्ध क्यों रखे। यह कहना बहुत सरल है, परन्तु पत्नी को अपनी आर्थिक स्थिति और इस बीच में उत्पन्न हुये बालकों तथा स्थापित हुये अन्य संबन्धों के बारे में सोचना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप स्त्रियों को अधिकार देंगे तथा पुरुषों व स्त्रियों में समानता उत्पन्न करने के बजाय पुरुष के हाथों में एक बड़ा भयानक अस्त्र सौंप रहे हैं। श्री वेंकटरामन कहते हैं कि इस भयानक अस्त्र को पुरुष के हाथों में एक वर्ष के लिए रहने दो, ताकि वह अपनी पत्नी को एक वर्ष तक और पीट सके। तर्क करने का यह बड़ा ही अद्भुत ढंग है।

इस के उपरान्त खण्ड ३३ आता है। मैं ने इस का एक संशोधन प्रस्तुत किया है। यद्यपि यह एक बड़ा युक्तियुक्त तथा उपयुक्त संशोधन है, परन्तु, क्योंकि प्रधान मंत्री बोल चुके हैं, अतः इस सभा में यह भी स्वीकृत नहीं होगा। इस का कारण यह है कि उन का मत ही सदैव अन्तिम विनिश्चय होता है।

सरकार ने श्रमजीवियों व वृत्तियोजकों के बीच समझौता बोर्डों की व्यवस्था की है। हम देखते हैं कि इन बोर्डों ने अतीत की अपेक्षा अधिक शान्ति स्थापित की है। परन्तु दूसरी ओर विवाह के मामले में जो कि एक पवित्र

सम्बन्ध है, और जिस का प्रभाव समाज तथा भावी सन्तति पर पड़ता है, आप निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को देते हैं। न्यायालय विधि-प्रक्रिया के प्रतिकूल कुछ नहीं कर सकता जब कि समझौता बोर्ड ऐसी कठोर विधियों से जकड़ा हुआ नहीं है। अतः विवाह-विच्छेद के समय दोबारा समझौता कराने का प्रयत्न करने के लिए समझौता बोर्ड होना चाहिये। इस के अतिरिक्त, मैं ने सुझाव दिया है कि इस बोर्ड में समाज के प्रतिष्ठित वृद्धावस्था के लोग हों, जो युवा दम्पत्ति में समझौता करा सकें, उन्हें समझा सकें और उन पर अन्य प्रभाव डाल कर उन में समझौता कराने का प्रयत्न कर सकें। उस स्थिति में जब कि समझौता सम्भव न हो, तो वे न्यायालय से सिफारिश कर सकते हैं कि क्या करना चाहिये। इस मामले में और गवाही आदि लेने से और अधिक विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। अतः, मेरा यह निवेदन है कि हमारे समाज में, जिस में विवाह-विच्छेद पहिली बार लागू किया जा रहा है, यह बहुत ही उपयुक्त तथा सहायक होगा। हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में भी, जहां के लोग हमारी अपेक्षा विवाह-सम्बन्धी मामलों में अधिक मुक्त हैं, अपनी मानहानि के कारण बहुत से मामलों में न्यायालय में नहीं जाते। अतः मेरा निवेदन है कि मेरा यह संशोधन विधेयक में सम्मिलित किया जाय।

मेरा एक और संशोधन है। यह खण्ड ३२ के सम्बंध में है। इस संशोधन में कहा गया है कि विवाह-विच्छेद की समस्त कार्यवाहियां न्यायाधीश के निजी कमरे में होनी चाहियें ताकि ये कार्यवाहियां समाचारपत्रों में प्रकाशित न हो सकें। परन्तु मैं जानता हूं कि मैं ऐसी सभा में बोल रहा हूं जिस ने युक्ति न सुनने का निश्चय कर लिया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, अब हम विधेयक के अधिकतम महत्वपूर्ण खण्ड पर आ गये हैं। इन्हीं विवाह-विच्छेद खण्डों को हमें इस प्रकार रखना है कि हम विवाह में प्रतिष्ठापित कोमल मानवीय सम्बन्ध को नियमित कर सकें।

मैं उन व्यक्तियों की बात समझ सकती हूं जो विवाह की अभेद्यता का समर्थन करते हैं। परन्तु हम यह नहीं जानते कि आधुनिक काल में इस की कितनी मांग है। हम इस में विश्वास नहीं करते कि विवाह को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास किया जाय। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब कि पति-पत्नी साथ साथ नहीं रह सकते। उस स्थिति में उन्हें छुटकारा पाने का अधिकार होना चाहिय और यदि वे चाहें तो उन्हें विवाह-विच्छेद करने का अधिकार होना चाहिये।

मैं पहिले बता चुकी हूं कि विवाह का आधार स्वतन्त्रता तथा समानता का आधार है और इसी आधार पर हम ने स्त्रियों का उद्धार करने का सक्रिय प्रयास किया है। चर्चा में आर्थिक समानता की एक मूल बात उत्पन्न हुई है। एक ओर तो प्रधान मंत्री स्त्रियों की समानता का समर्थन करते हैं, और दूसरी ओर कुछ ऐसे नियम बनाये जाते हैं कि विवाहित स्त्रियां भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा में भी नहीं बैठ सकेंगी। आर्थिक समानता और सामाजिक उत्पादन में स्त्रियों का यह सहयोग वास्तव में उनकी समानता का आधार होगा। इस का अभिप्राय: यह नहीं है कि हमें जो प्राप्त हो रहा है हम उसे भी छोड़ दें। मैं इस बात का दृढ़तापूर्वक समर्थन करती हूं कि यदि पति-पत्नी दोनों को विवाह सफल बनाने के लिए सच्चा प्रयास करने में अपना विवाहित जीवन

[श्रीमति रेणुका चक्रवर्ती]

व्यतीत करने के समान अवसर प्राप्त हों, यदि विवाह में वास्तविक स्वतन्त्रता तथा समानता प्राप्त हो, तो विवाह सफल हो सकता है। इसी कारण तो मेरा यह विश्वास है कि विवाह-विच्छेद का यह खण्ड विवाह को सफल बनाने में सहायक होगा।

यद्यपि यह सच है कि जब विवाह-विच्छेद को अखिल भारतीय अधिनियम का रूप देने का प्रश्न आता है तो "परस्पर सम्मति" के इस खण्ड के बारे में बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। परन्तु मैं यह कहूंगी कि इंगलैण्ड और अमरीका के संविधान में, वास्तव में, यह खण्ड नहीं है। इस के कारण विवाह-विच्छेद एक धोखा तथा कुचक्र बन गया है। मेरा मत है कि यदि हम विवाह-विच्छेद स्वीकार करते हैं, तो हमें इस को यथासम्भव स्वच्छ बनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिये ताकि पृथक् होते समय मित्रों की भांति पति-पत्नी पृथक् हो सकें और बच्चे अपने माता तथा पिता की ओर बिना किसी परेशानी के देख सकें। हमें इन बातों पर विचार करना है।

दूसरी बात यह है कि आप 'त्याग' की अनुमति दे रहे हैं। इस सभा की अन्य महिला सदस्यों ने जो कहा है उस में कुछ तत्व है कि स्त्रियों को बाध्य किया जा रहा है और इस में प्रपीड़न है। हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैं श्री वेंकटरामन के संशोधन का समर्थन करती हूं, क्योंकि राष्ट्रीय महिला संघ ने दो संशोधनों का सुझाव दिया था। उन में से एक यह था कि न्यायालय को यह जांच करने का पूर्ण अधिकार हो कि स्त्री को सम्मति देने के लिए अवपीड़ित तो नहीं किया गया है, और दूसरा यह कि छः मास का समय दिया जाना चाहिये जिस में दोबारा समझौता कराने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस के अतिरिक्त, मैं सभा से अपने संशोधन संख्या १५७ और मस्तिष्क ठीक होने सम्बन्धी संशोधन की सिफ़ारिश करती हूं।

डा० एन० बी० खरे : श्रीमान्, मैं महसूस करता हूं कि कुछ बुरे मामलों में विवाह-विच्छेद एक आवश्यक बुराई है। इसे मानना पड़ेगा तथा इस के संरक्षण का उपबन्ध करना होगा। परन्तु हमें यह अवश्य स्मरण करना चाहिये कि बुरे मामले बुरी विधि बनाते हैं और इस मामले में भी कुछ ऐसी ही बात उत्पन्न हो गई है।

मूलतः मैं सम्मति से विवाह-विच्छेद के विरुद्ध हूं। यह एक बुराई है और इस की अनुमति नहीं होनी चाहिये। यह सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ कहा गया है कि स्त्री व पुरुष दोनों समान हैं। यह सत्य नहीं है। आर्थिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्त्री हीन है। यह मुक्त रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।

कुमारी एनी मैस्करीन : बिल्कुल नहीं।

डा० एन० बी० खरे : उस स्थिति में यदि परस्पर सम्मति से विवाह-विच्छेद की अनुमति दी जाती है तो इस से सदैव ही स्त्री को हानि होगी। एक बार त्यागी हुई स्त्री को कभी भी कोई दूसरा पति नहीं मिल सकेगा। समाज उस का तिरस्कार करेगा। यह तथ्य है। इस के अतिरिक्त मैं कहता हूं कि पुरुष स्वभाव से ही बहुस्त्रीगामी है और स्त्री एक पति चाहने वाली है। इसलिए, पुरुष अपनी स्वाभाविक वासना की तृप्ति के लिए इस से लाभ उठायेगा। एक उर्दू के कवि ने कहा है : "इलाही कैसी कैसी सूरतें तूने बनाई हैं; कि हर सूरत कलेजे से लगा लेने के क़ाबिल है।"

अतः स्त्री को इस से हानि उठानी पड़ेगी तथा पुरुष इस का आनन्द लेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता।

प्रधान मंत्री जी ने मृच्छकटिक को इस खंड के पक्ष का आधार बताया। मेरे विचार से

[डा० एन० बी० खरे]

उन्हों ने इस को दुर्व्यवहृत किया है । उस में नायक चारुदत्त से विवाहित धूता नाम की उस की पत्नी है, फिर भी इस के साथ साथ उस की एक रखेल बसन्तसेना भी है । इस रखेल को रखने के पश्चात् भी उस का अत्यधिक आदर है । परन्तु तब से अब में ज़मीन आसमान का अन्तर है क्योंकि उस समय बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी और अब एकपत्नीव्रत पर ज़ोर दिया जाता है । धूताबाई ने यह जानते हुए भी कि बसन्तसेना उस की सौत है चारुदत्त से विवाह-विच्छेद नहीं किया । इसलिए यदि आधुनिक स्त्रियां अब भी उस आदर्श पर चलने को प्रस्तुत हों तो मैं भी इस का समर्थन करूंगा ।

स्थिति यह है कि, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई तथा पारसी कोई भी इस विधेयक का पारण नहीं चाहते । ये तो केवल कुछ स्वतंत्र मनोवृत्ति वाले पुरुषों की ही देन है, जैसा मैं ने पहले कहा.....

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

डा० एन० बी० खरे : आप 'नहीं' कह कर आनन्द लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । बहुत से पुरुषों तथा स्त्रियों ने इस खण्ड का समर्थन किया है क्या वे सभी इस श्रेणी में आते हैं ? माननीय सदस्य को ऐसे शब्द व्यवहार में नहीं लाने चाहिएं । मैं आशा करता हूं कि वे (स्वतंत्र मनोवृत्ति) शब्द को वापस लेंगे ।

डा० एन० बी० खरे : मुझे कोई आपत्ति नहीं है; यदि आप चाहते हैं तो मैं इस को वापस लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरे चाहने का प्रश्न नहीं है । बहुत से माननीय सदस्यों ने इस का समर्थन किया है, वे सभी स्वतंत्र मनोवृत्ति वाले नहीं कहे जा सकते । मैं उन्हें वापस लेने के लिए कह रहा हूं ।

डा० एन० बी० खरे : उन की ऐसी ही इच्छा है तो मैं वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अभी भी यह नहीं कहा कि वे वापस ले रहे हैं ।

डा० एन० बी० खरे : आप के अनुरोध पर मैं वापस ले रहा हूं हम सिनेमा देखते हैं । अमरीकी पत्रिकाओं में एक पति को छोड़ कर दूसरे पति से विवाहित स्त्रियों की कहानियां पढ़ते हैं । इस के परिणामस्वरूप स्त्रियां बहुत से पतियों की हालीवुड के समान सच्ची कहानियां बनायेंगी । कल आत्मिक विवाह के सम्बन्ध में कुछ कहा गया । मैं इस को समझ नहीं पाया क्योंकि यदि आत्मिक विवाह ही करने हैं तो पुरुषों का पुरुषों से तथा स्त्रियों का स्त्रियों से विवाह क्यों न किया जाये, क्योंकि आत्मा तो इन दोनों में भी मिलती है ।

यदि इस विधेयक के पारण के पश्चात् बहुत से व्यक्तियों ने इस का लाभ उठाया तो पुरातन कौटुम्बिक जीवन, जिस पर कि हमें गर्व है, समाप्त हो जायेगा तथा भविष्य में भारतीय नागरिक सरकार द्वारा प्रबन्धित प्रसूतिगृहों में जन्म लेगा; सरकार द्वारा संचालित अनाथालयों में पलेगा, सरकार के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करेगा, कारखानों तथा कार्यालयों में काम करेगा, होटलों में रहेगा, अस्पतालों में बीमार पड़ेगा तथा अस्पतालों में ही मर जायेगा । अतः मैं चिल्ला चिल्ला कर देश को चेतावनी दे रहा हूं ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : मैं २० वर्ष से विवाह-विच्छेद के पक्ष में हूं, परन्तु साथ ही साथ यह भी अनुभव करता हूं कि जनता की राय इतनी परिपक्व नहीं है कि खण्ड (क) स्वीकार कर लिया जाये ।

हमारे समाज में सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद कोई नवीन वस्तु नहीं है, परन्तु बहुत से वर्तमान सभ्य देशों में इस का प्रचलन नहीं है ।

संसार के परिवर्तनों का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है, परन्तु सुधार की ओर लिये गये प्रत्येक क़दम पर समाज-सुधारकों को पूर्णतया विचार करना चाहिए । इसीलिए मेरा आग्रह है कि इस खण्ड अथवा संशोधन द्वारा इस के परिवर्तन को स्वीकार न किया जाये ।

विवाह दो व्यक्तियों का मामला है अथवा इस का कुछ सामाजिक महत्व भी है ? यदि विवाह का सामाजिक महत्व है तो विवाह-विच्छेद भी सामाजिक महत्व रखता है । यदि विचारों की असाम्यता ही विवाह-विच्छेद का कारण है तो विवाह की स्वतंत्रता ही उपयुक्त तर्क हो सकता है परन्तु तर्क के साथ साथ हमें देश का लाभ भी देखना चाहिए । जैसा साहित्य प्रचलित हो रहा है, जैसे चित्रों का प्रदर्शन हो रहा है—वैसे ही हमें यह भी विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की व्यवस्था से घर की शान्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा । अतः मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा अत्यधिक स्वतंत्रता दी गई है ।

इस में विवाह-विच्छेद के बहुत से तरीके बताये गये हैं तथा चतुर वकीलों की सहायता के द्वारा विवाह-विच्छेद के अन्य बहुत से तरीके जाने जा सकते हैं । इस से आप पहले दिन विवाह कीजिए तथा दूसरे दिन सुबह न्यायालय में जाकर सम्मतिपूर्वक विवाह-विच्छेद कर डालिये ।

श्री एस० एस० मोरे : दूसरे दिन सुबह तो नहीं होगा ।

श्री गाडगील : यदि यह अधिक समय भी है, तब भी औसतन ३० वर्ष के विवाहित जीवन में एक व्यक्ति १५ पत्नियां रख सकता है । पुरातन काल से हमारा समाज, आवश्यकतानुसार उन्नति पथ पर अग्रसर रहा है । अतः दूसरे देशों के आदर्श हेतु हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए ।

भौतिक सम्बन्धों में आगे बढ़ा देश रूस भी विवाह-विच्छेद कम ही चाहता है । जैसा मुझे बताया गया, न्यायाधीश पहले समझौता कराने का ही प्रयत्न करते हैं ।

विवाह-विच्छेद के बहुत से तरीके हैं, अतः उस में से सम्मति से विवाह-विच्छेद को हटा देना चाहिए, क्योंकि विचार कीजिये इस से व्यभिचार को ही प्रोत्साहन मिलेगा । मुझे कोई सन्देह नहीं है कि सभा के गंभीर व्यक्ति तथा सभा से बाहर के भी गंभीर व्यक्ति यह अनुभव करेंगे कि विवाह-विच्छेद बहुत ही उदार कर दिया गया है ।

यदि हम अपने उपायों के द्वारा कौटुम्बिक प्रसन्नता नहीं ला सके, तथा सामाजिक बुराइयां बढ़ती ही गईं, तो संसद् वर्ष में दो बार बैठती ही है, और हम इस में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं ।

आचार्य कृपालानी : तब तक बुरे कार्य किये जायें ।

श्री गाडगील : क्या सावधानी को प्रतिक्रिया के बराबर ठहराना संभव है । यही मैं उन्नति और असावधानी के बराबर ठहराने के सम्बन्ध में भी कहूंगा ।

अतः मैं अन्त में फिर यही कहूंगा कि मैं भी २० वर्ष से देश में विवाह-विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था चाहता था—परन्तु धीरे धीरे और सावधानी से । मेरे विचार से श्री वेंकटरामन का संशोधन भी ठीक नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सभा में सम्मति से विवाह-विच्छेद के समर्थन पर मुझे

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

कुछ अचंभा हुआ । श्री वेंकटरामन, जिन्होंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है, वही सदस्य हैं जिन्हों ने इस सारे खण्ड के लोप के लिए संशोधन रखा था ।

जैसा कि मुझे विधि मंत्री ने बताया, यह खंड राज्य-सभा में बहुत कम मतों द्वारा इस विधेयक में मिलाया गया था । मैं यह भी नहीं समझ पाया कि राज्य-सभा ने मिलाने की अनुमति किस प्रकार दी, क्योंकि संयुक्त प्रवर समिति ने इस को इसलिए विधेयक में मिलाने के लिए कहा क्योंकि यह उस में नहीं था ।

स्त्रियों की आर्थिक दशा के सम्बन्ध में सब से महत्वपूर्ण उत्तराधिकार विधि है । स्त्रियों के लिए, माननीय मंत्री द्वारा परिचालित ईसाई विधि, हमारी विधि से अधिक अनुपयुक्त है । जैसा कि आप ने बताया था, मेरा भी सुझाव था कि पति-पत्नी दोनों को सम्पत्ति अधिकार दिया जाये परन्तु विधि मंत्री ने मुझ से सहमत होते हुए भी किसी अन्य समय पर विचार करने का वायदा किया । इसीलिए यदि देश की स्त्रियों को, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो इस खंड को पारित करने से क्या लाभ । विवाह-विच्छेद अधिकतर पुरुष करते हैं स्त्रियां नहीं । अतः मैं इस के पूर्णतया विरोध में हूं । सभी धर्मों का विवाह का लक्ष्य, जीवनपर्यन्त मिलन होता है । धारा २८ में इस विधेयक को तीन वर्ष पश्चात् लागू करने के लिए क्यों कहा गया है । केवल विवाह को पवित्र तथा सफल बनाने के लिये । इस खंड को पारित कर के हिन्दू समाज पंगु बन जायेगा । इस के द्वारा विवाह का लक्ष्य ही बदल जायेगा । हमें समय से तथा समाज की भावना से आगे नहीं बढ़ना चाहिए । हम सब विवाह-विच्छेद चाहते हैं परन्तु साथ ही साथ हमें इस के परिणाम भी तो सोचने चाहिएं । संशोधन में दिया गया है कि यदि स्त्री तथा पुरुष एक वर्ष तक अलग अलग रहें तथा इस एक वर्ष पश्चात् दोबारा न्यायालय में आयें और कहें कि हम ने अलग होने का समझौता कर लिया है तब न्यायालय अलग होने की अनुमति देगा । उन्हें जानना चाहिए कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का ही सम्बन्ध नहीं है । बच्चे, माता-पिता, समाज, तथा अन्य कुटुम्बी भी होंगे । अतः विवाह को दो व्यक्तियों का समझौता कहना नितान्त ग़लत है । यदि यह समझौता है तो कभी भी तोड़ा जा सकता है । हानि का दावा किया जा सकता है । परन्तु यह किसी ने भी नहीं बताया है कि विवाह एकपक्षीय विवाह रद्द किया जाना चाहिये ।

आचार्य कृपालानी : ये तो पहला कदम है । कल को वे ऐसा ही कहेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : विवाह-विच्छेद में स्त्री तथा पुरुष होंगे । स्त्री क्या कहेगी, मैं बताता हूं । उस को पुरुष ५०,००० रुपया देगा तथा ज़बरदस्ती उस की सम्मति चाहेगा और इस प्रकार स्त्री अपनी सम्मति देगी । यह भी कौन जानता है कि वे एक वर्ष तक साथ-साथ रहे हैं अथवा अलग अलग ।

श्री गाडगील : परन्तु वे आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने साथ साथ आयेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि कोई व्यक्ति अपने सम्बन्ध में कुछ स्वीकार करता है तो वह सच ही समझा जायेगा । कपट के मामले में जिस के साथ कपट किया जाता है वही उस को सिद्ध कर सकता है । क्या पत्नी सिद्ध कर सकती है । कभी भी नहीं, क्योंकि एकान्त में क्या हुआ कोई नहीं जानता । अतः यदि एक बार स्त्री सम्मति प्रदान करती है तब अन्य किसी जांच तथा खंड में वर्णित इन आठ दशाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती ।

मेरे माननीय मित्र ने बताया कि मलबार तथा अन्य प्रदेशों में यह प्रचलित है, परन्तु इस का तात्पर्य यह नहीं कि यह एक स्थान पर प्रचलित है तो सारे देश में ही इस का प्रचलन कर दिया जाये । अमरीका में ४५ प्रतिशत विवाह-विच्छेद हो रहे हैं; और यदि यह खंड पारित हो गया तो यहां भी ७५ प्रतिशत विवाह-विच्छेद होंगे । भारतवर्ष की स्थिति पर विचार करते हुए, हमारे समक्ष यह बात स्पष्ट रूप में आ जाती है कि यह तो विवाह के ध्येय के ही विरुद्ध है ।

तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि यह तो प्रारम्भिक उपाय है; लेकिन यह भी बताना चाहिए कि यह किन लोगों पर लागू होगा । मैं जानता हूं कि इस का सभी लोग लाभ उठायेंगे । यदि इस के द्वारा भारत में व्यवहार संहिता की स्थापना होगी तो हमें ऐसी संहिता नहीं चाहिए । अतः श्री वेंकटरामन को यह संशोधन वापस लेना चाहिए, जिस से देश के व्यक्तियों को शान्ति मिले ।

श्री बिस्वास : कल मैं इस की दो समस्याओं पर बोला था । एक समस्या अन्तः धर्मावलम्बी विवाह तथा दूसरी विवाहों के पंजीबद्ध होने के सम्बन्ध में थी । अब तीसरी समस्या है सम्मति से विवाह-विच्छेद करना । यह दूसरी सभा में प्रस्तुत की गई तथा केवल १२ मतों से पारित हुई । सभा के सदस्यों ने इस का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया । इधर इस सभा में मैं ने यह देखा है कि अधिकतर सदस्य इस के विरोधी हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री वेंकटरामन : केवल भाषण इस के विरोध में हो सकते हैं ।

डा० जयसूर्य : हम ऐसा नहीं मानते ।

श्री बिस्वास : मैं ने "सारी सभा" नहीं कहा है । परन्तु भाषणों के आधार पर.....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उन का ऐसा विचार है । इस में ग़लती क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई माननीय सदस्य यह नहीं कह सकता कि समस्त सभा उस के पक्ष में है । अन्त में विभाजन द्वारा ही पता चलता है कि मत किस के पक्ष में है ।

श्री एस० एस० मोर : विधि मंत्री को हमारे साथ अन्याय नहीं करना चाहिए ।

२ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह कहने का अधिकार है कि उसे सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है । अतः उन्हें बोलने दिया जाये ।

श्री बिस्वास : जैसा कि मैं ने बताया है यह प्रस्थापना विधेयक का अंग नहीं थी । इस विधेयक को लोकमत जानने के लिए परिचालित किया गया था किन्तु यह चीज़ इस में विद्यमान न होने के कारण इस के बारे में लोकमत का पता नहीं लगाया जा सका । जो अन्य नये उपबन्ध इस में रखे गये हैं उन के बारे में मत प्राप्त हो चुके हैं किन्तु इस के बारे में नहीं । यह एक तथ्य है । यदि सभी प्रकार की वैवाहिक कठिनाइयों और संकटों के लिए सहमति को ही उपचार मान लिया जाये तो स्थिति क्या रह जायेगी ? निस्सन्देह इस प्रस्थापना को बहुत से लोग विवाह की उस धारणा के सर्वथा विपरीत समझते हैं जो भारतीयों के हृदय में बनी हुई है । यह समझना भूल होगी कि यह धारणा शास्त्रों में अन्ध-विश्वास पर ही आधारित है । यह एक स्थिर धारणा है जिस का आधार कुछ एक ऐसी बातों पर है जो कई एक प्रगतिशील देशों में भी मानी और पसन्द की जाती हैं । उदाहरणतया जैरेमी बैन्थम को तो अन्धविश्वासी नहीं कहा जा सकता । मैं उस के कुछ उद्गार आप के सम्मुख रखूंगा । यह पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह-विच्छेद का विचार विशेष रूप से रूस और चीन की देन है ।

एक माननीय सदस्य : बर्मा और स्कैंडीनेविया के देशों की ।

श्री बिस्वास : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह इस समय संसार के दो महानतम देश हैं जिन्हों ने ऐसा किया है । अन्य कितने ही देशों ने इन का अनुकरण किया होगा किन्तु इन दो देशों में भी यह चीज़ एक प्रयोग मात्र के रूप में है । किसी भी समय इस में परिवर्तन हो सकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पारस्परिक सहमति अब भी है.....

श्री बिस्वास : उन्हें विधि को बदलना पड़ा.....

मैं यह जतला चुका हूं कि दोनों पक्षों में से कोई एक भी जा कर कह सकता था कि वह अपने दूसरे साथी से पृथक् हो चुका है अथवा हो चुकी है, और यह तथ्य पंजीबद्ध हो जाता था । इतना ही काफी था । किन्तु इस का जो परिणाम हुआ उस से उन्हें स्वयं आश्चर्य हुआ । अतः उन्हों ने १९४४ में इस विधि को बदल डाला और यह उपबन्ध रखा कि विवाह-विच्छेद केवल न्यायालयों द्वारा ही कराया जाये और कारण भी ऐसे होने चाहिएं जिन्हें न्यायालय न्यायोचित समझे ।

यदि आप पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद का उपबन्ध लाना चाहते हैं तो कई लोगों का यह मत है कि हमें कुछ देर रुकना चाहिये जिस से हमें यह पता चल सके कि जिन देशों में यह चीज़ इस समय चल रही है उन का इस बारे में क्या अनुभव है । यदि वहां यह व्यवस्था संतोषजनक पाई गई तो फिर इसे संशोधन के रूप में यहां भी लागू किया जा सकता है ।

विवाह को हम चाहे संस्कार समझें और चाहे संविदा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक अत्यन्त प्राचीन और महत्वपूर्ण सम्बन्ध है । हमें परिवार के सुख में बाधा नहीं डालनी चाहिए । विवाह तथा विवाह-विच्छेद दोनों का यह उद्देश्य है । किन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार हो सकती है ?

विवाह एक संस्था है । विवाह और विवाह-विच्छेद को दो भिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है । विवाह की स्थिति को संसार भर में मान्यता प्राप्त है, किन्तु विवाह-विच्छेद को केवल आंशिक मान्यता मिलती है । विवाह में दो से अधिक पक्ष होते हैं अतः इसी लिए इसे केवल एक संविदा नहीं समझा जा सकता । इस का सामाजिक पहलू भी रहता है । हमें इस पर समाज कल्याण के दृष्टिकोण से भी विचार करना होगा । यह कारण है कि आज सभी देशों में वैवाहिक सम्बन्धों के विनियमन के सम्बन्ध में विधान बनाये जा रहे हैं । किसी साधारण संविदा को किसी भी समय तोड़ा जा सकता है किन्तु विवाह की संविदा भिन्न प्रकार की संविदा है । यदि इसे संस्कार न मानते हुए एक संविदा मात्र ही मान लिया जाये तो भी यह ऐसी संविदा नहीं जिसे जब भी कोई पक्ष तोड़ना चाहे तोड़ सकता हो । विवाह-विच्छेद की आवश्यकता से किसी को इनकार नहीं है । यद्यपि सर्वोत्तम विवाह वही है जिस में स्थाई प्रकार का मेल हो, आजीवन मेल हो, किन्तु फिर भी कुछ एक प्रकरणों में विच्छेद आवश्यक हो जाता है । विवाह किसी अधिक वासना की पूर्ति का साधन मात्र नहीं है । हो सकता है कि पुरुष को कुछ अधिक आपत्ति न हो किन्तु स्त्री की स्थिति सर्वथा भिन्न प्रकार की है । उस का सौंदर्य कुछ ही वर्षों में ढल सकता है जब कि पुरुष अभी तक शक्तिवान ही रहता है और विच्छेद की अवस्था में पुरुष को दूसरी पत्नी मिल सकती है किन्तु सम्भवतः स्त्री को दूसरा पति न मिल सके । यह मत बैन्थम का है । उस ने यह भी लिखा है कि जहां विवाह के स्थिर रहने से दोनों पक्षों

का जीवन कष्टमय बन जाने की आशंका हो वहां विच्छेद की अनुमति होनी चाहिए । किन्तु ऐसा कुछ एक शर्तों के अधीन होना चाहिए, इसे पक्षों की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ना चाहिए । यदि उन में केवल अस्थायी प्रकार का ही मतभेद हो तो उन में समझौता कराने का प्रयत्न करना चाहिए ।

पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद की अनुमति दिये जाने का एक परिणाम यह भी होगा कि लोग विवाह जैसे सम्बन्ध को धारण करने से पहले पूर्ण गम्भीरता और सोच विचार से काम नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें यह खयाल रहेगा कि इस सम्बन्ध को जब चाहें तोड़ा जा सकता है । (अन्तर्बाधा) पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह-विच्छेद के उपबन्ध का समर्थन करना कठिन है । कुछ भी हो हम अभी तक उस स्थिति में नहीं हैं जब कि हम निश्चय-पूर्वक इस प्रकार की प्रस्थापना की पुष्टि कर सकें । मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूं कि कई हालतों में इस से दोनों को लाभ पहुंच सकता है । मैं स्वयं ऐसे कुछ मामले जानता हूं । वस्तुतः इस से बहुत सी अप्रिय बातों का जनता को पता नहीं लगता । कई बार ऐसा होता है । मुझे एक मामले के बारे में पता है जिस में दोनों पक्ष विवाह-विच्छेद के लिये तैयार थे । पत्नी ने विवाह-विच्छेद के लिये याचिका देने के पत्र तैयार कर रखे थे । वास्तव में उस ने अपने पति को लिख भी दिया था कि वह कुछ दिनों में याचिका प्रस्तुत करने वाली है । पति ने स्वीकार कर लिया कि वह याचिका का विरोध नहीं करेगा । परन्तु किसी प्रकार पति द्वारा लिखा हुआ पत्र किसी दूसरे के हाथ पड़ गया । और उस व्यक्ति ने धमकी दी कि वह पत्नी के विरुद्ध इस पत्र का प्रयोग करेग । इस प्रकार उस स्त्री को याचिका देने से रोका गया । यह बड़ा दुःखप्रद मामला है । लड़की ने अपने भावी पति के बारे में बिना अधिक जाने ही उस के साथ विवाह कर लिया था । एक दो मास में ही उसे भयंकर प्रकार का कोई गुप्त रोग होने से उस का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया । जब उस ने पति से प्रस्ताव किया कि उसे विवाह-बन्धन से मुक्त कर दिया जाये तो उस ने प्रसन्नता से इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि कई स्त्रियां उस के इशारे पर नाचती थीं, इस लिये उसे यह चिन्ता नहीं थी कि उस की स्त्री उस के पास रहे या न रहे । इस लिये उस ने तुरन्त अपनी स्वीकृति दे दी । दुर्भाग्यवश, वह विवाह-विच्छेद न कर सकी, क्योंकि वह पत्र जिस से अभिसन्धि सिद्ध हो सकती थी किसी दूसरे के हाथ में था । ऐसे मामलों में पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद का अवश्य स्वागत किया जायेगा । इस में कोई संदेह नहीं है । इस मामले को देख कर बड़ा दुख होता है । जैसे कि वे दोनों विवाह-विच्छेद के लिये सहमत हो गये थे वह बेचारी विवाह-विच्छेद करके और दूसरा विवाह करके नियमित रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी । इस प्रकार कुछ दुःखद मामले होते रहते हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस एक-आध मामले के लिये समाज के हितों का बलिदान कर दिया जाये ? हमें तो इस मूल प्रश्न पर विचार करना है । मैं यह सुझाव नहीं दे रहा कि आप मेरे दृष्टि-कोण को स्वीकार कर लें । ऐसी बात नहीं है । आप अपनी बुद्धि से काम लें । आप वास्तविक परिस्थिति जानते हैं । आप भी कई मामलों के बारे में जानते होंगे । आप किसी प्राधिकारी की राय से बंधे हुए नहीं हैं । आप स्वतन्त्रता से अपना मत दे सकते हैं । मैं कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूं । यह बात आप को स्पष्ट होनी चाहिये कि इस के लिये कोई आदेश नहीं है । परन्तु मैं यह कहता हूं कि राज्य सभा ने जिस रूप में संशोधन भेजा है उसे स्वीकार करना सम्भव नहीं है । इस के अतिरिक्त कि इस की शब्दावली गलत है उप-खंड (ट) अस्वीकृत किया जाना चाहिये ।

जैसा कि मैं ने राज्य-सभा में कहा था—मैं ने जो आपत्तियां उठायी हैं यह उन में से एक है—सम्मत्ति से विवाह की व्यवस्था की गई है। यह खंड इस प्रकार के शब्दों में लिखा गया है। बच्चों का क्या होगा ? दूसरे विषयों का क्या होगा जिन की अभी व्यवस्था की जानी है ? उन्हें फिर से मिलाने का प्रयत्न करने के बारे में आप का क्या विचार है ? इसे इतना सुगम न बनायें। आप भले ही विवाह को इतना सुगम बना दें, परन्तु उस के साथ ही विवाह-विच्छेद को भी उतना सुलभ न बनायें। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। निश्चित है कि आप यह सुझाव नहीं देना चाहते कि किसी व्यक्ति के लिये यह सम्भव हो सके अथवा उसे सुविधा दी जाये कि वह अपनी पत्नी की सम्मति से जितनी बार चाहे विवाह कर ले। यह ठीक न होगा। इसलिये श्री वेंकटरामन् ने अपने संशोधन में जिन बचावों का सुझाव दिया है वे अत्यधिक आवश्यक हैं। श्री कृपालानी ने भी कहा कि उन के संशोधन का श्री वेंकटरामन् के सुझावों से कोई मतभेद नहीं है। वह तो केवल समझौता बोर्ड का सुझाव कर रहे हैं। (अन्तर्बाधायें) न्यायालय को समझौता कराने का यत्न करना होता है और न्यायालय को कोई मामला समझौता बोर्ड के पास भेजने से नहीं रोका जा सकता। इस लिये इस प्रस्ताव पर आपत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं, परन्तु इस में मूल तथ्य को स्वीकार किया गया है कि दोनों पक्षों में समझौता कराने का एक बार यत्न अवश्य करना चाहिये।

श्रीमती चक्रवर्ती ने कहा कि कोई स्त्री अपने परिवार अथवा पति को छोड़ना नहीं चाहती। मैं आशा करता हूं कि यह सच हो।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जी हां, यह सच है।

श्री बिस्वास : ठीक है, और यदि यह निश्चित है कि केवल इसी कारण कि उन की पारस्परिक सम्मति है कोई स्त्री विवाह-विच्छेद के लिये उत्सुक नहीं होगी तो इस से बढ़ कर मुझे और कोई प्रसन्नता न होगी। परन्तु कठिनाई यह है कि यदि एक बार बिना किसी बचाव के कोई विधि बना दी जाये तो उस का क्या परिणाम होगा ? हमें तो इस बात पर विचार करना है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : तो आप विवाह-विच्छेद के लिये जारता को सम्मिलित करने के पक्ष में हैं ?

श्री बिस्वास : क्योंकि जारता विवाह-विच्छेद का एक आधार है अतः इस का यह अर्थ हुआ कि मैं जारता का समर्थन कर रहा हूं जिस से कि दोनों पक्ष विवाह-विच्छेद कर सकें। मुझे समझ नहीं आता कि यह किस प्रकार का तर्क है। यह एक महिला ने कहा है अतः मुझे नम्रतापूर्वक इसे स्वीकार करना होगा, परन्तु दुर्भाग्य से पुरुष होते हुए मैं इस का यह अर्थ नहीं निकालता।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय विधि मंत्री सम्मति से विवाह-विच्छेद के लिये किन बचावों का विचार कर रहे हैं ?

श्री बिस्वास : मैं कहता हूं कि यदि आप को बचाव स्वीकार करने हैं तो श्री वेंकटरामन् के संशोधन में कुछ का सुझाव किया गया है, कम से कम उन्हें अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : क्या आप उन्हें स्वीकार करते हैं ?

श्री बिस्वास : इस का निश्चय तो सभा को करना है कि क्या वह सम्मति से विवाह-विच्छेद के सिद्धान्त को स्वीकार करती है या नहीं। यदि वह स्वीकार करती है तो मैं अवश्य सभा से सिपारिश करूंगा कि वह श्री वेंकटरामन् द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को

स्वीकार कर ले । यही तो मैं कह रहा हूं (**अन्तर्बाधायें**) । मैं समझता हूं कि इस विषय में मैं ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और उप-खंड (ट) को अवश्य निकाल देना चाहिये । उप-खंड (ट) के बारे में जितने संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं इस उप-खंड के निकालने के विषय में हैं, परन्तु मैं तो यही सुझाव देता हूं कि.....

श्री राघवाचारी : संशोधन में केवल एक वर्ष प्रतीक्षा करने का ही बचाव है ।

श्री नन्द लाल शर्मा : यह कोई बचाव नहीं है ।

श्री बिस्वास : मैं उन्हें बचाव समझता हूं और मेरा सुझाव है कि यदि आप सम्मति से विवाह-विच्छेद के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, तो कम से कम आप श्री वेंकटरामन् के संशोधन में दिये गये बचाव भी स्वीकार कर लें । मेरा तो यही सुझाव है (**अन्तर्बाधायें**)

उप-खंड (ट) के बारे में मैं एक शब्द कहना चाहता हूं । उप-खंड (ट) के लिये बड़े संशोधन दिये गये हैं । यदि उप-खंड (ट) को निकालने का संशोधन अस्वीकार हो जाये, तो इस के साथ ही उन का दूसरा संशोधन सं० ९७ भी अस्वीकार नहीं करना चाहिये । मैं तो केवल यही सुझाव दे रहा हूं । उसे रहने दीजिये ।

श्री अलगू राय शास्त्री(ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : यह क्या है ? यह तो एक तलवार को सिर पर लटकते रखना है ।

श्री बिस्वास : दूसरे संशोधनों में से मैं...स्वीकार करने को तैयार हूं (**अन्तर्बाधायें**).....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री बिस्वास : कुछ संशोधन इन उप-खंडों (ङ), (च) और (छ) में उल्लिखित काल को घटाने के बारे में हैं । इन में से प्रत्येक में पांच वर्ष की अवधि लिखी हुई है । मैं वह संशोधन स्वीकार करने को तैयार हूं जिसमें पांच वर्ष की बजाये तीन वर्ष का सुझाव दिया गया है । मैं खंड ३३ के संशोधन का उल्लेख कर रहा हूं । इस में उपबन्ध है कि :

> "इस अधिनियम के अधीन कोई स्वीकारात्मक निर्णय देने से पूर्व प्रत्येक मामले में जहां मामले की परिस्थितियों और स्वरूप के अनुसार ऐसा करना सम्भव हो न्यायालय का प्रथमतः यह कर्तव्य होगा कि वह दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का भरसक प्रयास करें ।"

यह संशोधन सं० ५२१ है और इस के साथ ही संशोधन सं० ५२० है :

> "जब विवाह-विच्छेद पारस्परिक सम्मति के आधार पर किया जाये तो ऐसी सम्मति कपट अथवा बल प्रयोग द्वारा न प्राप्त की गई हो, और"

यह भी एक विषय है जिस के सम्बन्ध में न्यायालय को जांच करनी चाहिये ।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ) : जानकारी प्राप्त करने के हेतु मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद के प्रश्न पर अखिल भारतीय महिला परिषद् का क्या मत है ?

श्री बिस्वास : वे इस से सहमत हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । पहले मैं उप-खंड (ट) से सम्बन्धित श्री रघुरामैया और श्री वेंकटरामन् का संशोधन सं० ३२७ लेता हूं यदि वह संशोधन स्वीकृत हुआ तो उप-खंड (ट) के अन्य संशोधन अनियमित हो जायेंगे । परन्तु यदि वह स्वीकृत न हुआ तो मैं अन्य संशोधन सं० ९७, ५२० और ५२१ प्रस्तुत करूंगा ।

श्री वेंकटरामन् : खंड ४ के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने अपने निर्णय में कहा था कि यदि एक विषय पर पहले चर्चा हो चुकी हो और निर्णय दिया जा चुका हो तो मैं और कोई संशोधन सभा के समक्ष रखने की अनुमति नहीं दूंगा। अब यह आपत्ति उठायी जा सकती है कि यदि संशोधन सं० ३२७ स्वीकृत हो गया और उप-खंड (ट) निकाल दिया गया तो उस निर्णय के आधार पर मेरा संशोधन सं० ९७ प्रतिषिद्ध हो जायेगा। परन्तु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा संशोधन एक पृथक् और भिन्न विषय पर है, यह एक पृथक् खंड २७ (क) के रूप में रखा गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप मेरा संशोधन संख्या ९७ मतदान के लिये रखें और यदि वह अस्वीकृत हो जाय तो अन्य संशोधन मतदान के लिये रखे जायें। परन्तु यदि वह स्वीकार हो जाये तो उस का निर्णय उप-खंड (ट) पर अवश्य लागू होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन सं० ३२७ का सम्बन्ध खण्ड २७ (ट) से है। श्री वेंकटरामन् का यह कहना है कि इस पर मतदान का अभिप्राय उपखण्ड (ट) को रखे रखने के प्रश्न पर मतदान हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय विधि मंत्री इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं।

श्री घुलेकर : क्या यह ठीक नहीं होगा कि पहले यह ज्ञाना जाये कि क्या सभा पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद को स्वीकार करती है अथवा नहीं? अन्य संशोधन बाद में रखे जायें।

श्री बिस्वास : उप-खण्ड (ट) से पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद का उपबन्ध किया जा रहा है। श्री वेंकटरामन् के संशोधन में भी पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद की बात कही गई है। यदि पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद स्वीकार कर लिया जाये तो निस्सन्देह नया खण्ड २७-क लागू होगा और इस नये खण्ड में यह लिखा है कि विवाह-विच्छेद की याचिका न्यायालय को किस प्रकार प्रस्तुत करनी चाहिये और न्यायालय उस विषय का निबटारा कब और कैसे करेगा तथा क्या एक वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी इत्यादि। ये सब विषय नये खण्ड २७-क में उपबन्धित हैं। परन्तु यह पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद के सिद्धान्त के स्वीकार किये जाने पर निर्भर करता है।

श्री वेंकटरामन् : पहले संशोधन संख्या ९७ मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाये।

श्री बिस्वास : श्री वेंकटरामन् का यह सुझाव है कि यदि संशोधन सं० ९७ सभा के समक्ष रखा जाये, तो उस में पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद के सिद्धान्त की स्वीकृति अन्तर्हित है, अतएव अन्य संशोधनों को, जिन में उप-खण्ड (ट) को हटा देने का सुझाव रखा गया है, सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बात बहुत पहले दिये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए बहुत सीमा तक ठीक है। आप इसे किसी प्रकार भी कर सकते हैं, परन्तु इस विचार के समर्थन में बहुत सी बातें हैं। यदि आप संशोधन सं० ९७ को मतदान के लिए सभा के समक्ष रखें तो इस से उप-खण्ड (ट) पर अन्य कोई संशोधन सभा के मतदान के लिए पृथक् रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि खण्ड २७, २७-क और ३३ का पारस्परिक सम्बन्ध है, तो भी एक संशोधन पर मतदान के पश्चात् अन्य संशोधनों के मतदान पर रोक नहीं लग सकती।

अब मैं पहले इस बात पर सभा की राय लूंगा कि उप-खण्ड (ट) रखा जाये अथवा नहीं। तत्पश्चात् मैं संशोधन सं० ३२७, ५२० और ५२१ प्रस्तुत करूंगा।

संशोधन ३२७ में यह अपेक्षित है कि उप-खण्ड (ट) का लोप किया जाय। एक और

संशोधन रखा गया है कि एक नया खंड २७–क रखा जाये । परन्तु मैं संशोधन ३२७ को खण्ड २७ का ही संशोधन समझूंगा । क्योंकि संशोधन ९७ में पृष्ठ ९ पंक्ति ४४ के पश्चात् खण्ड २७–क को निविष्ट करने का उपबन्ध है ।

अतः मैं पहले इस सम्बन्ध में सभा का मत जानना चाहता हूं कि पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद की अनुमति दी जाये अथवा नहीं । उस के पश्चात् संशोधन संख्या ९७ प्रस्तुत करूंगा जिस में वे परिस्थितियां दी गई हैं जिन के अधीन अनुमति दी जानी चाहिये ।

अब मैं संशोधन सं० ३२७ प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ९, (१) ३८ में से 'or' ['या'] शब्द हटाया जाये ।

(२) पंक्ति ३९ से ४१ तक हटा दी जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री डाभी : श्री वेंकटरामन् तथा श्री कोत्ता रघुरामैया के संशोधन संख्या ९७ पर मेरा एक संशोधन सं० ४७१ है । मैं ने उस में 'अनुचित प्रभाव' शब्द जोड़े हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु ये खण्ड ३३ के संशोधन सं० ५२० और ५२१ में आ जाते हैं । यदि आप 'अनुचित प्रभाव, बल प्रयोग या कपट' शब्द जोड़ना चाहते हैं तो मैं श्री वेंकटरामन् से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इसे स्वीकार करते हैं ?

श्री वेंकटरामन् : जहां तक संशोधन सं० ५२० का सम्बन्ध है मैं 'बल प्रयोग अथवा कपट' इन शब्दों के साथ 'अनुचित प्रभाव' शब्दों को सम्मिलित करने को तैयार हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब श्री डाभी के संशोधन की आवश्यकता नहीं ।

श्री डाभी : परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा संशोधन श्री वेंकटरामन् के संशोधन में क्यों न सम्मिलित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि दोनों सार रूप में स्वीकार किये गये हैं अतः विवाद की आवश्यकता नहीं । क्या मैं इसे सभा के समक्ष रखूं ? क्या माननीय सदस्य यही चाहते हैं ?

श्री डाभी : मैं इस के लिए आग्रह नहीं करता, परन्तु 'अनुचित प्रभाव' शब्द इस में अवश्य होने चाहियें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य की बात समझ गया हूं उन्हें इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं ।

अब संशोधन ९७ के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि इस के पहले भाग में यह दिया हुआ है कि दोनों पक्ष याचिका प्रस्तुत करें, तो क्या यह आवश्यक नहीं होगा कि अन्तिम भाग में "दोनों पक्षों की ओर से प्रस्ताव किये जाने पर" शब्द हों ।

श्री वेंकटरामन् : मुझे कोई आपत्ति नहीं है । शब्द 'दोनों' जोड़ दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ९ में पंक्ति ४४ के पश्चात् यह निविष्ट किया जाये :

"27 A. *Divorce by mutual consent.* (1) Subject to the provisions of the Act and to the rules made thereunder, a petition for divorce may be presented to the district court by both the parties together on the ground that they have been living separately for a period of one

[उपाध्यक्ष महोदय]

year or more, that they have not been able to live together and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved.

(2) On the motion of both the parties made not earlier than one year after the date of the presentation of the petition referred to in sub-section (1) and not later than two years after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime, the district court shall, on being satisfied, after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized under this Act and that the averments in the petition are true, pass a decree declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree".

["२७ क. परस्पर सम्मति से विवाह-विच्छेद—(१) इस अधिनियम और उस के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा विवाह-विच्छेद के लिये एक याचिका जिला न्यायालय में इस आधार पर दी जाय कि वे एक वर्ष या इस से अधिक समय से अलग रह रहे हैं, वे एक साथ नहीं रह सके हैं और वे दोनों आपस में इस बात पर सहमत हैं कि विवाह भंग कर दिया जाय।

(२) उपधारा (१) के अनुसार दी गई याचिका की तिथि से एक वर्ष बाद और उक्त तिथि से दो वर्ष बाद यदि इसी बीच याचिका वापिस नहीं ली जाती, दोनों पक्षों के प्रस्ताव करने पर जिला न्यायालय, आवश्यक जांच कर के दोनों पक्षों की बातें सुन कर और इस बात से सन्तुष्ट हो कर कि विवाह इसी अधिनियम के अन्तर्गत सम्पन्न हुआ है और याचिका में दी गयी स्वीकृति सच है, निर्णय दे कर उसी निर्णय देने की तिथि से विवाह भंग होने की घोषणा कर सकता है।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बोगावत : मैं संशोधन सं० १४६ के लिए आग्रह करता हूं।

श्री बिस्वास : मैं पहले कह चुका हूं कि मैं संशोधन सं० १५, ८६, १४६ और ४१२ को स्वीकार करता हूं। उन सब में खण्ड २७ (ङ) में दी हुई कालावधि ५ वर्ष से घटा कर तीन वर्ष करने की मांग की गई है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हमारे संशोधन भी इसी प्रकार के हैं। तब क्यों केवल श्री वेंकटरामन् और अन्य सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि बहुत से सदस्यों ने एक ही संशोधन रखा है, इसलिए मैं उन्हें प्रस्तुत नहीं करना चाहता। यदि एक ही विषय के एक प्रकार के दो संशोधन हों, तो अध्यक्ष को अधिकार है कि वह किसी एक

को स्वीकार कर ले । जब ये संशोधन स्वीकृत या अस्वीकृत हो जायेंगे तो मैं इस पर विचार करूंगा कि अन्य संशोधन प्रतिषिद्ध हैं अथवा नहीं ।

अब मैं एक एक कर के संशोधनों को लूंगा । प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ९, पंक्ति २० में "five years" ["पांच वर्ष"] शब्दों के स्थान पर "three years" ["तीन वर्ष"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकिअन्य सब संशोधन कालावधि को ५ वर्ष से घटा कर तीन वर्ष कर देने के सम्बन्ध में हैं अतः वे अवरूद्ध हैं ।

डा० जयसूर्य : खण्ड २७ का मेरा संशोधन सं० २०० है, इस का उप-खण्ड (ट) के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । यह सर्वथा भिन्न प्रस्थापना है जिसे मैं माननीय मंत्री के समक्ष रखना चाहता हूं । यदि वे स्वीकार कर लें, तो ठीक है, अन्यथा मैं आग्रह नहीं करना चाहता ।

श्री बिस्वास : मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : खण्ड २७ के मेरे संशोधन सं० ३८६, ३८७ और २७८ हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री संशोधन सं० ३८६ को स्वीकार करते हैं ?

श्री बिस्वास : जी नहीं ।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन सं० ३८६ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

उपाध्यक्ष महोदय : अब संशोधन सं० ३८७ है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसे मतदान के लिए न रखें ।

उपाध्यक्ष महोदय : *तो यह संशोधन रह गया ।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० २७८ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

श्री डाभी : मेरे संशोधन संख्या ५०, ५१ तथा ५४ पर मत लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन सं० ५१ पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन जैसा है इसलिये यह प्रतिषिद्ध है ।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० ५० और ५४ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ९, पंक्ति २२ में, "five years" ["पांच वर्ष"] के स्थान पर "three years" ["तीन वर्ष"] रखा जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ९, पंक्ति २६ में, "five years" ["पांच वर्ष"] के स्थान पर "three years" ["तीन वर्ष"] रखा जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० ४११ और ५३ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।)

श्री राघवाचारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । कुछ संशोधन प्रस्तुत हुए हैं । आप ने कुछ संशोधन सभा के समक्ष रखे हैं शेष की ओर ध्यान नहीं दिया ।

*अस्वीकृत समझा गया ।

[श्री राघवाचारी]

मुझे तो यही पता है कि जिस सदस्य ने संशोधन रखा हो उसे वह संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति लेनी चाहिये; अन्यथा उन संशोधनों को छोड़ कर जो स्वीकृत संशोधनों के कारण अपवर्जित हो जाते हैं शेष सारे संशोधनों पर सभा को मत देना होगा । क्या मैं इस विषय में ठीक प्रक्रिया जान सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अक्षरशः नियमों का पालन कर रहा हूं । बहुत से संशोधनों की पूर्वसूचना दी गई है, उन में से जो प्रस्तुत हुए हैं उन की क्रमसंख्या मैं ने बता दी है । इस के बाद मैं ने सदस्यों से पूछ लिया है कि इन में से पुनः कौन कौन से प्रस्तुत किये जाने हैं । जो प्रस्तुत करवाना चाहते हैं उन्हों ने उन की क्रम संख्या बता दी है, शेष वापस लिये गये समझ लिए गये हैं । यही प्रक्रिया अपनायी जाती है ।

प्रश्न यह है :

"खण्ड २७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री बिस्वास : मुझे संशोधन संख्या ५२० और ५२१ स्वीकार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड ३३ का संशोधन संख्या ५२० सभा के समक्ष रखता हूं ।

श्री वेंकटरामन् : उपाध्यक्ष महोदय आप कृपा कर के 'fraud' ['कपट'] के पश्चात् "or undue influence" ["अथवा अनुचित प्रभाव"] ये शब्द जोड़ दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधित रूप में प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११ में, पंक्ति १६ के पश्चात् ये शब्द निविष्ट किये जायें :

"(bb) when divorce is sought on the ground of mutual consent, such consent has not been obtained by force, fraud or undue influence; and".

["(खख) जब परस्पर सम्मति के आधार पर विवाह-विच्छेद की याचना की जाती है, तो यह सम्मति कपट या बल प्रयोग द्वारा ली गयी नहीं होनी चाहिये, और"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११ में—(१) पंक्ति ८ में, "decrees" ["आज्ञप्तियां"] के पश्चात् "(1)" ["(१)"] रखा जाये; और

(२) पंक्ति २४ के पश्चात् ये शब्द जोड़े जायें :

"(2) Before proceeding to grant any relief under this Act it shall be the duty of the court in the first instance, in every case where it is possible so to do consistently with the nature and circumstances of the case, to make every endeavour to bring about a reconciliation between the parties".

[(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई सहूलियत देने का कदम उठाने से पहले न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि सब से पहले जहां तक संभव हो,

मामले के स्वरूप और परिस्थितियों का प्रसंगानुकूल ध्यान रखते हुए दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का पूर्ण प्रयत्न करे ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण) : मैं संशोधन संख्या १६८ पर आग्रह कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के समक्ष रखता हूं । आप का संशोधन यह है :

पृष्ठ ११ में से पंक्ति १७ और १८ निकाल दी जायें ।

ये पंक्तियां इस प्रकार हैं : "याचिका उत्तरवादी से अभिसन्धि कर के न प्रस्तुत की या दी गई हो ।" खण्ड ३३ में यह कहा गया है कि न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्या याचिका उत्तरवादी से अभिसन्धि कर के प्रस्तुत की या दी गई है । यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो इस का अर्थ यह होगा कि यदि अभिसन्धि हो तब भी न्यायालय को आज्ञप्ति देनी पड़ेगी और विवाह-विच्छेद की याचिका अस्वीकार करने के लिये अभिसन्धि को आधार नहीं माना जायेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : जब हम यह कह चुके हैं कि दोनों की सम्मति होनी चाहिये तो मुझे समझ नहीं आता कि अभिसन्धि याचिका अस्वीकार करने का आधार कैसे बन सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभिसन्धि कर के या धन इत्यादि दे कर वैध उपायों से सम्मति प्राप्त की जा सकती है । जिस माननीय सदस्य ने इस संशोधन की पूर्वसूचना दी है वह यह चाहते हैं कि अभिसन्धि के आधार पर विवाह-विच्छेद की याचिका अस्वीकृत नहीं की जानी चाहिए । यदि न्यायालय अन्य बातों में अभिसन्धि देखे तो वह विवाह-विच्छेद के लिये आज्ञप्ति देने से इन्कार कर सकता है । प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११ में से पंक्ति १७ और १८ निकाल दी जायें ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री राघवाचारी : श्रीमान्, आचार्य कृपालानी का संशोधन संख्या २१४ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संशोधन संख्या ५२१ में, जिसे हम ने स्वीकार कर लिया है, आ जाता है । अतः मैं इस की आज्ञा नहीं देता ।

श्री राघवाचारी : श्रीमान्, यद्यपि आप ने इस संशोधन के बारे में निश्चय कर लिया है किन्तु फिर भी मैं इस बात के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं कि यह संशोधन प्रतिषिद्ध नहीं है ।

हम यह देखते रहे हैं कि वे किसी विशेष संशोधन को स्वीकार करना चाहते हैं और उसे पहले रख देते हैं और इस प्रकार शेष सब संशोधन प्रतिषिद्ध हो जाते हैं । यह बात उचित नहीं है; क्योंकि....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस के अतिरिक्त माननीय सदस्य ने बहुत बुरे और असंसदोचित शब्दों का प्रयोग किया है । जब दो संशोधनों का अभिप्राय एक ही हो, तो किसी एक को तो पहले रखना ही होगा । और इस प्रकार दूसरा माननीय सदस्य भी आपत्ति कर सकता है । दोनों एक साथ नहीं प्रस्तुत किये जा सकते । मुझे यह आपत्ति बिल्कुल समझ में नहीं आई ।

श्री राघवाचारी : मेरा निवेदन यह है कि अब जो संशोधन स्वीकार हुआ है उस में समझौता कराने का उत्तरदायित्व न्यायालय पर डाल दिया गया है । न्यायालय का उत्तरदायित्व तो होता ही है । परन्तु समझौते के लिये प्रेरणा किन्हीं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा

[श्री राघवाचारी]

दी जानी चाहिए । आचार्य कृपालानी के संशोधन में इसी का उल्लेख है । अतः दोनों में कुछ अन्तर है और यह संशोधन प्रतिषिद्ध नहीं हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह मानता हूं कि एक में न्यायालय का उल्लेख है और दूसरे में एक स्वतंत्र निकाय का । परन्तु श्री वेंकटरामन् और आचार्य कृपालानी दोनों के संशोधनों में पहले न्यायालय या बोर्ड को ऐसा करने के लिये कहा गया है । जब सभा ने श्री वेंकटरामन् का यह संशोधन स्वीकार कर लिया है कि पहले यह न्यायालय को करना चाहिए, तो पहले इसे बोर्ड को सौंपने के आचार्य कृपालानी के संशोधन को कैसे स्वीकार किया जा सकता है । अतः इसे बदल कर 'दूसरी बार' किया जाना चाहिए था और यह उन्हों ने नहीं किया है । ऐसी परिस्थिति में मैं ने यह ठीक ही निर्णय दिया है कि यह संशोधन प्रतिषिद्ध है ।

श्री बी० सी० दास : और फिर संशोधन संख्या १६९ है ।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा श्री बी० सी० दास का संशोधन संख्या १६९, श्री जेठालाल जोशी का संशोधन संख्या ३९८ और श्री आर० डी० मिश्र के संशोधन संख्या ४९६ तथा ४९७ प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २८—(विवाह के पश्चात् प्रथम तीन वर्षों में विवाह विच्छेद की याचिकाओं पर निर्बन्धन)

खंड २९—(जिन का विवाह विच्छेद हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का पुनर्विवाह)

खंड ३०—(न्यायालय जिसे याचिका प्रस्तुत की जायगी)

खंड ३१—(याचिकाओं की विषयसूची तथा प्रमाणीकरण)

खंड ३२—(कार्यवाहियां गुप्त हो सकती हैं)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा खंड २८, २९, ३०, ३१, तथा ३२ पर विचार करेगी । १ घंटा समय दिया गया है । अब हम ३–१० म० प० पर खंडों के इस समूह पर विचार कर रहे हैं और यह ४–१० म० प० पर समाप्त होगा ।

डा० रामा राव : यदि हम आज एक घंटा अधिक बैठें, तो हम सभी खंडों को समाप्त कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा आज ६ म० प० तक बैठने के पक्ष में है ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत होंगे :

खंड २८ में संशोधन संख्या १५९ तथा २०९ जो तद्रूप हैं, २८२, १६१, ९८, १६२ और ५१९ ।

खंड २९ में संशोधन संख्या २१०, १६३, २११, १६४ तथा ४४५ जो तद्रूप हैं, २८४, और २८५ ।

खंड ३० में संशोधन संख्या ५११ तथा १६५ ।

खंड ३१ में संशोधन संख्या १६६ तथा २१२ ।

खंड ३२ में संशोधन संख्या १६७ तथा २१३ ।

(तत्पश्चात् डा० रामा राव ने संशोधन संख्या १५९ तथा १६१, डा० जयसूर्य ने संशोधन संख्या २०९, श्री राम दास (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) ने संशोधन संख्या २८२, श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् ने संशोधन संख्या ९८ तथा डा० रामा राव ने संशोधन संख्या १८२ प्रस्तुत किया ।)

श्री एन० पी० नथवानी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> पृष्ठ १०, पंक्ति ४ में "the marriage [विवाह] के स्थान पर "entering the certificate of marriage in the Marriage Certificate Book" [विवाह प्रमाणपत्र पुस्तक में विवाह प्रमाणपत्र दर्ज करते हुए] शब्द रखे जायें ।

(तत्पश्चात् श्री राघवाचारी ने संशोधन संख्या २१०, डा० रामा राव ने संशोधन संख्या १६३, डा० जयसूर्य ने संशोधन संख्या २११, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने संशोधन संख्या १६४, श्री एम० एल० अग्रवाल ने संशोधन संख्या ४४५, श्री राम दास ने संशोधन संख्या २८४, २८५, श्री आर० डी० मिश्र ने संशोधन संख्या ५११, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने संशोधन संख्या १६५, १६६, डा० जयसूर्य ने संशोधन संख्या २१२, डा० रामा राव ने संशोधन संख्या १६७ तथा आचार्य कृपालानी ने संशोधन संख्या २१३ प्रस्तुत किया ।)

उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन सभा के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं ।

श्री एन० पी० नथवानी : मैं ने संशोधन संख्या ५१९ रखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य उसे प्रस्तुत करना चाहते थे तो उन्हों ने सचिव को क्यों नहीं सूचना दी ?

श्री एन० पी० नथवानी : वह शुद्ध मौखिक संशोधन है और बहुत आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत सी चीजें आवश्यक हो सकती हैं । जब तक पूर्व सूचना न दी गयी हो, मैं संशोधन को प्रस्तुत न समझूंगा ।

श्री बिस्वास : मैं उस संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं यदि उस से सभा के समय की बचत हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्तमान में मैं इसे अपवाद मान लेने के लिए तैयार हूं किन्तु भविष्य में मैं इस के लिए अनुमति न दूंगा ।

श्री राघवाचारी : मैं कुछ थोड़ा कहना चाहता हूं । मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता । मैं ने खंड २९ में संशोधन संख्या २१० की सूचना दी है जिस में कतिपय शब्दों को निकाल देने का सुझाव दिया गया है । मुझे वे शब्द अनावश्यक प्रतीत होते हैं और उन से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता ।

आगे खंड ३२ में संशोधन संख्या २१३ की भी मैं ने सूचना दी है जिस में इन शब्दों को जोड़ने का सुझाव दिया गया है "ऐसी कार्यवाही का कोई अंश किसी भी रूप अथवा आकार में न्यायालय की अनुज्ञा के बिना प्रकाशित न किया जायगा ।"

आप जानते हैं कि विवाह सम्बन्धी विषयों से तथा न्यायालय की कार्यवाहियों से समाचार-पत्रों को बहुत अच्छी सामग्री मिल जाती है, इस बात की परवाह न करते हुए कि उस से पक्षों पर क्या परिणाम पड़ेगा । अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसा प्रकाशन केवल न्यायालय की अनुमति से ही होना चाहिये ।

श्री बिस्वास : संशोधन संख्या २१० के सम्बन्ध में, मैं यह बता देना चाहता हूं कि ये शब्द आवश्यक हैं । हम नें ज़िला न्यायालय की ऐसी परिभाषा की है कि यदि सरकार चाहे तो उस में छोटे न्यायालय सम्मिलित किये जा

[श्री बिस्वास]

सकते हैं। यह कहना संभव नहीं है कि सभी विषयों में अपील का अधिकार अवश्य होगा। अतः ये शब्द आवश्यक हैं और इन्हें कायम रखने में कोई हानि नहीं है।

श्री सी० आर० चौधरी: मैं ने खंड २८ में संशोधन संख्या ९८ प्रस्तुत किया है जिस में कुछ शब्द जोड़े जाने का सुझाव है। खंड २८ के अन्तर्गत विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अवधि तीन वर्ष है। परस्पर सम्मति के मामले में जहां दोनों दल अलग होने के लिए सहमत हैं और जिन्हें विवाह विच्छेद के लिए आज्ञप्ति प्राप्त है, वहां तीन वर्ष की अवधि अनावश्यक है और उस से उन को कठिनाई हो सकती है। मेरे संशोधन में यह सुझाव है कि तीन वर्ष की अवधि उन व्यक्तियों के लिए न लागू की जानी चाहिये जो परस्पर सम्मति से अलग होना चाहते हैं और इस प्रकार वह खंड २८ के लिए न लागू की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में संशोधन मतदान के लिए सभा के समक्ष रखूंगा। प्रश्न यह है :

पृष्ठ १०, पंक्ति ४ में, "the marriage" [विवाह] के स्थान पर "entering the certificate of marriage in the Marriage Certificate Book [विवाह प्रमाण पत्र पुस्तक में विवाह प्रमाण-पत्र दर्ज करते हुए] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तत्पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९८, १५९, २०९, २८२, १६१ तथा १६२ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में खंड २९ में संशोधन संख्या १६३ सभा के समक्ष मतदान के लिए रख रहा हूं।

डा० रामा राव : मैं अपने इस संशोधन पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि खंड २८ से ३२ तक एक साथ लिये जा रहे हैं और जो माननीय सदस्य इन में से किसी संशोधन पर कहना चाहते हों वे उन सब को एक साथ लें। मैं इसी कार्य-प्रणाली का अनुसरण कर रहा हूं, क्योंकि ये सभी खंड एक समुदाय में रखे गये हैं। फिर भी यदि डा० रामा राव अपने संशोधन पर बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

डा० रामा राव : मैं विधि मंत्री से अपील करता हूं कि वे मेरा संशोधन संख्या १६३ स्वीकार कर लें। सब परेशानी के बाद, वे विवाह विच्छेद प्राप्त करते हैं और यदि वे पुनः विवाह करना चाहते हों तो विधि मंत्री उन्हें एक वर्ष तक रुकने के लिए क्यों बाध्य करते हैं। निश्चय ही, विवाह-विच्छेद के पूर्व, वह सतर्कता का एक कदम है। विवाह-विच्छेद स्वीकार किये जाने पर, वे व्यर्थ एक वर्ष और क्यों रुकें और इस प्रकार विवाह की जो भी संभावनाएं हों उन से क्यों हाथ धोवें ?

श्री बिस्वास : उद्देश्य यह है कि लोगों को भद्दे तरीकों से विवाह करने से रोका जाय। यह उपबन्ध वर्तमान विवाह-विच्छेद अधिनियम में भी है जहां प्रतीक्षा की अवधि ६ महीने है। अतः हम ने ६ महीने की अवधि बढ़ाकर एक वर्ष कर दी है और प्रत्येक जगह यह स्वीकृत प्रथा है।

(तत्पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६३ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।)

डा० जयसूर्य : मेरे संशोधन संख्या २११ में ९ महीने के बजाय १ वर्ष का सुझाव है ।

श्री बिस्वास : वही तर्क २११ के लिए भी लागू होता है ।

डा० जयसूर्य : उस हालत में, उसे मतदान के लिए रखने की आवश्यकता नहीं ।

संशोधन, अनुमति से, वापस लिया गया ।

(तत्पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१०, ४४५, २८४ तथा २८५ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २९ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

(तत्पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५११ तथा १६५ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।)

उपाध्क्ष महोयक्ष : प्रश्न यह है :)

"खंड ३० विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

(तत्पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१२ तथा १६६ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ३१ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

(तत्पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६७ तथा २१३ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ३२ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभी खंड १, २, ३५ से ५० तथा अनुसूचियों के अगले संशोधन वर्ग पर विचार करेगी ।

[**पंडित ठाकर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

खंड १, २, ३५ से ५० तथा अनुसूचियां तथा अधिनियमन सूत्र

सभापति महोदय : खंड ३५ से ५० तथा अनुसूचियां और खंड १, २ तथा अधिनियमन सूत्र के सम्बन्ध में, निम्नलिखित संशोधन प्राप्त हुए हैं और वे प्रस्तुत किये जायेंगे ।

खंड २ : ३३७ ।

खंड ३६ : १००, ४७२, १७१, १७२ तथा १७० ।

खंड ३७ : १७३

खंड ३८ : २१६, १७४

खंड ४० : ४७८, २१८

खंड ४१ : २१९

खंड ४३ : ३९९

खंड ४६ : २२०

खंड ५० : १०२

प्रथम अनुसूची : ४८४, ४७४, ४७५, ४८५ ।

चतुर्थ अनुसूची : ४७७

(तत्पश्चात् श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने संशोधन संख्या ३३७, श्री मूलचन्द दुबे ने संशोधन संख्या ४७२, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने संशोधन संख्या १७१, डा० रामा राव ने संशोधन संख्या १७२, श्री बोगावत ने संशोधन संख्या १७०, श्रीमती जयश्री ने संशोधन संख्या १००, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने संशोधन संख्या १७३, श्री राघवाचारी ने संशोधन संख्या २१६, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने संशोधन संख्या १७४, श्री मूलचन्द दुबे ने संशोधन संख्या

[सभापति महोदय]

४७३, श्री राघवाचारी ने संशोधन संख्या २१८, श्री राघवाचारी ने संशोधन संख्या २१९, तथा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संशोधन संख्या ३९९ प्रस्तुत किया ।)

श्री राघवाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १३, पंक्ति ४५ में 'truth of the' ['इस का सत्य'] शब्द निकाल दिये जायें ।

(तत्पश्चात् श्री एच० एन० मुकर्जी ने संशोधन संख्या १०२, डा० रामाराव ने संशोधन संख्या ४८४, श्री मूलचन्द दुबे ने संशोधन संख्या ४७४, ४७५, डा० रामा राव ने संशोधन संख्या ४८५* तथा श्री मूलचन्द दुबे ने संशोधन संख्या ४७७ प्रस्तुत किया ।

सभापति महोदय : प्रस्तावित संशोधन अब सभा के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं ।

खंड ३४ तथा ३५ पर कोई संशोधन नहीं हैं ।

खंड ३४ तथा ३५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ३६—(स्थायी रणपोषण भत्ता तथा गुज़ारा)—जारी

श्री बोगावत : इस खण्ड के द्वारा हम न्यायालय को शक्ति दे रहे हैं कि वह स्त्री को स्थायी भरण-पोषण भत्ता तथा भृति दिला सके । परन्तु हमारे संविधान के अनुसार पुरुषों तथा स्त्रियों को समान अधिकार दिये गये हैं । जिस प्रकार पुरुष पर यह दायित्व रखा गया है कि वह स्त्री को अपनी सम्पत्ति का एक भाग दे तथा मासिक भत्ता दिया करे, उसी प्रकार यदि पुरुष लंगड़ा, कोढ़ी, या पागल हो या अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो या उस के पास कोई सम्पत्ति न हो और उस की स्त्री कमाती हो या उस के पास सम्पत्ति हो या उस की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और वह ऐसे पति से विवाह-विच्छेद करना चाहती हो तो ऐसी स्त्री से पति को भरण-पोषण भत्ता दिलाया जाना चाहिये । इसी प्रयोजन से मैं ने संशोधन संख्या १७० प्रस्तुत किया है और मैं माननीय विधि मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस पर विचार करें ।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं अपने संशोधन के समर्थन में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि यह पाया जाये कि स्त्री ने जारता की है अथवा यदि आज्ञप्ति धारा २७ के खण्ड (ख), (च), (झ), (ञ), या (ट) पर आधारित हो तो किसी प्रकार का भी भत्ता न दिलाया जाये ।

श्रीमती जयश्री : उपखण्ड (३) में कहा गया है 'सदाचारी जीवन न व्यतीत कर रही हो' । यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट हैं । हमारा समाज साधारण बातों को ले कर स्त्रियों को लांछित करेगा और इस प्रकार वे भरण-पोषण भत्ते से वंचित रह जायेंगी । इस लिये इन शब्दों के स्थान पर 'अन्य पुरुष के साथ स्त्री के रूप में रह रही हो' शब्द रखे जायें अथवा श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती के संशोधन के अनुसार, "रखेल या वेश्या का जीवन बिता रही हो" शब्द रखे जायें जिस से अर्थ स्पष्ट हो जाये ।

श्री बिस्वास : भरण-पोषण भत्ता प्रायः पुरुष से स्त्री को ही दिलाया जाता है न कि स्त्री से पुरुष को संयुक्त समिति में इस खण्ड पर बहुत चर्चा हुई थी और संयुक्त समिति ने इस खण्ड को इसी रूप में रखने का विनिश्चय किया था । इस लिये मुझे श्री बोगावत का संशोधन स्वीकार्य नहीं है । दूसरा संशोधन श्री मूलचन्द दुबे का है । इन बातों के सम्बन्ध में न्यायालय को स्वविवेक प्राप्त है । इस के लिये जो परन्तुक संशोधन के द्वारा बढ़ाया जा रहा है उस की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी के समान रह रही है तो उस का अर्थ है कि उस ने पुनर्विव ह कर लिया है । यदि वह रखेल का जीवन बसर

*अस्वीकृत हुआ समझा गया ।

कर रही है तो इस का अर्थ है कि उसका जीवन सदाचारी नहीं है । दोनों हालतों में आदेश रद्द कर दिया जायेगा इसलिये मुझे श्रीमती जयश्री का संशोधन स्वीकार्य नहीं है ।

श्री मूलचन्द दुबे : खण्ड ३६ के द्वारा न्यायालय को ऐसा कोई स्वविवेक नहीं दिया गया है ।

श्री बिस्वास : मैं माननीय सदस्य का ध्यान खण्ड ३३ के उपखण्ड (क) तथा (ख) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस के द्वारा न्यायालय को पर्याप्त स्वविवेक दिया गया है ।

श्री मूलचन्द दुबे : यह आज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में है न कि भरण पोषणभत्ता दिलाने के सम्बन्ध में है । भरण पोषण भत्ता आज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् दिलाया जाता है ।

श्री बिस्वास : शब्द 'आज्ञप्ति' खण्ड ३३ में आया ही नहीं है ।

सभापति महोदय : अब मैं यह संशोधन सभा के सामने मतदान के लिये रखूंगा ।

(सभापति महोदय द्वारा, श्री बोगावत, श्री मूलचन्द दुबे, श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती, डा० रामा राव तथा श्रीमती जयश्री के संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३७—(बच्चों की अभिरक्षा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि

"खण्ड ३७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३८—(आज्ञाप्तियों तथा आदेशों का लागू करना तथा इनके विरुद्ध अपील)—**जारी**

श्री राघवचारी : मैं अपने संशोधन द्वारा केवल इतना चाहता हूं कि अपीलें प्रस्तुत करने की अवधि नव्वे दिन के स्थान पर केवल साठ दिन निश्चित की जाये । साठ दिन का समय बहुत पर्याप्त होगा ।

श्री बिस्वास : हमारा विचार है कि नव्वे दिन रखना अधिक उपयुक्त है ।

(सभापति महोदय द्वारा श्री राघवाचारी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४०—(उच्च न्यायालय की प्रक्रिया सम्बन्धी नियम बनाने की शक्ति) —**जारी**

श्री मूलचन्द दुबे : उच्च न्यायालय की नियम बनाने वाली शक्तियों को निर्धारित करते समय यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि दोनों पक्षों में मेल कराने के अभिप्राय से भी नियम बनाये जा सकते हैं । किसी प्रकार के नियम तथा प्रक्रिया का उपबन्ध किये बिना एक वर्ष तक यों ही राह देखने के स्थान पर अच्छा यह होगा कि किसी प्रक्रिया का उपबन्ध किया जाये जिस के परिपालन के द्वारा दोनों पक्षों को एक दूसरे के निकट लाने तथा मेल कराने का प्रयत्न किया जाये । इसी कार्य को करने के लिये अमरीका में कुछ संगठन बने हुए हैं जो विवाह विच्छेद की प्रार्थना करने वाले स्त्री तथा पुरुष से भेंट करते हैं और उन में मेल कराने का प्रयत्न करते हैं ।

श्री वेंकटरामन : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि नियमों के बनाने से मेल कराने में बाधा ही अधिक हो सकती है इसीलिये हम ने इस के सम्बन्ध में न्यायालय को पूरा स्वविवेक दिया है ।

श्री बिस्वास : मैं श्री वेंकटरामन् का समर्थन करता हूं ।

(सभापति महोदय द्वारा श्री मूलचन्द दुबे का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राघवाचारी : खण्ड ४० के उप-खण्ड (ङ) के द्वारा इतनी बड़ी तथा विस्तृत शक्तियां दी गई हैं कि वे नियम बनाने वाली शक्तियों की परिधि को भी लांघ गई हैं । नियम बनाने की शक्तियां केवल उन विषयों के सम्बन्ध में दी जाती हैं जिन के सम्बन्ध में विस्तृत बातें अधिनियम में दी न गई हों, न कि किसी ऐसे अभाव की पूर्ति करने के लिये जिस का अधिनियम में उपबन्ध न किया गया हो । इसलिये मैं ने संशोधन रखा है कि पृष्ठ १३ में पंक्ति १ से ३ तक निकाल दी जायें ।

श्री बिस्वास : चूंकि यह नियम उच्च न्यायालय द्वारा बनाये जायेंगे और हम उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में विश्वास कर सकते हैं कि वह अनुत्तरदायी ढंग से कोई कार्य नहीं करेगा इस लिये इस उपबन्ध को यथावत रखने में कोई हानि नहीं है ।

(सभापति महोदय द्वारा श्री राघवाचारी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ४० विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ४० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४१.--(बचत)--समाप्त

श्री राघवाचारी : मैं इस खण्ड में शब्द "any" ["किसी"] के पश्चात् शब्द "other" ["दूसरे"] शब्द जोड़ना चाहता हूं, जिस से कि अर्थ स्पष्ट हो जाये ।

श्री बिस्वास : वास्तव में यह आवश्यक नहीं है, किन्तु तो भी इसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । हम ने सब स्थानों पर केवल "सम्पन्न हुआ" शब्द का प्रयोग किया है और "विवाह का करार किया" इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है ।

श्री राघवाचारी : मैं ने एक संशोधन रखा था कि "विवाह सम्पन्न होने" के स्थान पर "विवाह करना" या "विवाह का करार करना" शब्द रखे जायें किन्तु माननीय मंत्री ने उस का विरोध किया है ।

सभापति महोदय : क्या इसे स्वीकृत समझा जाये या अस्वीकृत ?

श्री बिस्वास : यह आवश्यक नहीं है ।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया, और अस्वीकृत हुआ ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

"खण्ड ४१ विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४१ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ४२ से ४५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ४६--(विवाह प्रमाणपत्र पुस्तक के निरीक्षण की स्वतंत्रता

श्री राघवाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ १३ पर पंक्ति ४५ में "truth of the" ["की सत्यता"] शब्द हटा दिये जायें क्योंकि प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख का केवल प्रमाण है और उन मामलों की सत्यता का प्रमाण नहीं हो सकती है ।

श्री बिस्वास : मैं इस संशोधन को स्वीकार कर लूंगा ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है कि:

पृष्ठ १३, पंक्ति ४५ में से शब्द "truth of the" ["की सत्यता"] निकाल दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड ४६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ४७ से ५० तक विधेयक में जोड़ दिये गये

प्रथम अनुसूची

श्री मूलचन्द दुबे : मैं ने इस अनुसूची पर अपना संशोधन संख्या ४७६ का एक पर्चा एक चपड़ासी को जो कि हाउस में खड़ा था मूव करने के लिये सचिव महोदय की मेज़ पर देने के लिये दिया था ।

सभापति महोदय : जब माननीय सदस्य कहते हैं कि उन्हों ने पर्चा दिया था तो मुझे उन की बात पर विश्वास है । इसलिये माननीय सदस्य के संशोधन की अनुमति दी जाती है । किन्तु संशोधन संख्या ४७६ द्वितीय अनुसूची से सम्बन्धित है और इस समय हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं ने संशोधन संख्या ४७५ की सूचना भी दी है ।

सभापति महोदय : तो माननीय सदस्य संशोधन संख्या ४७५ पर बोल सकते हैं ।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं अपना संशोधन संख्या ४७५ प्रस्तुत करता हूं । इस का अभिप्राय यह है कि कम से कम दूसरी पीढ़ी से सम्बन्धित भाइयों के साथ विवाह नहीं होना चाहियें । किन्तु इन अनुसूचियों में ऐसे विवाहों की अनुमति दी गई है, जो हिन्दुओं की भावना के विरुद्ध है । इस का उपबन्ध सन् १८७२ के विशेष विवाह विधेयक में भी था, अतः ऐसे विवाहों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री बिस्वास : प्रथम अनुसूची के भाग २ का पुरुष सम्बन्धियों से सम्बन्ध है और माननीय सदस्य का संशोधन संख्या ४७४— मैं समझता हूं कि उन्हों ने यही संशोधन प्रस्तुत किया है, और इस का आशय यह है कि पिता आदि की ओर की महिला सम्बन्धियों को उसी वर्ग में रखा जाये । केवल इसी आधार पर मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

सभापति महोदय : वह पुरुष और महिला दोनों के विषय में बोल रहे हैं । उन्हों ने संशोधन संख्या ४७४ नहीं, बल्कि संख्या ४७५ भी प्रस्तुत किया है ।

श्री बिस्वास : तो मुझे इस का खेद है । मैं ने समझा था कि माननीय सदस्य ने इस अनुसूची पर अपने दोनों संशोधन प्रस्तुत कर दिये हैं ।

माननीय सदस्य नहीं चाहते कि हम यह कहें, पुत्र का पुत्र, पुत्री का पुत्र इत्यादि, किन्तु वह ऐसा सूत्र प्रस्तुत करते हैं जो मुस्लिम विधि के सूत्र से मिलता जुलता है । मुझे इस में परिवर्तन कर के उन शब्दों को स्वीकार करने का कोई आधार दिखाई नहीं देता है ।

श्री मूलचन्द दुबे : यह मुस्लिम विधि में नहीं, अपितु सन १८७२ के विशेष विवाह विधेयक में है ।

श्री बिस्वास : हम ने सीधी सादी भाषा में कह दिया है, पुत्र का पुत्र, पुत्री का पुत्र इत्यादि, । हमें इस प्रकार उन को नाम देने

[श्री बिस्वास]

की क्या आवश्यकता है ? मैं इस बात को मान सकता था यदि उन्हों ने कहा होता कि हमें उन सम्बन्धियों को सम्मिलित करना चाहिये था, जिन के बीच विवाह की धारणा संभाविकता के रूप में संभव नहीं होती है । यह तो और बात होती, परन्तु माननीय सदस्य का यह उद्देश्य नहीं है । वह एक नवीन सूत्र उपस्थापित करना चाहते हैं, जो मुस्लिम विधि में विद्यमान है । जिस सूत्र को हम ने स्वीकार कर लिया है उसे छोड़ने का कोई कारण नहीं है ।

श्री मूलचन्द दुबे : आप ने सम्बन्धियों का वर्णन किया है और मैं ने सूत्र का सुझाव रखा है--बस यही अन्तर है ।

(सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रथम अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया

द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों को विधेयक में जोड़ दिया गया

चतुर्थ अनुसूची

श्री मूलचन्द दुबे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ १९ की पंक्ति ८ में "धारा ११" के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये "on oath or solemn affirmation" ["शपथ या सत्यप्रतिज्ञान के साथ"] । यदि घोषणा की असत्यता प्रमाणित हो जाती है तो उस व्यक्ति को दण्ड दिया जाता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि विवाह पदाधिकारी के सामने वर और वधू जो घोषणा करें वह शपथ या सत्य प्रतिज्ञान के साथ होनी चाहिये ।

श्री बिस्वास : क्या माननीय सदस्य विवाह के प्रमाणपत्र में परिवर्तन करने का सुझाव दे रहे हैं ?

श्री मूलचन्द दुबे : जी, नहीं, मैं घोषणा का उल्लेख कर रहा हूं ।

श्री बिस्वास : अनुसूची के अनुसार, प्रमाण पत्र की यह शब्दावलि होगी, अर्थात् मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि अमुक दिन, अमुक अमुक व्यक्ति मेरे समक्ष उपस्थित हुए और उन में से प्रत्येक ने मेरी उपस्थिति में और तीन साक्षियों की उपस्थिति में जिन्हों ने इस के लिये हस्ताक्षर किये हैं, धारा ११ द्वारा अपेक्षित घोषणा दी, इत्यादि ।

खण्ड ११ में शपथ के साथ घोषणा करने का उपबन्ध नहीं है । अतः उस खण्ड के अनुसार दिये जाने वाले प्रमाण पत्र में शपथ या सत्य प्रतिज्ञान कैसे सम्मिलित किये जा सकते हैं ? माननीय मित्र को खण्ड ११ पर संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये था । किन्तु ऐसा नहीं किया गया है । यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो भी यह स्वीकार न होता ।

(सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"चतुर्थ अनुसूची विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

चतुर्थ और पंचम अनुसूचियां विधेयक में जोड़ दी गईं ।

खण्ड २--(व्याख्यायें)

सभापति महोदय : खण्ड २ के प्रायः सभी उपखण्ड स्वीकार कर लिये गये हैं । केवल उपखण्ड (च) अभी विलम्बित है, जिस के सम्बन्ध में श्री वेंकटरामन् ने संशोधन प्रस्तुत किया है ।

श्री वेंकटरामन् : मैं इस संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि ।

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा आरम्भ)

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं खण्ड ५० के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के लिए कुछ कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : मैं ने खण्ड ५० के सब संशोधनों का निपटारा कर दिया है । केवल श्रीमती जयश्री का संशोधन शेष है, किन्तु वह अनुपस्थित हैं । अतः मैं इसे मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

"खण्ड १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया

शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री के० के० बसु : मैं खण्ड ५० के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या यह अधिनियम विवाह-विच्छेद के मामले में ईसाई विवाह अधिनियम तथा दूसरे अधिनियमों के अधीन किये गये उन विवाहों पर लागू होगा, जिन पर भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम लागू होता है ? विवाह विच्छेद के आधार भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की अपेक्षा इस अधिनियम में अधिक व्यापक हैं । भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम के अधीन, पति द्वारा परित्यक्त पत्नी विवाह-विच्छेद के लिये मुकदमा चला सकती है । परन्तु पत्नी द्वारा परित्यक्त पति, पत्नी द्वारा परित्याग किये जाने के आधार पर विवाह विच्छेद के लिये मुकदमा नहीं चला सकता है । इस विधेयक में इस विषय में अधिक विस्तृत उपबन्ध किये गये हैं । अतः हमें यह स्पष्ट करना चाहिये कि विशेष विवाह-विधेयक के उपबन्ध भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम पर भी लागू होंगे । उपधारा (२) (क) में यह बात स्पष्ट नहीं है, इसलिये मैं संशोधन रखना चाहता हूं । मुझे संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला । यदि मंत्री महोदय यह समझते हैं कि वर्तमान रूप में पारित खण्ड से इस कठिनाई का समाधान होता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, अन्यथा यदि इस में कोई कठिनाई अनुभव की जाये और व्याख्या की आवश्यकता ज्ञात हो, तो मैं उन से आग्रह करूंगा कि वह आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करें ।

श्री बिस्वास : माननीय सदस्य का संशोधन पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आया है । संशोधन को स्वीकार कर लेने पर खण्ड का यह रूप होगा :

> "ऐसे निरसन के होते हुए भी, विशेष विवाह विधेयक, १८७२, या ऐसी किसी तत्स्थानी विधि के अधीन विधि पूर्वक सम्पन्न समस्त विवाह तथा समस्त विद्यमान विवाह, जिन पर, यदि उस के अधीन किसी सहायता के लिये मुकदमा चलाया जाये, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम लागू होता हो....."

भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ईसाइयों के लिये अधिनियमित किया गया था । यह वास्तविक स्थिति है । फिर यह सन् १८७२ के विशेष विवाह-विधेयक के अधीन विवाहों पर भी लागू किया गया था । अब हमारे पास यहां स्वयंभरित उपबन्ध है, इसलिये मैं इसे ठीक नहीं समझता हूं । संभवतः इस संशोधन के कारण, ईसाई विवाह भी इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न हुए माने जायेंगे । यदि मैं इस संशोधन को स्वीकार कर लूं तो यह परिणाम होगा ।

श्री के० के० बसु : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक ईसाई विवाह अधिनियम के अधीन सम्पन्न हुए विवाहों पर भी लागू होगा ? उन विवाहों पर भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम के लागू होने के कारण पति द्वारा परित्यक्त पत्नी तो विवाह-विच्छेद के लिये मुकदमा चला सकती है, किन्तु यदि पत्नी पति का परित्याग कर दे तो पति विवाह-विच्छेद का मुकदमा नहीं चला सकता है । अब विवाह विधेयक के सम्बन्ध में यह स्वतंत्रता दोनों को प्राप्त है । क्या यह उपबन्ध उन विवाहों पर भी लागू होगा ?

सभापति महोदय : जब तक उस विधि का संशोधन न किया जाये, इस विधि के उपबन्ध उन विवाहों पर कैसे लागू किये जा सकते हैं ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : खण्ड ५० में उपबन्ध है "कि विशेष विवाह अधिनियम, १८७२ या किसी तत्स्थानी विधि के अधीन सम्पन्न हुए समस्त विवाहों को इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न हुआ माना जायेगा ।" अब क्या ईसाई विवाह अधिनियम के अधीन सम्पन्न हुए विवाह "किसी तत्स्थानी विधि" की व्याख्या में आते हैं, क्योंकि हम ने चर्चा के समय सब प्रकार की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार सम्पन्न हुए सब विवाहों को इस विधान की परिधि में लाने का प्रयत्न किया है । हम विधि मंत्री से यह आश्वासन चाहते हैं कि क्या "किसी तत्स्थानी विधि" के अन्तर्गत भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम को सम्मिलित किये जाने की कोई संभावना हो सकती है ?

श्री बिस्वास : श्री बसु ने यही पूछा है कि क्या ईसाई विवाह अधिनियम को "ऐसी किसी तत्स्थानी विधि" के अन्तर्गत लाया जा सकता है । हम ने इसे "ऐसी किसी तत्स्थानी विधि" कह कर छोड़ दिया है । यह विवादास्पद मामला हो सकता है कि किस विधि को इस विशेष विवाह अधिनियम का तत्स्थानी माना जाये और इसलिये हमने कुछ अधिनियमों के नाम नहीं बताये हैं । हम ने जान बूझ कर किसी ऐसे अधिनियम का नाम नहीं बताया है । इस बात का निर्णय करना न्यायालय का काम होगा कि आया कोई विशिष्ट अधिनियम विशेष विवाह अधिनियम का तत्स्थानी है या नहीं ।

श्री के० के० बसु : न्यायालय हमारे लिये खुले हैं । तब हमें आप से प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री बिस्वास : कठिनाई यह थी कि यदि विशेष विवाह अधिनियम के अतिरिक्त किसी अधिनियम विशेष को सम्मिलित कर लेते, तो हमें लम्बी सूची बनानी पड़ती । इसीलिये हम ने इसे इस तरह छोड़ दिया है ।

डा० जयसूर्य : क्या भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम इस अधिनियम पर अब भी लागू होता है ?

श्री बिस्वास : विवाह भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम के अधीन सम्पन्न नहीं होते हैं । यह किसी भी अधिनियम के अधीन विधि-पूर्वक सम्पन्न हुए विशेष विवाहों के विषय में है । इसलिये भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम इस के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : इस का उस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सभापति महोदय : इस में कुछ त्रुटि ज्ञात होती है । जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वे यह हैं :

> "हमारे गणराज्य के पांचवें वर्ष में संसद् द्वारा अधिनियम किया गया ।"

किन्तु साधारणत: 'हमारे गणराज्य' के स्थान पर 'भारत गणराज्य' होता है मेरा विचार है कि सदन इस परिवर्तन पर आपत्ति नहीं करेगा ।

श्री बिस्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय"

श्री राघवाचारी : मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस विधेयक पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर मिला है, किन्तु इस के पूर्व मैं विधेयक की प्रगति के सम्बन्ध में अपना असन्तोष प्रगट करना चाहता हूं। वास्तव में हम यथार्थ रूप से यह ज्ञात नहीं कर सके हैं कि इस विधेयक का प्रभार तथा उत्तरदायित्व किस पर है। यह सारा मामला एक व्यवस्थित सा मामला ज्ञात होता है कि केवल कुछ संशोधन विशेष ही सभा के समक्ष चर्चा के निमित्त रखे जायें। यद्यपि मैं अध्यक्ष-पद पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं किन्तु सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों एवं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में विभेद होने दिया जाता है तथा यह सारी प्रक्रिया मुझे कुछ अनुचित प्रतीत होती है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य मुख्य चर्चा की सीमा से बाहर जा रहे हैं उन्हें सभापति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आक्षेप नहीं करना चाहिये। उन्हें अनजान में भी इस प्रकार का दोषारोपण नहीं करना चाहिये क्योंकि सभापति सभा का प्रतिनिधित्व करता है।

श्री राघवाचारी : श्रीमान्, मैं अपने शब्द प्रसन्नता से वापस लेता हूं। मुझे असन्तोष सभापति महोदय से नहीं है किन्तु सभा में अपनाई गई प्रक्रिया से है।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं, किन्तु सरकार तथा विरोधी पक्ष ने अपना ध्यान विधेयक के स्थूल प्रस्तावों की ओर केन्द्रित कर लिया है तथा उन्होंने विधेयक की भाषा, खंड प्रतिखंड, तथा एक खंड का दूसरे खंड पर प्रभाव तथा खंडों की स्वीकृति से स्थापित नैतिक सिद्धान्तों पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर बिल्कुल उपेक्षा दिखाई है।

जब हम किसी विधि को पारित करते हैं तो न्यायालय द्वारा धाराओं की भाषा ही लागू की जाती है, इसलिये वह महत्वपूर्ण है। जब विधान पारित हो जाता है तथा उस का एक भाग दूसरे भाग का विरोध करता है तो न्यायालय उसे असंगत बतायेगा तथा हमारा सारा प्रयोजन निष्फल हो जायेगा।

दूसरी बात जिस पर ज़ोर दिया गया है तथा जिस पर मैं भी कहना चाहता हूं वह यह है कि इस विधेयक में प्रयुक्त भाषा बहुत सहायक नहीं है। उदाहरण के लिये विवाह-विच्छेद का एक आधार 'व्यभिचार' है। वास्तव में, एक ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया गया कि इस के स्थान पर 'पति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से लैंगिक सम्बन्ध' होना चाहिये। प्रथम अभिव्यंजना बहुत सुन्दर है। दूसरे विधेयक में स्वीकृत वाक्यांश में भी यह परिभाषा भली भांति तथा पूर्णतः से आ जाती है।

दूसरा प्रश्न जिस से मेरी नैतिकता को धक्का लगता है यह है :

खंड २५ में लिखा है :

"कोई भी विवाह जो इस अधिनियम के आधीन सम्पन्न हुआ हो वह रद्द करने की आज्ञप्ति के द्वारा शून्य तथा रद्द समझा जायेगा यदि ....."

(२) प्रतिवादी विवाह के समय वादी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गर्भवती हो..."

[श्री राघवाचारी]

इस के परिणाम स्वरूप खंड २६ में भी परिवर्तन हो जायेगा ।

यद्यपि उन्होंने एक परन्तुक का उपबन्ध किया है कि वह अवैध बालक जो विवाह-विच्छेद का कारण था विवाह-विच्छेद करने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी होगा तथा उसे पिता कह कर पुकारेगा । यह सार्वजनिक जीवन की नैतिकता के लिये एक क्रान्तिकारी वस्तु है । यह इस बात का उदाहरण है कि हम इस मामले में जल्दी से काम ले रहे हैं और इसी लिये अन्तिम क्षण में कोई परन्तुक ला कर पारित कर दिया जाता है । ईश्वर ही जानता है कि इस तरह के विधान से देश को क्या लाभ होगा ।

अब मैं खंड २७ के उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । मेरे विचार से डा० जयसूर्य एक खंड ही पर्याप्त था । खंड (क) से (ट) तक बिल्कुल अनावश्यक है । यह सारी बात इन मामलों को वैज्ञानिक ढंग से न देखने के कारण पैदा हुई है ।

मैं अध्याय ४ की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं । मैं ने इसे ध्यानपूर्वक सोचा है तथा मेरा निर्णय यह है कि यह अधिक से अधिक व्यक्तियों को इस विधि के आधीन आने से रोकता है । हम ने इस सभा में स्वतंत्रता का सर्वोच्च आदर्श रखा था, किन्तु जब हम यह कहेंगे कि इस विधेयक के आधीन पंजीबद्ध होने पर तुम अपने माता, पिता, भाइयों, सम्पत्ति इत्यादि से पृथक् हो जाओगे तो क्या यह एक विवशता नहीं है ?

इसलिये श्रीमान् व्यापक दृष्टि से उन प्रविधियों को छोड़ कर जिस में प्रगति का दावा किया गया है, वास्तव में यह उपबन्ध प्रगति के रास्ते में बाधा पैदा करते हैं ।

अब मैं भरण पोषण के उपबन्ध के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा । हम ने यह उपबन्ध किया है कि अध्याय ७ के आधीन चाहे कोई भी उत्तरदायी क्यों न हो अथवा कोई भी कारण क्यों न हो कुछ न कुछ भरण पोषण होना चाहिये । वहां आचरण शब्द है । मैं नहीं जानता कि आचरण शब्द के अन्तर्गत कितनी परिस्थितियां आ जायेंगी । यदि उन्होंने केवल विवाह-विच्छेद तथा भरण पोषण के दूसरे अधिनियमों को देखा होता तो वे उन के लिये उपयोगी सिद्ध होते । मेरे मित्र द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को स्वीकार करने में वह सहायक होते ।

यदि अनुसूची १ को किसी दूसरे अधिनियम में रख दिया जाय तो चर्चा की बहुत गुंजायश हो सकती है । व्यक्तिगत रूप से मैं इस की सफलता चाहता हूं किन्तु मेरा विचार यह है कि जो उपबन्ध इस विधेयक में समाविष्ट किये गये हैं वे अधिकांश व्यक्तियों को इस का लाभ उठाने से वंचित कर देंगे ।

श्री एन० सी० चटर्जी : इस देश के लाखों हिन्दुओं को दुख होगा कि हम हिन्दू विधि के मान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध काम कर रहे हैं । लाखों मुसलमानों को भी इसी बात पर दुख होगा । हिन्दू धर्म का यह मान्य सिद्धान्त क्या है ? जैसा कि देश के उप-राष्ट्रपति तथा महान् दार्शनिक डा० राधाकृष्णन ने कहा है कि

> "भारत में धार्मिक विवाह में लोगों को संकटों का सामना करना पड़ता है तथा इस महान् उपक्रम में विश्वास रखना पड़ता है ।"

विशेष विवाह विधेयक बना कर इन धार्मिक विवाहों का गला घोटा जा रहा है । वास्तव में हम अपने को प्रगतिशील कह कर स्वयं को धोका दे रहे हैं । आप वास्तव में हमारे न्यायशास्त्र को रूस तथा उस के अनुयायी देशों की विधियों की प्रतिलिपि बनाये दे रहे हैं । संसार में कहीं भी सहसम्मति से विवाह

विच्छेद का उपबन्ध नहीं है । विवाह-विच्छेद को सरल नहीं बनाना चाहिये । यह एक भयंकर औषधि है जिस से केवल एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि कई व्यक्तियों का जीवन समूल नष्ट हो जायेगा ।

मैं ईमानदारी से यह अनुभव करता हूं कि आप वास्तव में विवाह के आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं तथा पारिवारिक जीवन को क्षीण तथा एक भार बना रहे हैं सन् १८७२ से कोई अध्याय ३ नहीं था तथा जैसा कि मैं ने कहा कि हिन्दू तथा मुस्लिम विवाहों को इस विधेयक की सीमा के आधीन लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किन्तु आप ऐसा करने के लिये कटिबद्ध थे और आप ने यह दुखद कार्य किया ।

मैं ईमानदारी से अनुभव करता हूं कि मतदाता इसे पसन्द नहीं करेंगे । देश इसे पसन्द नहीं करेगा । यदि विधि मंत्री तथा सभा सच्चाई से यह विश्वास करे कि इस प्रकार का विशेष विवाह अधिनियम देश का कुछ हित करेगा तो उन्हें हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक को प्रस्तुत नहीं करना चाहिये । बंगाल के वर्णाश्रम स्वराज्य संघ ने भी यह कहा है कि "ईश्वर के लिए हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक न बनाइये" ।

यदि आप ने खंड १५ का उपबन्ध किया है तो भी इस की कोई आवश्यकता नहीं होगी । विशेष रूप से जब कि हम सारे भारत के लिये किसी एक रूप संहिता की मांग कर रहे हैं तो केवल हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक कहां तक संगत है । साथ ही देश के लाखों लोग इसे पसन्द नहीं करेंगे ।

मैं इस विधेयक के दूसरे खंडों से भी प्रसन्न नहीं हूं । वे गैर-ईसाई भी जो इस विधेयक के अन्तर्गत विवाह करेंग उन पर भी उत्तराधिकार विधि लागू होगी । क्या यह ठीक है ? आप कहते हैं कि जो भी इस विधि के अन्तर्गत विवाह करेगा वह स्वतः ही उस उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आ जायेगा जो ईसाइयों पर ही लागू है । यह एक प्रतिगामी कदम है । इस से पराजित मनोवृति स्पष्ट होती है और ऐसी मनोवृति लाखों करोड़ों व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद् के लिये एक दुर्भाग्य की बात है । खंड १५ हिन्दुओं के लिये अपमानजनक है । यह तो ऐसा कहने के समान है कि अपने विवाह को सभ्य बना लो तथा इस अधिनियम के लाभ प्राप्त करो । यह हिन्दुओं तथा मुसलमानों की स्वीय विधि पर एक आक्षेप है । एक समय ऐसा अवश्य आयेगा जब कि आप को इसे रद्द करना पड़ेगा ।

आप सुसंगत भी नहीं हैं तथा युक्तियुक्त भी नहीं हैं । आप को अपनी धारणा पर विश्वास भी नहीं है । आप इस विधि के आधीन विवाह करने वालों पर यह कह कर व्यंग कर रहे हैं कि उन्हें उत्तराधिकार की किसी दूसरी विधि से प्रशासित किया जायेगा । आप यह भी कहते हैं कि उसे तत्काल परिवार त्याग देना पड़ेगा तथा खंड १८ के आधीन आप उस का व्यवहारिक रूप से बहिष्कार कर देंगे ।

यह विधेयक पारिवारिक जीवन को समाप्त कर देगा तथा हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर देगा । मेरा विचार है कि यह इस दिशा में एक प्रगतिशील कदम नहीं है ।

जब कि सारा ईसाई संसार विवाह-विच्छेद विधियों को कड़ा बना रहा है हम ने प्रजातंत्र देशों के इतिहास में सर्वप्रथम सह-सम्मति से विवाह-विच्छेद के उपबन्ध को पारित किया है । मैं आशा करता हूं कि ऐसे विवाह थोड़े लोगों तक ही सीमित रहेंगे तथा इस विधान से होने वाली हानि कम से कम होगी ।

डा० जयसूर्य : मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं ने दोनों पक्षों को सुना है और दोनों से ही मुझे संतोष नहीं है। श्री चटर्जी ने कई बार पुरानी बातों को दुहराया है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री सर्वश्री जेरेमी बेन्थम का उल्लेख कर रहे हैं--परन्तु जेरेमी बेन्थम के समय से अब तक विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। यदि आप सामाजिक विषयों पर कोई विधि बनाते हैं तो प्रश्न यह उठता है, कि क्या आप उसे सिद्धान्तों पर आधारित कर रहे हैं अथवा उस का आधार वास्तविक तथ्यों का अध्ययन माना जा रहा है। श्री चटर्जी ने चाहे कुछ भी कहा हो, मैं आप को वात्स्यायन के लिखे हुए काम सूत्र का एक संक्षिप्त उद्धरण देता हूं। उस ने लिखा है :

> "जो व्यक्ति स्त्री के मनोविज्ञान अथवा मनःस्थिति को समझे बिना उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लेता है, वह केवल स्त्री में भय तथा घृणा ही उत्पन्न करता है। जब वह स्त्री उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकती है, जिस की कि वह कामना करती है तो वह निराश हो जाती है और या तो वह सारे मनुष्यों से ही घृणा करने लग जाती है, अथवा वह अपने पति से घृणा करती हुई प्रतिकार की भावना से पर पुरुषों का संग करती है।"

मेरे विचार में यह तथ्य आधुनिकतम है। इन सिद्धान्तों के सामने, मैं विदेशी सिद्धान्तों को नहीं समझ सकता हूं। लोग कहते हैं कि विवाह स्वर्ग में सम्पन्न किये जाते हैं और उन्हें धरती पर तोड़ दिया जाता है--तो क्या विवाह स्वर्ग में मध्यस्थों द्वारा सम्पन्न कराये जाते हैं?

श्री चटर्जी ने अन्य सभ्य देशों, जैसे अमेरिका, पैटेगोनिया, कम्सचरका, नाइकरगुआ आदि के उदाहिरण दिये हैं। परन्तु वास्तव में हमारे पड़ौसी हैं ब्रह्मा और चीन। चीन को पता नहीं कैसे, वह रूस का अनुगामी कहते हैं। परन्तु ब्रह्मा तो रूस का अनुगामी नहीं है। बहुत पुराने समय से ब्रह्मा की स्त्रियों के पास वह अधिकार हैं जो भारत की स्त्रियों के पास आज तक भी नहीं हैं। ब्रह्मा की स्त्री चाहे किसी से भी विवाह कर ले फिर भी उस की राष्ट्रीयता बनी रहती है। दूसरे ब्रह्मा में विवाह-विच्छेद की तीन प्रणालियां हैं। वहां की स्त्रियां विवाह के तुरन्त पश्चात् ही अपने पति की ५० प्रतिशत सम्पत्ति प्राप्त कर लेती हैं। पंडित भार्गव ने--जो इस समय सभापति हैं--ने भी कहा है कि यह सच है कि भारतीय स्त्रियों को कानूनन तो समानता के अधिकार हैं परन्तु वास्तविक रूप में उन को अभी तक समान आर्थिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

यहां पर यह प्रश्न तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता है कि इस विधेयक में विवाह-विच्छेद का उपबन्ध न किया जाय। यह तो उस में है--परन्तु हमें तो यह सोचना है कि क्या पुराने भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की तुलना में--इस उपबन्ध में भी कोई सुधार किया जा सकता है अथवा नहीं।

श्री देशपांडे ने कहा है कि वह स्त्री को कभी कभार किये गये व्यभिचार के अपराध के लिये क्षमा कर सकते हैं, परन्तु वह विवाह-विच्छेद को पसन्द नहीं करते हैं। परन्तु श्री टेक चन्द ने ठीक इस से उलट बात कही है। यह अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। पुरुष के स्वभाव के अनुसार श्री टेक चन्द जी का कथन सत्य है। वैसे भी इस सम्बन्ध में लिखा भी है " कि पुरुष के पर स्त्रीगमन से वैवाहिक जीवन को अधिक हानि नहीं होती है, क्योंकि या तो स्त्रियां सहनशील होती हैं अथवा वह विवाहित जीवन की स्थिरता पर इस का प्रभाव समझ नहीं पाती हैं, परन्तु इस के

विपरीत यदि पुरुष को अपनी स्त्री के बारे में पता चल जाय कि वह व्यभिचारिणी है तो वह कठोरतम कार्यवाही करने को उद्यत रहता है।"

यह भी क़िन्ज़े की नवीनतम रिपोर्ट के पृष्ठ ४३५ पर है। यह तो एक लोकोक्ति है कि यदि एक विवाह अथवा विवाह-विच्छेद में आप जितने कठोर होंगे उतने ही पुरुष व्यभिचारी होंगे, और स्त्रियां जार रखेंगी।

हम यह विधि अपने देश के युवक और युवतियों के लिये बना रहे हैं। हमें उन पर पूरा पूरा विश्वास करना चाहिये। चीन वालों ने दो पत्नियां रखना, रखेल अथवा उप-पत्नीत्व, बच्चों की सगाइयां, और विवाह के समय बहुमूल्य दान बटोरना, आदि की प्रथाओं को निषिद्ध घोषित कर दिया है।

क्या यह अमानुषिक है ? मैं इस से सहमत हूं। यदि मैं कहूं कि स्त्री तथा पुरुष जायदाद के समान अधिकारी होने चाहियें, तो क्या यह भी अमानुषिक है ? यदि है तो मैं इन्हें स्वीकार करता हूं और मैं अमानुषिक हूं।

इस के पश्चात्, चीन में विवाह दोनों पक्षों की परस्पर सम्मति से होता है, किसी तृतीय व्यक्ति को टांग अड़ाने की आज्ञा नहीं दी गई है।

चीन वालों ने च्यांग काई शेक को निकाल कर इसलिये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की है कि वह समस्त चीन को एक व्यभिचार का अड्डा बना डालें। उन्हें अपने देश के नवयुवकों पर विश्वास है। और इसी प्रकार मुझे भी अपने देश के युवक और युवतियों पर विश्वास है।

हमारे विकास के मार्ग में पक्षपात, कमजोरी अथवा कायरता नहीं आनी चाहिये। हमें कहना होगा कि सारा उत्तरदायित्व युवकों का ही है। मेरे विचार में सारे विषय को युवकों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये। कहीं पर हर्डर ने भी कहा है कि चाहे इसे कहीं भी छुपा दो या बन्द कर दो यह 'ज़ाईट गाईस्ट' से बचने के लिये मार्ग निकाल ही लेगा यह 'ज़ाईट-गाईस्ट' स्त्रियों की नवीन जाग्रति है और आप उसे रोक नहीं सकते हैं। हमें अपने नवयुवकों को वह वस्तुयें देनी चाहियें जिन का आनन्द हम स्वयं नहीं ले सके हैं।

माननीय मंत्री को स्मरण होगा कि दूसरी सभा के एक सदस्य ने विवाह किया तो उन्होंने और उन की पत्नी ने बड़े साहस का प्रमाण दिया। वे दोनों अपना अपना धर्म बनाये रखना चाहते थे अत: उन्होंने खुली घोषणा की कि वह एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में बिना किसी संस्कार की सहायता से स्वीकार करते हैं। मेरे पिता ने, जो उस समय ८१ वर्ष की अवस्था के थे उन्हें जाकर बधाई दी और उन लोगों की सराहना की। यदि आप लोग युवकों को पूरी स्वतंत्रता नहीं देंगे तो मेरा विचार है कि आप के यह क़ानून उनके मार्ग की बाधा नहीं बन सकते हैं।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है :

"मुझे लोक सभा को सूचना देने का आदेश मिला है कि राज्य सभा ने बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४, की अपनी बैठक में निम्न प्रस्ताव पारित किया है कि राज्य सभा, लोक सभा की इस सिपारिश से सहमत है कि वह भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो। उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये राज्य सभा द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों के नाम प्रस्ताव में दिये गये हैं।

[सचिव]

प्रस्ताव

"कि यह सभा, लोक सभा की सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा, भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि राज्य सभा के निम्न लिखित सदस्य संयुक्त समिति में काम करने के लिये नाम निर्देशित किये जायें:—

(१) श्री सी० सी० बिस्वास ।
(२) श्री एस० वी० कृष्णमूर्तिराव ।
(३) श्री विश्वनाथ दास ।
(४) श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद ।
(५) श्री डब्ल्यू० एस० वारलिंगे ।
(६) श्री जगन्नाथ कौशल ।
(७) श्री चंदू लाल पी० पारिख ।
(८) श्री आर० सी० गुप्त ।
(९) श्री वी० वेंकटरामन् ।
(१०) श्रीमती पार्वती कृष्णन् ।
(११) श्री एच० सी० माथुर ।
(१२) श्री वी० सी० घोष ।"

उपर्युक्त प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा, १६ सितम्बर, १९५४ बुधवार को हुई बैठक में पारित किया गया था ।

(विशेष विवाह विधेयक—जारी)

सभापति महोदय : सभा को स्मरण होगा कि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सभा की बैठक छः बजे तक चालू रखने का एक सुझाव दिया गया था । उस समय कोई निर्णय नहीं किया गया था । यह मामला पूर्ण रूप से सभा के हाथों में है—यदि सभा की इच्छा अधिक देर तक बैठने की है....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं ।

श्री वेंकटरामन : श्रीमान् हम ने आज का सारा कार्यक्रम समाप्त कर लिया है । हम कल आध घंटा और अधिक बैठ सकते हैं ।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा । यदि सदन की यह राय है तो मैं सभा को कल ११ बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

इस के पश्चात् लोक सभा शुक्रवार १७ सितम्बर, १९५४ के ११ म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।